



## अनुसूची - 17 - 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

### Schedule - 17 - Significant Accounting Policies for the year ended March 31, 2021

#### 1. तैयारी का आधार

वित्तीय विवरण, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो, परम्परागत लागत आधार पर तैयार किए गये हैं। ये भारत में सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार हैं जिनमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक/मार्गदर्शी नोट्स तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित कार्यप्रणाली समाविष्ट है। विदेशी कार्यालयों के संदर्भ में संबंधित देशों के प्रचलित सांविधिक प्रावधानों और कार्यप्रणालियों का अनुपालन किया गया है।

#### 2. आकलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में वित्तीय विवरणों की तारीख को रिपोर्ट की गयी आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्ट की गयी अवधि की आय एवं व्यय संबंधी राशि को रिपोर्ट करने हेतु प्रबंधन को अनुमानों और आकलनों की मदद लेनी पड़ती है। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रयुक्त आकलन विवेकपूर्ण और उचित हैं। वास्तविक परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा अनुमानों में कोई भी संशोधन वर्तमान एवं भविष्य की अवधि में मान्य होगा जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

#### 3. निवेश

बैंक निपटान की तारीख के आधार पर निवेशों के लिए लेखांकन की एक समान पद्धतियों का अनुसरण करता है। बैंक के निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं. डीबीआर.सं. बीसी.6/21.04.141/2015-16 दिनांक 1 जुलाई, 2015 के अनुसार किया गया है।

#### 3.1 वर्गीकरण

##### ए) वर्गीकरण का आधार

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुरूप बैंक के निवेश पोर्टफोलियों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया गया है, जिसमें-

- “परिपक्वता तक धारित” (एचटीएम) में वे निवेश शामिल हैं जिन्हें परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है।
- “व्यापार हेतु धारित” (एचएफटी) में वे निवेश शामिल हैं, जिन्हें व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है। ऐसी प्रतिभूतियां, जिन्हें सैद्धांतिक रूप से खरीद की तारीख से 90 दिनों के अंदर पुनः बिक्री हेतु रखा गया है, उन्हें एचएफटी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।
- “बिक्री हेतु उपलब्ध” (एएफएस) में वे निवेश शामिल हैं, जो उपर्युक्त (ए) तथा (बी) में शामिल नहीं हैं, अर्थात् जो न तो व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं और न ही परिपक्वता तक धारित करने के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं।

#### 1 BASIS OF PREPARATION

The financial statements have been prepared under the historical cost convention unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprises statutory provisions, regulatory/ Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards/ guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

#### 2 USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognised prospectively in the current and future periods unless otherwise stated.

#### 3 INVESTMENTS:

The Bank is following uniform methodology of accounting for investments on settlement date basis. Classification and valuation of the Bank's investments are carried out in accordance with RBI Circular DBR. No. BP. BC.6/21.04.141/2015-16 dated July 1, 2015.

#### 3.1 Classification

##### a) Basis of classification

In compliance with the Reserve Bank of India guidelines, the investment portfolio of the Bank is classified into

- “Held to Maturity” (HTM) comprising Investments acquired with the intention to hold them till maturity.
- “Held for Trading” (HFT) comprising Investments acquired with the intention to trade. Securities that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified under the HFT category.
- “Available for Sale” (AFS) comprising Investments not covered by (a) and (b) above i.e. those which are acquired neither for trading purposes nor for being held till maturity.

तुलन पत्र में प्रकटीकरण के उद्देश्य से निवेशों को अनुसूची 8 ('निवेश') में प्रकटीकृत के रूप में 6 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है (ए) सरकारी प्रतिभूतियां (बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (सी) शेयर (डी) बॉण्ड और डिबेंचर (ई) अनुषंगियां और संयुक्त उद्यम (एफ) अन्य.

**बी) अधिग्रहण लागत**

अधिग्रहण के समय प्रदत्त लागत, निवेश संबंधी ब्रोकरेज और आंशिक अवधि के लिए ब्याज जैसी लागत भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार लाभ एवं हानि खाते में डाली जाती है.

**सी) वर्गों के बीच अंतरण**

एक वर्ग से दूसरे वर्ग में निवेशों का पुनःवर्गीकरण, यदि किया गया हो तो, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप है. एफएस/एचएफटी वर्ग से एचटीएम वर्ग में स्क्रिप्ट का अंतरण बही मूल्य या बाजार मूल्य में से जो कम हो, उस पर किया जाता है. एचटीएम से एफएस/एचएफटी वर्ग में अंतरित प्रतिभूतियों के अंतरण के मामले डिस्काउंट पर एचटीएम के अंतर्गत धारित निवेशों को अधिग्रहण दर पर एफएस/एचएफटी वर्ग में अंतरित किया जाता है और एचटीएम वर्ग में प्रीमियम पर धारित निवेशों को एमौरटाइज्ड लागत पर एफएस/एचएफटी में अंतरित किया जाता है.

एफएस से एचएफटी के बीच आपस में निवेशों का अंतरण बही मूल्य पर किया जाता है. ऐसे निवेशों पर मूल्यहास, यदि हो तो एक वर्ग से दूसरे वर्ग में अंतरित किया जाता है.

इन वर्गों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण अधिग्रहण लागत/ बही मूल्य/ बाजार मूल्य पर, जो भी कम हो, अंतरण की तारीख को लेखाकृत किया जाता है और यदि अंतरण पर मूल्यहास हो तो उसके लिए पूरा प्रावधान किया जाता है.

**3.2 मूल्यांकन**

“परिपक्वता तक धारित” के रूप में वर्गीकृत निवेशों को भारत औसत अधिग्रहण लागत पर लिया गया है अन्यथा कि वह अंकित मूल्य से अधिक हो. इस स्थिति में प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि तक एमौरटाइज्ड किया गया है. एचटीएम वर्ग के निवेशों पर प्रीमियम के एमौरटाइजेशन व्यय को भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 1 जुलाई 2015 के परिपत्र सं. डीबीआर.सं. बीपी.बीसी.6/21.04.141/2015-16 के अनुरूप ब्याज आय में से घटाया जाता है.

“परिपक्वता तक धारित” के रूप में वर्गीकृत निवेशों में डिबेंचर/बॉण्ड, जिन्हें स्वरूप / प्रकृति की दृष्टि से अग्रिम माना जाता है, शामिल हैं (जिनके लिए आस्ति वर्गीकरण संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड तथा अग्रिमों पर लागू प्रावधान के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं).

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, ट्रेजरी बिलों, कॉमर्शियल पेपर्स और जमा प्रमाणपत्र पर किए गए निवेश शामिल हैं और जिनके मूल्य का निर्धारण रखाव लागत पर किया गया है.

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की अपेक्षाओं के लिए खरीदे गए पास थ्रू प्रमाणपत्र का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बही मूल्य पर किया जाता है.

For the purpose of disclosure in the balance sheet, investments are classified as disclosed in Schedule 8 ('Investments') under six groups (a) government securities (b) other approved securities (c) shares (d) bonds and debentures (e) subsidiaries and joint ventures and (f) others.

**b) Cost of acquisition**

Cost such as brokerage pertaining to investments, paid at the time of acquisition and broken period interest are charged to the profit & loss account as per the RBI guidelines.

**c) Transfer between categories**

Reclassification of investments from one category to the other, if done, is in accordance with RBI guidelines. Transfer of scrip from AFS / HFT category to HTM category is made at the lower of book value or market value. In the case of transfer of securities from HTM to AFS / HFT category, the investments held under HTM at a discount are transferred to AFS / HFT category at the acquisition price and investments placed in the HTM category at a premium are transferred to AFS / HFT at the amortized cost.

Transfer of investments from AFS to HFT or vice-versa is done at the book value. Depreciation carried, if any, on such investments is also transferred from one category to another.

The transfer of a security between these categories is accounted for at the acquisition cost / book value / market value on the date of transfer, whichever is the least, and the depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

**3.2 Valuation**

Investments classified as “Held to Maturity” are carried at weighted average acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized over the period remaining to maturity. Amortization expense of premium on investments in the HTM category is deducted from interest income in accordance with RBI Circular DBR. No.BP. BC.6/21.04.141/2015-16 dated July 1, 2015.

Investments classified as “Held to Maturity” includes debentures / bonds which are deemed to be in the nature of / treated as advances (for which provision is made by applying the Reserve Bank of India prudential norms of assets classification and provisioning applicable to Advances).

Investments in Regional Rural Banks, Treasury Bills, Commercial Papers and Certificates of Deposit which have been valued at carrying cost.

Pass through Certificates purchased for priority sector lending requirements are valued at Book Value in accordance with RBI guidelines.



अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों, और सहयोगी कंपनियों में (भारत तथा विदेश दोनों में) अस्थायी प्रकार के निवेशों को छोड़कर, निवेशों का मूल्यांकन, मूल्यहास मूल्य को घटाकर अधिग्रहण लागत पर किया जाता है।

जोखिम पूंजी निधि (वीसीएफ) इकाइयों में दिनांक 23 अगस्त 2006 के बाद किए गए बैंक निवेशों को प्रारंभिक तीन वर्ष की अवधि के लिए परिपक्वता तक धारित संवर्ग में वर्गीकृत किया जाता है और लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। संवितरण के तीन वर्ष पश्चात इसे ब्रिक्री के लिए उपलब्ध में अंतरित कर दिया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय विवरणों में वीसीएफ द्वारा दर्शाए गए निवल आस्ति मूल्य या घोषित एनएवी पर मूल्यांकन किया जाता है। यदि एनएवी/लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण 18 महीनों से अधिक समय से उपलब्ध न हो तो प्रति वीसीएफ रु 1/- पर मूल्यांकन किया जाएगा।

एफएस और एचएफटी श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश, भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर मार्केड-टू-मार्केट (एमटीएम) होते हैं। अनुसूची 8 (निवेश) में उल्लिखित वर्गीकरण के अंतर्गत वर्ग में निवल मूल्यहास, यदि हो तो, लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है। प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत श्रेणी में निवल मूल्य वृद्धि, यदि हो तो, उसे पहले प्रावधान किए गए मूल्यहास की राशि को छोड़कर शेष को अनदेखा कर दिया जाता है। निवेश के आवधिक मूल्यांकन के परिणामस्वरूप एकल प्रतिभूतियों का बही मूल्य बदला नहीं जाता।

पुनर्गठित अग्रिम योजना के बदले में प्राप्त निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। इन निवेशों के मूल्य में आई कमी के लिए प्रावधान किया जाता है और इसका उपयोग उस श्रेणी में अन्य निष्पादक प्रतिभूतियों में मूल्य वृद्धि के साथ समायोजित नहीं किया जाता। बैंक द्वारा पुनर्गठन योजना के अंतर्गत अर्जित इक्विटी शेयरों पर मूल्यहास भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध कराया जाता है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसे लिखतों के लिए समय-समय पर विनिर्दिष्ट एवं लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। तदनुसार, ऐसे मामलों में जहां आस्ति पुनर्संरचना कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद से नकदी प्रवाह को संबंधित योजना के तहत लिखत को समनुदेशित वित्तीय आस्तियों के वास्तविक प्राप्य राशियों तक सीमित किया जाता है तो बैंक प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख को इस तरह के लिखतों के मूल्यांकन के लिए आस्ति पुनर्संरचना कंपनी से समय-समय पर प्राप्त निवल आस्ति मूल्य की गणना करेगा। 01 अप्रैल, 2017 को या इसके बाद प्रतिभूति रसीद में किए गए निवेश जो बैंक द्वारा 50% से ज्यादा बेची गई दबावग्रस्त आस्तियों द्वारा समर्थित हो, मूल्य में अवमूल्यन के लिए प्रावधान आस्ति पुनर्संरचना कंपनी (आरसी) और प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य के मानदंडों के अनुसार अपेक्षित प्रावधान दर से अधिक होगी या मूल ऋण के लिए लागू मौजूदा आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान मानदंड के अनुसार होगी और ऐसा माना जाएगा कि बैंक की बही में ऋण अनुमानतः जारी रहेगा। प्रतिभूति रसीद में अन्य दूसरे निवेश का मूल्यांकन जारीकर्ता आरसी/एससी से प्राप्त एनएवी के अनुसार होगा।

Investments in subsidiaries, joint ventures and associates (both in India and abroad) are valued at acquisition cost less diminution, other than temporary in nature.

Bank's investments in units of Venture Capital Funds (VCFs) made after August 23, 2006 are classified under HTM category for initial period of three years and are valued at cost. After period of three years from date of disbursement, it will be shifted to AFS category. These are valued using Net Assets Value shown by VCF as per the financial statements or declared NAV as per Reserve Bank of India guidelines. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at Re. 1/- per VCF

Investments categorized under AFS and HFT categories are Marked-to-Market (MTM) on a periodical basis as per relevant RBI guidelines. Net depreciation, if any, in the category under the classification mentioned in Schedule 8 ('Investments') is recognized in the profit and loss account. The net appreciation, if any, in the category under each classification is ignored, except to the extent of depreciation previously provided. The book value of individual securities is not changed consequent to periodic valuation of investments.

Investments received in lieu of restructured advances scheme are valued in accordance with RBI guidelines. Any diminution in value on these investments is provided for and is not used to set off against appreciation in respect of other performing securities in that category. Depreciation on equity shares acquired and held by the Bank under restructuring scheme is provided as per RBI guidelines.

At the end of each reporting period, security receipts issued by the asset reconstruction company are valued in accordance with the guidelines applicable to such instruments, prescribed by RBI from time to time. Accordingly, in cases where the cash flows from security receipts issued by the asset reconstruction company are limited to the actual realization of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Bank reckons the net asset value obtained from the asset reconstruction company from time to time, for valuation of such investments at each reporting date. In case of investment in Security Receipts on or after April 1, 2017 which are backed by more than 50% of the stressed assets sold by the bank, provision for depreciation in value is made at higher of - provisioning rate required in terms of net assets value declared by Reconstruction Company (RC)/ Securitization Company (SC) or the provisioning rate as per the extant asset classification and provisioning norms as applicable to the underlying loans, assuming that the loan notionally continue in the books of the Bank. All other investments in the Security Receipts are valued as per the NAV obtained from issuing RC / SC.

रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) / इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (आईएनवीआईटी) के सूचीबद्ध लिखतों में निवेश अधिक मात्रा में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में समापन मूल्य पर होता है। यदि मूल्यांकन की तारीख से 15 दिनों के भीतर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर इनका क्रय-विक्रय नहीं होता है तो, उनका मूल्यांकन, मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित नवीनतम एनएवी (जो 1 वर्ष से पुरानी न हो) के आधार पर किया जाता है।

प्राथमिक डीलर के रूप में बैंक द्वारा एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत ट्रेजरी बिलों में किए गए निवेश का मूल्यांकन वहन लागत पर किया जा रहा है।

बैंक केंद्र सरकार की पुरानी प्रतिभूतियों में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अल्प बिक्री लेनदेन करता है। शॉर्ट पोजिशन, बिक्री पर प्राप्त राशि के रूप में परिलक्षित होती है और निवेश अनुसूची में समायोजित होती है। शॉर्ट पोजिशन को बाजार और हानि के लिए चिन्हित किया जाता है और उसे लाभ और हानि खाते में डाला जाता है जबकि उससे लाभ हो, तो उसे छोड़ दिया जाता है। शॉर्ट पोजिशन के निपटान से हुई लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाता है।

विशेष बांड जैसे कि तेल बांड, उर्वरक बांड, यूडीएवाय बांड आदि जो सीधे भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, का मूल्यांकन एफआईबीएल मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

“क्रय-विक्रय के लिए धारित” और “बिक्री के लिए उपलब्ध” श्रेणियों में कोटेड निवेश के मूल्यांकन के लिए दरें, स्टॉक एक्सचेंजों पर बाजार दरें / उद्धरण, वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा घोषित दरों की तर्ज पर ली जाती हैं।

जिन निवेशों के लिए दरें/ कोट उपलब्ध न हों, उनके लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार दरें ली जाती हैं, जो निम्नानुसार हैं:

ए सरकार/स्वीकृत प्रतिभूतियां	- परिपक्वता पर यील्ड के आधार पर
बी इक्विटी शेयर, पीएसयू और ट्रस्टी शेयर	- ब्रेक अप मूल्य पर (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि, यदि है पर विचार किए बिना) अद्यतन तुलन पत्र के अनुसार (12 महीनों से अधिक पुराना न हो) नहीं तो रु 1/- प्रति कंपनी
सी अधिमानी शेयर एवं पास थ्रु प्रमाणपत्र (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को छोड़कर)	- उपयुक्त क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप सहित परिपक्वता पर यील्ड के आधार पर
डी पीएसयू बॉन्ड्स	- उपयुक्त क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप सहित परिपक्वता पर यील्ड के आधार पर
ई म्यूचुअल फंड की यूनिट	- प्रत्येक योजना के संबंध में निधि द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य/ एनएवी पर

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर अनर्जक निवेश निर्धारित किए जाते हैं और इसमें मूल्यहास/ प्रावधान किए जाते हैं।

Investment in listed instruments of Real Estate Investment Trust (REIT) / Infrastructure Investment Trust (INVT) is valued at closing price on a recognized stock exchange with the higher volumes. In case the instruments were not traded on any stock exchange within 15 days prior to date of valuation, valuation is done based on the latest NAV (not older than 1 year) submitted by the valuer.

Investments made by the Bank as Primary Dealer in Treasury Bills under HFT category is being valued at carrying cost.

The Bank undertakes short sale transactions in Central Government dated securities in accordance with RBI guidelines. The short position is reflected as the amount received on sale and is netted in the Investment schedule. The short position is marked to market and loss, if any, is charged to the Profit and Loss account while gain, if any, is ignored. Profit /Loss on settlement of the short position is recognized in the Profit and Loss account.

Special bonds such as Oil bonds, fertilizer bonds, UDAY bonds etc which are directly issued by Government of India, is valued based on FIBL valuation.

For the purpose of valuation of quoted investments in “Held for Trading” and “Available for Sale” categories, the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Financial Benchmarks India Pvt. Ltd(FBIL) are used.

Investments for which such rates / quotes are not available are valued as per norms laid down by Reserve Bank of India, which are as under:

a Government / Approved securities	- On Yield to Maturity basis.
b Equity Shares, PSU and Trustee shares	- At break-up value (without considering ‘Revaluation reserves’, if any) as per the latest Balance Sheet (not more than 12 months old), otherwise Re.1 per company.
c Preference Shares & Pass through Certificates (other than priority sector)	- On Yield to Maturity basis. with appropriate Credit spread mark-up.
d PSU Bonds	- On Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up.
e Units of Mutual Funds	- At the latest repurchase price / NAV declared by the Fund in respect of each scheme.

Non-performing investments are identified and depreciation/provision are made thereon based on the RBI



क्षति के प्रबंधन मूल्यांकन के आधार पर, बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अलावा भी अतिरिक्त प्रावधान करता है। अन्य अर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में ऐसे अनर्जक निवेशों पर मूल्यहास / प्रावधान, मूल्यवृद्धि के एवज में सेट ऑफ नहीं हैं। जब तक लाभ और हानि खाते में ब्याज प्राप्त नहीं हो जाता, अनर्जक निवेशों पर ब्याज नहीं माना जाता है।

विदेशी शाखाओं में निवेशों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के या उन मेजबान देशों के दिशानिर्देशों, में से जो भी सख्त हो, उनका पालन किया जाता है। उन शाखाओं के मामले में, जो ऐसे देशों में मौजूद हैं जहां कोई विनिर्दिष्ट दिशानिर्देश नहीं हैं, वहां भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है।

### 3.3 निवेशों का निस्तारण

एचटीएम के रूप में वर्गीकृत किए गए निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ/हानि को, निवेश से संबंधित भारतित औसत लागत/बही मूल्य के आधार पर लाभ एवं हानि लेखा में लिया जाता है तथा 'परिपक्वता तक धारित' वर्गीकरण में निवेश की बिक्री पर समतुल्य लाभ के समान राशि पूंजीगत आरक्षित खाते में समायोजित की गयी है।

एफएस/एचएफटी श्रेणी में निवेशों की बिक्री से होने वाले लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

### 3.4 रेपो/ रिवर्स रेपो के लिए लेखांकन

बैंक ने मार्केट रेपो तथा रिवर्स रेपो लेनदेनों [भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या आरबीआई/2016-17 एफएमओडी.एमएओजी. नं./01.01.001/2016-17 दिनांक 15-09-2016 द्वारा जारी चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएफ) सहित] के लेखांकन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित की गयी समान लेखा प्रणाली को अपनाया है। सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद के करार के साथ रेपो / रिवर्स रेपो संव्यवहारों को संपार्श्विक उधार/ ऋण परिचालन के अंतर्गत माना जाता है। रेपो के अन्तर्गत बिक्री की प्रतिभूतियों को निवेश के अन्तर्गत दर्शाया जाता है और रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीद की प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया जाता है। लागत एवं राजस्व का लेखांकन ब्याज व्यय/ आय के लिए किया जाता है, जैसा भी मामला हो।

### 3.5 निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि

यील्ड में बढ़ोतरी के मद्देनजर संरक्षण हेतु पर्याप्त प्रारक्षित निधि तैयार करने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र सं. आरबीआई/2017-18/147 डीबीआर नं. बीपी.बीसी.102/21.04.048/ 2017-18 दिनांक 2 अप्रैल, 2018 के माध्यम से सभी बैंकों को वित्तीय वर्ष 2018-19 से आईएफआर बनाने की सूचना दी है।

आईएफआर में अंतरित राशि निम्नलिखित से कम होगी: (i) वर्ष के दौरान निवेशों की बिक्री पर निवल लाभ (ii) वर्ष के निवल लाभ में से अनिवार्य विनियोजन घटाया जाए, जब तक आईएफआर की राशि निरंतर आधार पर एचएफटी एवं एफएस पोर्टफोलियो का कम से कम 2% तक नहीं रहती।

### 3.6 डेरिवेटिव्स

बैंक वर्तमान में ब्याज दरों तथा मुद्रा डेरिवेटिव्स में डील करता है। बैंक द्वारा व्यवहारित ब्याज दर डेरिवेटिव्स में रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज-दर स्वैप, विनिमय ट्रेड रुपए ब्याज दर फ्यूचर्स तथा

guidelines. Based on management assessment of impairment, the Bank additionally creates provision over and above the RBI guidelines. The depreciation/provision on such non-performing investments are not set off against the appreciation in respect of other performing securities. Interest on non-performing investments is not recognized in the Profit and Loss account until received.

In respect of Investments at Overseas Branches, Reserve Bank of India guidelines or those of the host countries, whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of the Reserve Bank of India are followed.

### 3.3 Disposal of Investments

Profit / Loss on sale of Investments classified as HTM category is recognized in the Profit & Loss Account based on the weighted average cost / book value of the related Investments and an amount equivalent of profit on sale of Investments in "Held to Maturity" classification is appropriated to Capital Reserve Account.

Profit/loss on sale of Investment in AFS/HFT category is recognized in profit and loss account.

### 3.4 Accounting for repo/reverse repo

The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of Market Repo and Reverse Repo transactions [Including the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI vide circular no. RBI/2016-17/FMOD.MAOG. No. /01.01.001/2016-17 Dated September 15, 2016. Repo and Reverse Repo Transactions are treated as Collateralised Borrowing / Lending Operations with an agreement to repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investments and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investments. Costs and Revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

### 3.5 Investment fluctuation reserve

With a view to building up of adequate reserves to protect against increase in yields, RBI through circular number RBI/2017-18/147 DBR.No.BP. BC.102/21.04.048/2017-18 dated April 2, 2018, advised all banks to create an IFR with effect from the FY 2018-19.

Transferred to IFR will be lower of the following (i) net profit on sale of investments during the year or (ii) net profit for the year less mandatory appropriations, until the amount of IFR is at least 2 percent of the HFT and AFS portfolio, on a continuing basis.

### 3.6 Derivatives

The Bank presently deals in interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign

वायदा दर करार शामिल हैं। बैंक द्वारा व्यवहार में लाये जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स में ऑप्शन तथा मुद्रा स्वैप और विनिमय ट्रेडेड मुद्रा फ्यूचर हैं। बैंक तुलन-पत्र की आस्तियों एवं देयताओं मार्केट मेकिंग/ ट्रेडिंग एवं हेजिंग के लिए डेरिवेटिव लेनदेन करता है।

### 3.7 मूल्यांकन

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश के आधार पर, डेरिवेटिव्स का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है:

हेज/ नॉन हेज संव्यवहार अलग – अलग रिकॉर्ड किए जाते हैं। हेजिंग के रूप में नामित डेरिवेटिव अनुबंध को मार्केट-टू-मार्केट के रूप में तब तक चिन्हित नहीं किया जाता है, जब तक उनकी अंडरलाइनिंग आस्तियों को मार्केट-टू-मार्केट के रूप में चिन्हित नहीं किया जाता, जहां हेजिंग की अंडरलाइनिंग आस्तियों के मामले में मार्केट-टू-मार्केट के अधीन नहीं हैं, हेजिंग लिखत की गणना उपचय के आधार पर की जाती है। ट्रेडिंग डेरिवेटिव पोजिशनस मार्केट-टू-मार्केट है तथा किसी भी प्रकार की हानि, यदि कोई हो, लाभ-हानि खाते में दर्ज की जाती है। लाभ, यदि कोई हो, को दर्ज नहीं किया जाता। ब्याज दर स्वैप से संबंधित आय तथा व्यय दैनिक आधार पर दर्ज होता है। ट्रेडिंग स्वैप की समाप्ति पर लाभ/ हानि समाप्ति तिथि पर आय/ व्यय के रूप में दर्ज की जाती है।

मूल्यांकन के उद्देश्य से कुल स्वैप के वास्तविक मूल्य की गणना तुलन-पत्र की तिथि को स्वैप करारों के कारोबार समाप्ति पर प्राप्य या देय राशि के आधार पर की जाती है, संबंधित हानियों, यदि कोई हो, के लिए पूर्णतः प्रावधान किया गया है, जबकि लाभों को छोड़ दिया गया है।

बैंक फेडाई द्वारा निर्धारित ऑप्शन प्रीमियम लेखांकन सिद्धांत का पालन करता है। ऑप्शन ट्रांजेक्शन पर प्रीमियम को ट्रांजेक्शन की समाप्ति या समय पूर्व समाप्ति पर आय/व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है।

ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के रद्द होने पर प्राप्त/ प्रदत्त राशि को ऑप्शन पर वसूली गई प्राप्तियों/ हानियों के रूप में माना जाता है। विदेशी मुद्रा वायदा संविदा और स्वैप्स के रद्द होने/ समाप्ति पर प्राप्य/ देय प्रभागों को रद्द होने/ समाप्ति की तारीख को आय/व्यय के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

ब्याज दर फ्यूचर्स (आईआरएफ) का मूल्यांकन एक्सचेंज द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रत्येक निविदा के दैनिक समझौता मूल्य के आधार पर किया जाएगा।

तुलन-पत्र की तिथि को 'फेडाई' द्वारा अधिसूचित विनिमय दर के बंद भाव पर विदेशी मुद्रा में डेरिवेटिव संविदाओं को आकास्मिक देयताओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

## 4. अग्रिम

- 4.1 भारत में अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध या हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा इसके लिए पैरा 4.3 में दर्शाये प्रावधानों को छोड़कर भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानक निर्देशों के अनुसार किया जाता है। विदेशी शाखाओं द्वारा दिए गए अग्रिमों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानक निर्देशों के अनुसार अथवा उस देश, जिसमें अग्रिम दिए गए हैं, में विद्यमान मानदंडों में से जो भी कड़े मानदंड हो, के अनुरूप वर्गीकृत किया जाता है।

Currency Interest Rate Swaps, Exchange traded Rupee Interest Rate Future and Forward Rate Agreements. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency swaps and Exchange traded Currency Future. The Bank undertakes derivative transactions for market making/trading and hedging on-balance sheet assets and liabilities.

### 3.7 Valuation

Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

The hedge/ non-hedge transactions are recorded separately. Derivative contracts designated as hedges are not marked to market unless their underlying is marked to market. In cases where the underlying of the hedge is not subject to mark to market, the hedging instrument is to be accounted for on accrual basis. Trading derivative positions are marked to market and the resulting losses, if any, are recognized in the Profit and Loss Account and Profit, if any, is ignored. Income and expenditure relating to interest rate swaps are recognized on the settlement date. Gains/ Losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as immediate income/expenditure.

For the purpose of valuation, the fair value of the total swap is computed on the basis of the amount that would be receivable or payable on termination of the swap agreements as on the Balance sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for, while the profits, if any, are ignored.

The Bank follows the option premium accounting principle prescribed by FEDAI. Premium on option transaction is recognized as income/expense on expiry or early termination of the transaction.

The amounts received/paid on cancellation of option contracts are recognized as realized gains/losses on options. Charges receivable/payable on cancellation/ termination of foreign exchange forward contracts and swaps are recognized as income/expense on the date of cancellation/ termination.

Valuation of Interest Rate Futures (IRF) is carried out on the basis of the daily settlement price of each contract provided by the exchange.

Contingent Liabilities on account of derivative contracts denominated in foreign currencies are reported at closing rates of exchange notified by FEDAI at the Balance Sheet date.

## 4. ADVANCES

- 4.1 Advances in India are classified as Standard, Sub-standard, Doubtful or Loss assets and provision for advances are made as per the Prudential Norms of the RBI except as stated in para 4.3. In respect of Advances made in overseas branches, Advances are classified in accordance with Prudential Norms prescribed by the RBI or local laws of the host country in which advances are made, whichever is more stringent.



- 4.2 अग्रिम, विनिर्दिष्ट ऋणों पर हानि के प्रावधानों, उचित ब्याज, वादग्रस्त विविध जमा में प्राप्त एवं धारित राशि एवं प्राप्त दावा राशि का निवल हैं.
- 4.3 सतत व्यवहार के रूप में बैंक ने निम्नलिखित प्रावधानों का समावेश किया है-
- जमानती सब-स्टैंडर्ड अग्रिमों के लिए 15% की नियामक आवश्यकता की जगह पर 20% का प्रावधान.
  - एनपीए ऋणधारकों की गैर निधि आधारित सुविधाओं पर 50% क्रेडिट कनवर्जन फैक्टर (सीसीएफ़) का प्रावधान किया गया. प्रावधान ऋणकर्ता की निधि आधारित सुविधाओं की आस्तियों की श्रेणी पर आधारित है.
  - बैंक ने उन मौजूदा एनपीए खातों के लिए 100% प्रावधान भी किए हैं जो 6 माह से अधिक पुराने थे और संपार्श्विक मुक्त हैं जैसे कि ऑटो ऋण, शिक्षा ऋण, व्यक्तिगत ऋण.
  - संपत्ति गिरवी रख कर लिए गए ऋण जो प्रत्याभूत (संपार्श्विक) हैं तथा 2 वर्ष से अधिक समय से अनर्जक हैं, के लिए बैंक ने 100% प्रावधान किए हैं.
  - मौजूदा अनर्जक खाते जैसे ट्रैक्टर/ टिलर/ पावर टिलर हेतु ऋण जो 6 माह पुराने हैं, के लिए भी बैंक ने 100% प्रावधान किए हैं.
- 4.4 पुनर्निर्धारित/ पुनर्गठित खातों के संबंध में जहां बैंक को देय कुल राशि रु. 1 करोड़ एवं अधिक है. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्गठित अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान विद्यमान मूल्य शर्तों पर आकलन करते हुए किया जाता है. अन्य खातों के संबंध में उचित मूल्य में कमी हेतु प्रावधान की गणना भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमानतः कुल एक्सपोजर के 5% के रूप में की जाती है.
- 4.5 आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी)/ प्रतिभूतिकरण (सिक्वोरिटाइजेशन) कंपनी (एससी) को बेची गयी वित्तीय आस्तियों के मामले में, बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है. वर्तमान में बैंक द्वारा अनुपालन किये जा रहे दिशानिर्देशों के अनुसार यदि बिक्री निवल बही मूल्य से कम मूल्य (एनबीवी) पर की गयी हो (अर्थात् बही मूल्य में से प्रावधान घटा कर) तो हानि (कमी) को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाता है. यदि बिक्री मूल्य एनबीवी से ज्यादा है तो जिस वर्ष के दौरान राशि प्राप्त होती है, अधिक्य प्रावधान राशि लाभ एवं हानि खाते में रिवर्स कर दी जाती है.
- बैंकों को वित्तीय आस्तियों की बिक्री के मामले में और यह बिक्री निवल बही मूल्य से कम मूल्य (एनबीवी), (अर्थात् बही मूल्य में से प्रावधान हटा कर) पर हो, तो हानि को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाता है. यदि बिक्री मूल्य एनबीवी से ज्यादा है तो आधिक्य प्रावधान राशि रिवर्स नहीं की जाएगी बल्कि अन्य अनर्जक वित्तीय आस्तियों की बिक्री के कारण हुई हानि/ कमी को पूरा करने लिए उसका उपयोग किया जाएगा.
- 4.2 Advances are net of specific loan loss provisions, interest suspense, amount received and held in suit-filed Sundry Deposits and Claims Received.
- 4.3 As a constant practice, the Bank has made the additional provision on the following:
- Provision @ 20% on the Secured Sub-standard Advances as against the Regulatory requirement of 15%.
  - Provision is made on Non-fund based facilities of NPA Borrowers by applying 50% Credit conversion factor (CCF). The provision is based on the Asset class of fund based facility of the Borrower
  - Bank has also made 100% provision in respect of existing NPA accounts which are more than 6 months old and collateral free viz Auto Loan, Education Loan and Personal Loan .
  - With respect to Loan against mortgage of properties which are secured (collateral) and are NPA for more than 2 years, Bank has made 100% provision
  - Bank has also made 100% provision in respect of existing NPA accounts viz Loan for Tractors/ tiller/ Power tillers which are 6 month old.
- 4.4 In respect of Restructured accounts, Provision for diminution in fair value of restructured advances is measured at net present value terms as per RBI guidelines for accounts where total dues to bank are Rupees One crore and above. For other accounts, the provision for diminution in fair value is computed notionally at 5% of total exposure to the bank as per RBI Guidelines.
- 4.5 In case of sale of financial assets to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitization Company (SC), the bank is following the guidelines issued by Reserve Bank of India. At present, the guideline followed by the Bank is that if the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. Book value less provisions held) the shortfall is debited to the profit and loss account in the same year. If the sale value is higher than the NBV, excess provision is reversed to profit & loss account in the year the amounts are received.
- In case of sale of financial assets to banks, and the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. Book value less provisions held) the shortfall is debited to the profit and loss account in the same year. If the sale value is higher than the NBV, excess provision shall be not reversed but will be utilised to meet the shortfall / loss on account of sale of other non-performing financial assets.
- 5. FLOATING PROVISIONS:**
- The Bank has a policy for creation and utilisation of floating provisions separately for advances, investments and general purposes. The quantum of floating

प्रावधानों की मात्रा का आकलन किया जाता है। इन अस्थायी प्रावधानों का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति से केवल पॉलिसी में दर्शाई गई असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत आकस्मिकताओं के लिए ही किया जाता है।

#### 6. अचल आस्तियां

6.1 परिसर व अन्य अचल आस्तियां परंपरागत मूल्य [या पुनर्मूल्यांकित राशियों, जैसा भी मामला हो] में से संचित मूल्यहास और अक्षत हानियों, यदि कोई हो, को घटा कर दर्शाया गया है। लागत में खरीद मूल्य तथा आस्ति को उसके अभीष्ट उपयोग के लिए चालू स्थिति में लाने हेतु की गई कोई खरीद लागत समाविष्ट है। जब ऐसी आस्ति का/से भविष्य में लाभ/कार्यशील दक्षता बढ़ती है, तो आस्तियों पर किए गए बाद के व्यय को पूंजीगत किया जाता है। अचल संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त लाभ बैंक के लाभ एवं हानि खाते का भाग होता है।

#### 6.2 अचल आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन

चालू बाजार मूल्यांकन दर्शाने हेतु अचल संपत्तियों के पोर्टफोलियो का पुनर्मूल्यांकन स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा आवधिक आधार पर किया जाता है। अचल आस्तियों की श्रेणी में बैंक के स्वामित्व वाले और शाखाओं, प्रशासनिक कार्यालयों, स्टाफ के आवासों आदि के रूप में उपयोग की गई सभी भूमि और बिल्डिंग को बैंक के अपने परिसरों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। नवीनतम मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार मूल्यांकन, यदि कोई हो, पुनर्मूल्यांकन पर प्रारक्षित निधि के तहत पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व में जमा किया जाता है। पुनर्मूल्यांकित आस्ति पर अतिरिक्त मूल्यहास को लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है तथा पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि से अन्य राजस्व प्रारक्षित निधि में विनियोजित किया जाता है।

6.3 परिसरों में भूमि एवं निर्माणाधीन परिसरों को शामिल किया गया है।

#### 7. प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष

राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियों में सम्बद्ध देशों के प्रचलित स्थानीय कानूनों के अनुसार विदेशी शाखाओं/अनुषंगियों द्वारा सृजित सांविधिक प्रारक्षित निधियों को शामिल किया गया है।

#### 8. राजस्व का निर्धारण

8.1 आय (पैराग्राफ 8.2 में दी गई मदों को छोड़कर)/व्यय की गणना सामान्यतः उपचय आधार पर की गई है। विदेशी कार्यालयों के मामले में आय/व्यय की गणना उस देश के कानून के अनुसार की गयी है, जहां पर विदेशी कार्यालय स्थित है।

8.2 गारंटियों, साख पत्रों, विनिमय, दलाली आदि पर कमीशन, अग्रिम बिलों पर ब्याज, शुल्क आय, सभी प्रकार के कमीशन (सरकारी कारोबार और तृतीय पक्ष उत्पादों की बिक्री से प्राप्त कमीशन के अलावा) के माध्यम से आय को वसूली आधार पर हिसाब में लिया जाता है। अनुषंगियों, संयुक्त उपक्रमों तथा सहयोगी कंपनियों के शेयरों पर लाभांश वास्तविक प्राप्ति के आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।

8.3 अनर्जक आस्तियों/निवेशों पर आय के संग्रह की अनिश्चितता की दृष्टि से, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ऐसी आय सिर्फ वसूल होने पर ही लेखांकित होती है।

8.4 जहां स्वामित्व का जोखिम एवं लाभ पट्टेदार अपने पास रखता है उस लीज को लेखा मानक 19 (लीज) के अनुसार परिचालन लीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे लीज पर लीज भुगतानों को लेखा मानक 19 (लीज) के अनुसार लीज शर्त पर स्ट्रेट लाइन आधार पर लाभ और हानि खाते में स्वीकार किया जाता है।

provisions to be created is assessed every year. The floating provisions are utilised only for contingencies under extraordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India.

#### 6 FIXED ASSETS

6.1 Premises and other fixed assets are stated at historical cost (or revalued amounts, as the case may be), less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Cost comprises the purchase price and any attributable cost of bringing the asset to its working condition for its intended use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalised only when it increases the future benefit / functioning capability from / of such assets. Profit on sale of immovable properties are being formed part of profit and loss account of the Bank.

#### 6.2 Revaluation of Fixed Assets

Portfolio of immovable properties is revalued periodically by an independent valuer to reflect current market valuation. All land and building owned by the Bank and used as branches, administrative offices, staff quarters etc. are grouped under Bank's own premises in fixed assets category. Appreciation as per latest valuation report, if any, on revaluation is credited to Revaluation Reserve under Capital Reserves. Additional Depreciation on the revalued asset is charged to the Profit and Loss Account and appropriated from the Revaluation Reserves to Other Revenue Reserve.

6.3 Premises include land and building under construction.

#### 7 RESERVES AND SURPLUS

Revenue and other Reserves include Statutory Reserves created by foreign branches/ subsidiaries as per applicable local laws of the respective countries.

#### 8 REVENUE RECOGNITION

8.1 Income (other than item referred in Paragraph 8.2)/ expenditure is generally recognised on accrual basis. In case of foreign offices, income/ expenditure is recognised as per the local laws of the country in which the respective foreign office is located.

8.2 Income by way of Fees, all Commissions (other than on Government business and commission from sale of third party products), Commission on Guarantees, Letter of Credits, Exchange and Brokerage and Interest on Advance Bills are accounted for on realisation basis. Dividend on shares in Subsidiaries, joint ventures and associates is accounted on realisation basis.

8.3 In view of uncertainty of collection of income in cases of Non-performing Assets/Investments, such income is accounted for only on realisation in terms of the RBI guidelines.

8.4 Lease where risks & rewards of ownership are retained by lessor are classified as Operating Lease as per AS 19 (Leases). Lease payments on such lease are recognised in Profit & Loss Account on a straight line basis over the lease term in accordance with AS 19.





8.5 एनपीए खातों में वसूली का समायोजन:

खातों में समय-समय पर हुई वसूलियों (जनधन वसूली अधिनियम के तहत वसूली सहित) को निम्नानुसार समायोजित किया जाना चाहिये

- बैंक द्वारा सभी लागतों, कमीशन, प्रभारों एवं प्रदत्त या अदत्त व्ययों के प्रति
- बैंक पर बकाया ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, आगामी ब्याज, दंडात्मक ब्याज के प्रति
- मूलधन के भुगतान के लिए

दावा-दायर/ डिक्री खातों में वसूली को विनियोजित किया जाना चाहिए:

- संबंधित अदालत के निर्देशों के अनुसार.
- अदालत के विनिर्दिष्ट निर्देशों के अभाव में, गैर वाद-दायर खातों पर यथा लागू.

कॉम्प्रोमाइज/ एनसीएलटी समाधान के माध्यम से समझौता द्वारा वसूली.

एनसीएलटी या कॉम्प्रोमाइज मंजूर खाते के माध्यम से संकल्प/ समझौते के मामले में, वसूली को कॉम्प्रोमाइज मंजूरी/ समाधान समझौते की शर्तों के अनुसार समायोजित किया जाना चाहिए.

9. कर्मचारियों को लाभ

9.1 भविष्य निधि

बैंक ऑफ बड़ौदा पीएफ नियमों के अनुसार भविष्य निधि अंशदान योजना एक सांविधिक दायित्व है और बैंक पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है. बैंक का दायित्व निश्चित अंशदान तक सीमित है. अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है. निधियों का प्रबंधन बैंक ऑफ बड़ौदा भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है.

9.2 उपदान

बैंक ऑफ बड़ौदा उपदान निधि नियमों एवं विनियमों तथा उपदान भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार उपदान देयता एक सांविधिक दायित्व है. यह वित्तीय वर्ष के अंत में संचित मूल्य आधार पर प्रावधान किया जाता है. बैंक द्वारा उपदान देयता के लिए राशि उपलब्ध करवायी जाती है और बैंक ऑफ बड़ौदा उपदान निधि न्यास इसका प्रबंधन करता है.

9.3 पेंशन

बैंक ऑफ बड़ौदा कर्मचारी पेंशन विनियम, 1995 के अंतर्गत पेंशन देयता बाध्यता के रूप में व्याख्या की गयी है और वर्ष के अंत में संचित मूल्य आधार पर इसका प्रावधान किया जाता है. यह उन कर्मचारियों के लिए है, जिन्होंने 31.03.2010 तक बैंक सेवा ग्रहण की और पेंशन का विकल्प लिया है. बैंक ऑफ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन फंड न्यास द्वारा इस योजना के लिए राशि उपलब्ध करवायी जाती है.

जिन कर्मचारियों ने बैंक सेवा 01.04.2010 को या उसके बाद ग्रहण की है, उनके लिए नई पेंशन योजना परिभाषित अंशदान आधार पर लागू है. बैंक द्वारा पूर्व निर्धारित निश्चित अंशदान का भुगतान किया जाता है. बैंक का दायित्व ऐसे पूर्व निर्धारित अंशदान तक ही सीमित है. अंशदान लाभ एवं हानि खाते से प्रभारित किया जाता है.

8.5 Appropriation of recoveries in NPA accounts :

Recoveries effected in the account (including recovery under Public Money Recovery Act) from time to time should be appropriated in the following manner:

- towards all costs, commission, charges and expenses paid or incurred by the Bank
- towards interest, additional interest, further interest, penal interest due to the Bank
- towards payment of the principal money

Recovery in suit filed/ decreed accounts should be appropriated:

- As per the directives of the concerned Court.
- In the absence of specific directives from the Court, as applicable to non-suit filed accounts.

Recovery by settlement through compromise/NCLT Resolution:

In case of Resolution/Settlement through NCLT or compromise sanctioned account, recovery should be appropriated as per the terms of compromise sanction/ resolution settlement.

9 EMPLOYEE BENEFITS

9.1 PROVIDENT FUND

Provident fund is a statutory obligation as per Bank of Baroda PF Rules as the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Bank of Baroda Provident Fund Trust.

9.2 Gratuity

Gratuity liability is a statutory obligation being higher of gratuity payment as per Bank of Baroda Gratuity Fund Rules and Regulations and Payment of Gratuity Act 1972. This is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The gratuity liability is funded by the bank and is managed by Bank of Baroda Gratuity Fund Trust.

9.3 Pension

Pension liability is a defined benefit obligation under Bank of Baroda Employees Pension Regulations 1995 and is provided for on the basis of actuarial valuation made at the end of the financial year, for the employees who have joined Bank up to March 31, 2010 and opted for pension. The pension liability is funded by Bank of Baroda (Employees) Pension Fund Trust.

New Pension Scheme which is applicable to employees who joined bank on or after April 1, 2010 is a defined contribution scheme, Bank pays fixed contribution at pre determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

**9.4 प्रतिपूरित अनुपस्थिति**

संचित प्रतिपूरित अनुपस्थितियां यथा उपार्जित अवकाश (पीएल) और चिकित्सा अवकाश के लिए संचित मूल्य के आधार पर प्रावधान किया जाता है।

**9.5 अन्य कर्मचारी लाभ**

अन्य कर्मचारी लाभ यथा छुट्टी नकदीकरण, छुट्टी यात्रा रियायत, अतिरिक्त सेवांत लाभ आदि के लिए संचित मूल्य के आधार पर प्रावधान किया जाता है।

विदेशी शाखाओं/ कार्यालयों के संदर्भ में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों के लिए संबंधित देश में विद्यमान नियमों के अनुसार लाभों का आकलन किया जाता है।

**10. मूल्यहास**

10.1 भारत में अचल आस्तियों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान [पैराग्राफ 10.3 व 10.4 में जिनका उल्लेख किया गया है, के अलावा] निम्नलिखित टेबल के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार प्रावधान किया जाता है, सिवाय पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के, जिनके लिए अनुमानित उपयोग अवधि के आधार पर मूल्यहास प्रावधान किया जाता है।

क्र. सं.	श्रेणी	मूल्यहास के प्रभावी दर	मूल्यहास प्रक्रिया
<b>1.</b>	<b>फर्नीचर एवं फिटिंग्स</b>		
	ए. फर्नीचर एवं फिटिंग्स	25.89%	अवलिखित मूल्य
	बी. वातानुकूलक प्लांट, अन्य प्लांट आदि.	18.1%	अवलिखित मूल्य
	सी. सुरक्षित जमा वॉल्ट उपकरण	18.1%	अवलिखित मूल्य
	डी. कैश वैन, जीप, स्कूटर एवं अन्य वाहन		अवलिखित मूल्य
	- दो पहिया वाहन	25.89%	अवलिखित मूल्य
	- चार पहिया वाहन	31.23%	अवलिखित मूल्य
	ई. कार्यालय के उपकरण	45.07%	अवलिखित मूल्य
<b>2.</b>	<b>बैंक का अपना परिसर</b>		अवलिखित मूल्य
	- आरसीसी फ्रेम संरचना	4.87%	अवलिखित मूल्य
	- आरसीसी फ्रेम संरचना के बिना	9.50%	अवलिखित मूल्य

**9.4 Compensated Absences**

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave and unavailed sick leave are provided for based on actuarial valuation.

**9.5 Other Employee Benefits**

Other Employee benefits such as Leave Encashment, Leave Fare Concession and Additional Retirement Benefit on Retirement are provided for based on actuarial valuation.

In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

**10 DEPRECIATION**

10.1 Depreciation on Fixed Assets in India [other than those referred in Paragraph 10.3 and 10.4] is provided in accordance with Schedule II to the Companies Act, 2013, as per following table, except in case of revalued assets, in respect of which depreciation is provided on the basis of estimated useful life of these revalued assets

Sr. No.	Category	Effective Rate of Depreciation	Depreciation Method
<b>1.</b>	<b>FURNITURE &amp; FITTINGS</b>		
a.	Furniture & Fittings	25.89%	Written Down Value
b.	Air-conditioning Plants, Other Plant etc.	18.1%	Written Down Value
c.	Safe Deposit Vault Equipments	18.1%	Written Down Value
d.	Cash Vans, Jeeps, Scooters & Other Vehicles		Written Down Value
	- Two wheelers	25.89%	Written Down Value
	- Four Wheelers	31.23%	Written Down Value
e.	Office Equipment	45.07%	Written Down Value
<b>2.</b>	<b>BANK'S OWN PREMISES</b>		
-	RCC Frame Structure	4.87%	Written Down Value
-	Without RCC Frame Structure	9.50%	Written Down Value



- 10.2 भारत से बाहर अचल आस्तियों पर, (नीचे पैरा 10.3 में वर्णित को छोड़कर) मूल्यहास स्थानीय कानूनों या संबंधित देश में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है.
- 10.3 भारत और भारत के बाहर कंप्यूटरों व सॉफ्टवेयरों जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर के अभिन्न अंग हैं, पर मूल्यहास भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्ट्रेट लाइन विधि से 33.33% प्रति वर्ष की दर से किया गया है. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो कि हार्डवेयर का अनिवार्य अंग नहीं है, को सीधे ही लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.
- 10.4 एटीएम पर मूल्यहास का प्रावधान स्ट्रेट लाइन पद्धति से 20% प्रतिवर्ष की दर से किया जाता है.
- 10.5 परिवर्द्धनों पर मूल्यहास खरीद / उपयोग की तारीख से अनुपातिक आधार पर लिया जाता है.
- 10.6 पट्टे पर धारित जमीन और पट्टे पर धारित जमीन पर किए गए विकास की लागत पट्टा अवधि में चुकता (एमोर्टाईज) की जाती है.
- 10.7 नवीनतम उपलब्ध पुनर्मूल्यांकन के कारण आस्ति के निवल बही मूल्य में वृद्धि को लाभ और हानि खाते के माध्यम से रूट किए बिना पुनर्मूल्यांकन रिजर्व खाते में जमा किया जाता है. पुनर्मूल्यांकन आस्ति पर अतिरिक्त मूल्यहास लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है और पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से अन्य राजस्व रिजर्व में विनियोजित किया जाता है.
- 10.8 पुनर्मूल्यांकन के समय मूल्यांकन के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आस्ति का मूल्यहास परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर आधारित होता है.
- 10.2 Depreciation on Fixed Assets outside India [other than those referred to in Para 10.3 below] is provided as per local laws or prevailing practices of the respective territories.
- 10.3 Depreciation on Computers and Software forming an integral part of Computer Hardware, in and outside India is provided on Straight Line Method at the rate of 33.33% p.a., as per the guidelines of RBI. Computer software not forming part of an integral part of hardware is charged directly to Profit and Loss Account.
- 10.4 Depreciation on ATMs is provided on Straight Line Method at the rate of 20% p.a.
- 10.5 Depreciation on additions is provided proportionately from the date of purchase/put to use.
- 10.6 Cost of leasehold land and leasehold improvements are amortised over the period of lease
- 10.7 The increase in Net Book Value of the asset due to latest available revaluation is credited to the Revaluation Reserve Account without routing through the Profit and Loss Account. Additional Depreciation on the revalued asset is charged to the Profit and Loss Account and appropriated from the Revaluation Reserves to Other Revenue Reserve.
- 10.8 The Revalued Asset is depreciated over the balance useful life of the asset as assessed at the time of revaluation.

## 11. आस्तियों का मूल्यहास

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) पर मूल्यहास हानियों (यदि कोई हो) को आस्तियों के मूल्यहास के संबंध में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक 28 (आस्तियों का मूल्यहास) के अनुसार किया जाता है तथा इसे लाभ एवं हानि खाते से प्रभारित किया जाता है.

यदि आंतरिक/ बाहरी कारकों के आधार पर मूल्यहास का कोई लक्षण दिखाई देता है तो आस्तियों की वहन लागत राशि की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है. मूल्यहास हानि की पहचान वहाँ की जाती है जहाँ आस्तियों की वहन लागत राशि वसूली की राशि से अधिक हो जाती है. वसूली योग्य राशि आस्तियों की निवल बिक्री राशि और उपयोग में लायी जा रही आस्ति के मूल्य से अधिक होती है. उपयोग में लायी जा रही आस्ति के मूल्य का निर्धारण करते समय अनुमानित नकदी प्रवाह को उनके वर्तमान मूल्य में से बट्टा काट कर किया जाता है. इसके लिए पूर्व-कर बट्टा दर का उपयोग किया जाता है जो राशि के समय आधारित मूल्य और आस्ति से संबंधित विशेष जोखिम के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को प्रदर्शित करता है. मूल्यहास के बाद आस्तियों की शेष बची हुई उपयोग अवधि के ऊपर अवमूल्यन उपलब्ध कराया जाता है.

## 12. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

- 12.1 विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित संव्यवहारों का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखामानक (एस) 11 "विदेशी मुद्रा विनिमय दरों के परिवर्तन का प्रभाव" के अनुरूप किया गया है.
- 12.2 लेखा मानक - एस-11 के अनुसार बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों को ए) एकीकृत परिचालनों एवं बी) गैर-एकीकृत परिचालनों के रूप में

## 11 IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment losses (if any) on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised in accordance with AS 28 (Impairment of Assets) issued by the ICAI and charged off to Profit and Loss Account.

The carrying amount of assets is reviewed at each Balance Sheet date if there is any indication of impairment based on internal/external factors. An impairment loss is recognised wherever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risks specific to the asset. After impairment, depreciation is provided on the revised carrying amount of the asset over remaining useful life.

## 12 FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

- 12.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with Accounting Standard (AS) 11, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", issued by The Institute of Chartered Accountants of India.
- 12.2 As stipulated in AS-11, the foreign currency operations of the Bank are classified as a) Integral Operations and b) Non Integral Operations. All Overseas Branches, Off-

वर्गीकृत किया गया है। सभी विदेशी शाखाओं, ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों, विदेशी अनुषंगियों को गैर-एकीकृत परिचालन एवं विदेशी मुद्रा में घरेलू परिचालनों एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन के रूप में माना जाता है।

### 12.3 एकीकृत परिचालनों के संबंध में अंतरण:

- ए) संव्यवहारों को प्राथमिक तौर पर फेडाई द्वारा सूचित की गयी साप्ताहिक औसत दरों पर रिकार्ड किया जाता है।
- बी) विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गयी क्लोजिंग स्पॉट दरों पर अंतरित किया जाता है।
- सी) परिणामी विनिमय अंतरों की गणना आय अथवा व्यय के रूप में की गयी है तथा इन्हें तदनुसार लाभ हानि खाते में लेखांकित किया गया है। विदेशी मुद्रा आस्ति देयताओं संबंधी किसी भी भुगतान अथवा रिवर्सल को पिछले सप्ताह की औसत क्लोजिंग दरों के आधार पर किया गया है तथा बकाया राशि एवं उस राशि, जिसके लिए भुगतान किया गया है/रिवर्सल किया गया है, के बीच के अंतर को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया गया है।
- डी) व्यापार हेतु धारित बकाया विदेशी मुद्रा हाजिर एवं वायदा संविदाओं के तुलन-पत्र की तिथि को 'फेडाई' द्वारा अधिसूचित बंद हाजिर एवं वायदा बाजार संविदा दरों एवं अन्तरिम परिपक्वता संविदाओं को 'इन्टरपालेटेड' दरों पर बाजार को चिन्हित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त किए गए एमटीएम मूल्य को, एमटीएम के मौजूदा मूल्य पर भुनाया जाता है। इस एमटीएम का पीवी आधार पर हाजिर एवं वायदा संव्यवहारों के पुनर्मूल्यांकन हेतु उपयोग किया जाता है। इसके फलस्वरूप वायदा मूल्यांकन लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में शामिल किया जाता है।

### 13. आय पर कर

इसमें भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के लेखांकन मानदंड 22 (आय पर करों का लेखांकन) के अनुसार निर्धारित (सम्बद्ध अवधि के लिए लेखा आय तथा कर योग्य आय के बीच भिन्नता से करों के प्रभाव को दर्शाते हुए) आयकर के लिए प्रावधान, आस्थगित कर अथवा क्रेडिट शामिल हैं। आस्थगित कर का आकलन आमदनी एवं खर्च की उन मदों के संबंध में, जो किसी एक अवधि में निर्धारित होती है और जो एक अथवा अधिक परवर्ती अवधियों में प्रत्यावर्तन योग्य हैं, को ध्यान में रखकर किया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं पर कर की गणना अधिनियमित कर दरों पर उन वर्षों की अपेक्षित दरों पर की जाती है जिन वर्षों में इनकी प्राप्ति, रिवर्सल अथवा निस्तारण की संभावना होती है। आस्थगित कर देयताओं एवं आस्तियों पर कर की दरों में परिवर्तन के प्रभाव को उस अवधि की आय विवरणी, जिसमें ऐसे परिवर्तन को अधिनियमित किया गया हो, में हिसाब में लिया जाता है।

### 14. प्रति शेयर अर्जन

बैंक, आधारभूत एवं डाइल्यूटेड प्रति इक्विटी शेयर अर्जन को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक एएस 20 (प्रति शेयर आय) के अनुसार रिपोर्ट करता है। आधारभूत प्रति शेयर अर्जन की गणना, निवल आय की उस अवधि के लिए बकाया

shore Banking Units, Overseas Subsidiaries are treated as Non Integral Operations and domestic operations in foreign exchange and Representative Offices are treated as Integral Operations.

### 12.3 Translation in respect of Integral Operations:

- a) The transactions are initially recorded on weekly average rate as advised by FEDAI.
- b) Foreign Currency Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.
- c) The resulting exchange differences are recognized as income or expenses and are accounted through Profit & Loss Account. Any reversal / payment of foreign currency assets & liabilities is done at the weekly average closing rate of the preceding week and the difference between the outstanding figure and the amount for which reversal / payment is made, is reflected in profit and loss account.
- d) Foreign exchange spot and forward contracts outstanding as at the balance sheet date and held for trading, are marked to market at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities. The MTM values thus obtained are discounted to arrive at present value of MTM. This MTM is used to revalue the spot and forward transactions on PV basis. The resulting Forward Valuation profit or loss is included in the Profit & Loss Account.

### 13 TAXES ON INCOME

This comprise of provision for Income tax and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period) as determined in accordance with AS 22 (Accounting for taxes on Income) issued by ICAI. Deferred tax is recognised subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets and liabilities are measured using enacted tax rates expected to apply to taxable income in the years in which the timing differences are expected to be reversed. The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in tax rates is recognised in the income statement in the period of enactment of the change.

### 14 EARNINGS PER SHARE

The bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the AS 20 (Earnings Per Share) issued by the ICAI. Basic earnings per equity share has been computed by dividing net income by the weighted average number of equity shares



भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित कर की गयी है। डाइल्यूटेड प्रति शेयर अर्जन की गणना निवल आय को उस अवधि के लिए बकाया भारित औसत इक्विटी शेयरों एवं उस अवधि के दौरान डाइल्यूटिव सम्भाव्य इक्विटी शेयरों की संख्या के आधार पर की गयी है।

#### 15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक 29 (आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान) के अनुसार बैंक द्वारा आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान केवल विगत में हुई किसी घटना के लिए उत्पन्न हुए वर्तमान दायित्व के लिए किया जाता है। यह संभव है कि इस दायित्व के निस्तारण के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता हो और तब दायित्व निर्वहन हेतु ऐसी राशि का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है।

आर्थिक हित युक्त संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना के लगभग न होने की स्थिति तक आकस्मिक देयताओं को प्रकट किया जाता है।

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरण में निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि इससे आय के निर्धारण की संभावना बनेगी जो कभी प्राप्त ही न हो।

#### 16. सेगमेंट रिपोर्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुपालन में बैंक व्यवसाय सेगमेंट को प्राथमिक रिपोर्टिंग सेगमेंट के रूप में और भौगोलिक सेगमेंट को द्वितीयक रिपोर्टिंग सेगमेंट के रूप में मान्यता देता है।

#### 17. नकद एवं नकद के समतुल्य

नकद एवं नकद के समतुल्य में उपलब्ध नकदी और एटीएम में नकदी, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अधिशेष राशि, अन्य बैंकों के पास अधिशेष राशि और मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि (विदेशी मुद्रा में नकद एवं नकद के समतुल्य में प्रभावी विनिमय दरों में परिवर्तन को शामिल करते हुए) शामिल है।

outstanding for the period. Diluted earnings per equity share has been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

#### 15. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

As per AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) issued by the ICAI, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent Assets are not recognised in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.

#### 16. SEGMENT REPORTING

The Bank recognizes the Business Segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

#### 17. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents include cash in hand and ATMs, balances with the Reserve Bank of India, balances with other banks and money at call and short notice (including effect of changes in exchange rates on cash and cash equivalents in foreign currency).

## अनुसूची -18 लेखों पर टिप्पणियां Schedule-18 Notes on Accounts

ए. भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार प्रकटीकरण  
ए-1 पूंजी

A. Disclosure in terms of RBI requirements  
A-1 Capital

		(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)		
विवरण	Particulars	31 मार्च 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च 2020 को As on March 31, 2020	
		बेसेल III Basel III		
i)	कॉमन इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	Common Equity Tier 1 Capital Ratio (%)	10.94%	9.44%
ii)	टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	Tier 1 Capital Ratio (%)	12.67%	10.71%
iii)	टियर 2 पूंजी अनुपात (%)	Tier 2 Capital Ratio (%)	2.32%	2.59%
iv)	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%)	Total Capital Ratio (CRAR) (%)	14.99%	13.30%
v)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	Percentage of the shareholding of the Govt. of India	63.97%	71.60%
vi)	अर्जित इक्विटी पूंजी की राशि	Amount of Equity Capital Raised	110.16*	395.01
vii)	आवेदन पत्र राशि लंबित आबंटन	Application Money Pending allotment	0.00	0.00
viii)	अर्जित अतिरिक्त टियर 1 पूंजी की राशि, जिसमें से स्थायी ऋण लिखत (पीडीआई)	Amount of Additional Tier 1 capital raised, of which Perpetual Debt Instrument (PDI)	3,735.00 3,735.00	3,397.00 3,397.00
	अर्जित अतिरिक्त टियर 2 पूंजी की राशि, जिसमें से ऋण पूंजी लिखत	Amount of Additional Tier 2 capital raised, of which Debt Capital Instrument	-- --	3,420.00 3,420.00

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने परिपत्र संख्या डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.83/21.06.201/2015-16 दिनांक 1 मार्च, 2016 के माध्यम से बैंकों को सीईटी-1 पूंजी अनुपात के रूप में पूंजी पर्याप्तता की गणना करने के उद्देश्य से पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि, विदेशी मुद्रा रूपांतरित आरक्षित निधि और आस्थगित कर आस्ति को स्वीकार करने हेतु विवेकाधिकार दिया है. बैंक ने उपर्युक्त गणना में इस विकल्प का प्रयोग किया है.
- RBI vide circular No. DBR.No.BPBC.83/21.06.201/2015-16 dated 1 March 2016 has given discretion to Banks to consider Revaluation reserve, foreign currency translation reserve and Deferred tax asset for the purpose of computation of Capital Adequacy as CET-I capital ratio. The Bank has exercised this option in above computation.
- \*वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, बैंक ने बैंक की विकास योजनाओं को सहायता प्रदान करने और अन्य सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए बैंक की टियर I पूंजी को बढ़ाने हेतु सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार क्वालिफाइड इन्स्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के तहत कुल ₹ 4500.00 करोड़ के ₹ 81.70 प्रति इक्विटी शेयर (₹79.70 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम सहित) के निर्गम मूल्य पर ₹ 2 के अंकित मूल्य वाले 55,07,95,593 इक्विटी शेयर, जारी और आबंटित किए हैं. समिति द्वारा क्यूआईपी के तहत इक्विटी शेयरों के आबंटन को दिनांक 03.03.2021 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया है.
- \*During the FY 2020-21, the Bank has issued and allotted 55,07,95,593 equity shares having face value of ₹ 2 each at an issue price of ₹ 81.70 per equity shares (including premium of ₹ 79.70 per equity share), under Qualified Institutional Placement (QIP) in accordance with the provisions of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 aggregating to ₹ 4500.00 Crores for augmenting Bank's Tier I capital to support growth plans of the Bank and for other general corporate purposes. The allotment of equity shares under QIP is approved by the committee in its meeting held on 03.03.2021.



ए) बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में संचलन का विवरण निम्नानुसार है:

A) The details of the movement in the paid-up equity share capital of the Bank are given below:

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
प्रारंभिक शेष	Opening balance	924.11	529.10
समामेलन के कारण योग	Addition pursuant to Amalgamation	0.00	154.53
अधिमानी आबंटन के कारण योग	Addition pursuant to Preferential allotment	0.00	216.00
स्टॉक विकल्प के प्रयोग के कारण योग	Addition pursuant to stock options exercised	0.00	24.48
क्यूआईपी के उपरांत योग	Addition pursuant to QIP	110.16	0.00
अंतिम शेष	Closing Balance	1,034.27	924.11
जोड़ें: जब्त किए गए शेयर	Add: Forfeited Shares	1.26	1.26
कुल	Total	1,035.53	925.37

बी) 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने ऋण लिखत पात्र टियर I पूंजी अर्जित किया है जिसका विवरण निम्नानुसार है :

B) During the year ended 31 March 2021, the Bank raised Debt Instruments eligible Tier I Capital, the details of which are as under:

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

पूंजी (टियर I/ टियर II/ अतिरिक्त)	Capital (Tier I/TierII/Additional)	लिखत (सिरीज़) Instrument (Series)	परिपक्वता की तारीख Date of Maturity	अवधि Period	कूपन Coupon	राशि Amt
बासेल III अनुपालित एटी 1	Basel III Compliant AT 1	XII	लागू नहीं/NA	स्थायी/Perpetual	8.25%	764.00
बासेल III अनुपालित एटी 1	Basel III Compliant AT 1	XIII	लागू नहीं/NA	स्थायी/Perpetual	8.50%	981.00
बासेल III अनुपालित एटी 1	Basel III Compliant AT 1	XIV	लागू नहीं/NA	स्थायी/Perpetual	8.50%	833.00
बासेल III अनुपालित एटी 1	Basel III Compliant AT 1	XV	लागू नहीं/NA	स्थायी/Perpetual	8.15%	969.00
बासेल III अनुपालित एटी 1	Basel III Compliant AT 1	XVI	लागू नहीं/NA	स्थायी/Perpetual	8.15%	188.00
						3,735.00

As on 31.03.2020 / 31.03.2020 को

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

पूंजी (टियर I/ टियर II/ अतिरिक्त)	Capital (Tier I/TierII/ Additional)	लिखत (सिरीज़) Instrument (Series)	जारी करने की तारीख Date of Issue	परिपक्वता की तारीख Date of Maturity	अवधि Period	कूपन Coupon	राशि Amt
बासेल III अनुपालित एटी 1	Basel III Compliant AT 1	X	28-नव-19 28-Nov-19	लागू नहीं NA	स्थायी Perpetual	8.70%	1,650.00
बासेल III अनुपालित एटी 1	Basel III Compliant AT 1	XI	18-दिसं -19 18-Dec-19	लागू नहीं NA	स्थायी Perpetual	8.99%	1,747.00
							3,397.00



- सी) 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने गौण बॉन्ड / ऋण लिखत पात्र टियर II पूंजी अर्जित की -- शून्य
- C) During the year ended 31 March 2021, the Bank raised Subordinated Bonds/Debt Instruments eligible Tier II Capital - NIL
- डी) 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने गौण बॉन्ड / ऋण लिखत पात्र टियर II पूंजी अर्जित किया है जिसके विवरण निम्नानुसार हैं :
- D) During the year ended 31 March 2020, the Bank raised Subordinated Bonds/Debt Instruments eligible Tier II Capital - the details of which are as under:

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

पूंजी (टियर I/ टियर II/ अतिरिक्त)	Capital (Tier I/Tier II/Additional)	लिखत (सिरीज़) Instrument (Series)	जारी करने की तारीख Date of Issue	परिपक्वता की तारीख Date of Maturity	अवधि Period	कूपन Coupon	राशि Amt
बासेल III अनुपालित टियर II	Basel III Compliant Tier II	XXII	11-सितं-19 11-Sep-19	11-सितं-34 11-Sep-34	15 वर्ष 15 years	7.75%	500.00
बासेल III अनुपालित टियर II	Basel III Compliant Tier II	XXIII	03-जन-20 03-Jan-20	03-जन-30 03-Jan-30	10 वर्ष 10 years	7.44%	920.00
बासेल III अनुपालित टियर II	Basel III Compliant Tier II	XXIV	15-जन-20 15-Jan-20	15-जन-35 15-Jan-35	15 वर्ष 15 years	7.84%	2,000.00
							3,420.00

- ई) 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने टियर I / टियर II पूंजी के लिए पात्र ऋण लिखतों का मोचन किया जिसका विवरण निम्नानुसार है:
- E) During the year ended 31 March 2021, the Bank redeemed Debt Instruments eligible for Tier I /Tier II Capital, the details of which are as under:

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

पूंजी (टियर I/ टियर II/ अतिरिक्त)	Capital (Tier I/Tier II/ Additional)	लिखत (सिरीज़) Instrument (Series)	परिपक्वता की तारीख Date of Maturity	अवधि Period	कूपन Coupon	राशि Amt
बासेल III अनुपालित टियर II	IPDI	IV	लागू नहीं / Not Applicable (कॉल की तारीख 8-जून-19) (Date of call 27-Aug-20)	स्थायी Perpetual	9.05%	711.50
बासेल III अनुपालित टियर II	Basel III Compliant AT 1	III (EVB)	लागू नहीं / Not Applicable (कॉल की तारीख 30-मार्च-21) (Date of call 30-Mar-21)	स्थायी Perpetual	11.25%	500.00
बासेल III अनुपालित टियर II	Basel II Upper Tier II	XIII	31-May-25 (कॉल की तारीख 31-00-20) (Date of call 31-May-20)	15 वर्ष 15 years	8.48%	500.00
	Basel II Upper Tier II	XIV	30-Jun-25 (कॉल की तारीख 30-जून-20) (Date of call 30-Jun-20)	15 वर्ष 15 years	8.48%	500.00
बासेल III अनुपालित टियर II	Basel II Upper Tier II	XV	10-Aug-25 (Date of call 10-Aug-20)	15 वर्ष 15 years	8.52%	500.00
						2,711.50





एफ) 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने टियर I / टियर II पूंजी के लिए पात्र ऋण लिखतों का मोचन किया, जिसका विवरण निम्नानुसार है  
 F) During the year ended 31 March 2020, the Bank redeemed Debt Instruments eligible for Tier I /Tier II Capital, the details of which are as under:

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)						
पूंजी (टियर I/ टियर II/ अतिरिक्त)	Capital (Tier I/TierII/ Additional)	लिखत (सिरीज़) Instrument (Series)	परिपक्वता की तारीख Date of Maturity	अवधि Period	कूपन Coupon	राशि Amount
बासेल II अपर टियर II	Basel II Upper Tier II	XI	8-जून-24 (कॉल की तारीख 8-जून -19) 8-Jun-24 (Date of call 8-Jun-19)	15 वर्ष 15 years	8.38%	500.00
बासेल III एटी- I	BASEL III AT-I	V	लागू नहीं (कॉल की तारीख 9-जन -20) NA (Date of call 9-Jan-20)	स्थायी Perpetual	9.48%	1,000.00
बासेल III एटी- I	BASEL III AT-I	I- (eVB)	लागू नहीं (कॉल की तारीख 1-फरवरी -20) NA (Date of call 1-Feb-20)	स्थायी Perpetual	9.54%	100.00
बासेल III एटी- I	BASEL III AT-I	II (eVB)	लागू नहीं (कॉल की तारीख 27-मार्च-20) NA (Date of call 27-Mar-20)	स्थायी Perpetual	10.40%	400.00
बासेल II टियर I	Basel II Tier I	II (eDB)	लागू नहीं (कॉल की तारीख 28-मई-19) NA (Date of call 28-May-19)	स्थायी Perpetual	9.00%	125.00
बासेल II टियर I	Basel II Tier I	II	लागू नहीं (कॉल की तारीख 9-अक्टूबर -19) NA (Date of call 9-Oct-19)	स्थायी Perpetual	9.20%	300.00
बासेल II टियर I	Basel II Tier I	III	लागू नहीं (कॉल की तारीख 23-नवंबर -19) NA (Date of call 23-Nov-19)	स्थायी Perpetual	9.15%	600.00
						3,025.00

ए- 2 निवेश

A-2 Investments

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)				
विवरण	Particulars	31 मार्च 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च 2020 को As on March 31, 2020	
(1) निवेशों का मूल्य	(1) Value of Investments			
(i) निवेशों का सकल मूल्य	(i) Gross Value of Investments			
(ए) भारत में	(a) In India	2,51,708.43	2,65,015.61	
(बी) भारत से बाहर	(b) Outside India	13,185.53	13,032.46	
(ii) मूल्यहास के लिए प्रावधान	(ii) Provisions for Depreciation			
(ए) भारत में	(a) In India	3,433.89	2,998.17	
(बी) भारत से बाहर	(b) Outside India	239.80	435.28	
(iii) निवेशों का निवल मूल्य	(iii) Net Value of Investments			
(ए) भारत में	(a) In India	2,48,274.54	2,62,017.44	
(बी) भारत से बाहर	(b) Outside India	12,945.73	12,597.18	



(2) निवेशों पर मूल्यहास के लिए धारित प्रावधानों का संचलन	(2) Movement of provisions held towards depreciation on investments		
(i) प्रारम्भिक शेष	(i) Opening balance	3,433.45	1,962.15
(ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	(ii) Add: Provisions made during the year	987.50	1,641.59
(iii) जोड़ें/(घटाएं):-विदेशी विनिमय पुनर्मूल्यांकन समायोजन	(iii) Add/(Less): Foreign Exchange revaluation adjustment	13.48	14.79
(iv) घटाएं: अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन	(iv) Less: Write-back of excess provisions	760.74	185.08
(v) अंतिम शेष	(v) Closing balance	3,673.69	3,433.45

ए-2.1 रेपो संव्यवहार: (अंकित मूल्य के संदर्भ में) -

A-2.1 Repo Transactions: (in face value terms) -

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान रेपो और रिवर्स रेपो के तहत बेची एवं खरीदी गई प्रतिभूतियों का विवरण:

The details of securities sold and purchased under repos and reverse repos during the year ending March 31, 2021:

(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया शेष Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया शेष Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया शेष Daily Average outstanding during the year	31 मार्च, 2021 को बकाया शेष Outstanding as on March 31, 2021
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां	Securities sold under repo				
i सरकारी प्रतिभूतियां	i. Government securities	1,499.99	47,233.90	17,315.29	5,901.94
ii कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	ii. Corporate debt securities	1,823.25	2,650.40	2,027.75	1,823.25
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां	Securities purchased under reverse repo				
i सरकारी प्रतिभूतियां	i. Government securities	0.00	60,700.00	24,847.25	7,314.40
ii कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	ii. Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान रेपो और रिवर्स रेपो के तहत बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियों का विवरण

The details of securities sold and purchased under repos and reverse repos during the year ending March 31, 2020:

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया शेष Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया शेष Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया शेष Daily Average outstanding during the year	31 मार्च, 2020 को बकाया शेष Outstanding as on March 31, 2020
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां	Securities sold under repo				
i सरकारी प्रतिभूतियां	i. Government securities	3,203.00	46,132.79	16,439.40	45,979.90
ii कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	ii. Corporate debt securities	1,886.96	3,551.07	2,516.12	2,743.02
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां	Securities purchased under reverse repo				
i सरकारी प्रतिभूतियां	i. Government securities	0.00	31,500.00	4,225.41	17,000.00
ii कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	ii. Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00



ए-2.2 त्रिपक्षीय रेपो / रिवर्स रेपो संव्यवहार ऐसे रेपो / रिवर्स रेपो संव्यवहार हैं जिसमें एक त्रिपक्षीय एजेंट रेपो / रिवर्स रेपो की दोनों पार्टियों के बीच संव्यवहार साइकल के दौरान संपार्श्विक चयन, भुगतान एवं निपटान तथा रख-रखाव और प्रबंधन जैसी सेवाओं की सुविधा प्रदान करने हेतु मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक द्वारा किए गए त्रिपक्षीय रेपो / रिवर्स रेपो संव्यवहारों का विवरण निम्नानुसार है। ऋण अथवा उधार ली गई धनराशि की गणना नीचे दिए गए टेबल के उद्देश्य से की गई है।

A-2.2 Triparty repo / reverse repo transactions are repo / reverse repo transactions where a triparty agent acts as an intermediary between the two parties to the repo / reverse repo to facilitate services such as collateral selection, payment and settlement and custody and management during the life of the transaction. The details of triparty repo / reverse repo transactions undertaken by the Bank during the year ended March 31, 2021 are given below. Amount of funds borrowed or lent have been reckoned for the purpose of the below table.

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया शेष Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया शेष Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया शेष Daily Average outstanding during the year	31 मार्च, 2021 को बकाया शेष Outstanding as on March 31, 2021
<b>त्रिपक्षीय रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां</b>	<b>Securities sold under triparty repo</b>				
i सरकारी प्रतिभूतियां	i. Government securities	0.00	43,360.15	24,872.89	18,506.44
ii कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	ii. Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>त्रिपक्षीय रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां</b>	<b>Securities purchased under triparty repo</b>				
i सरकारी प्रतिभूतियां	i. Government securities	0.00	1,999.83	38.25	0.00
ii कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	ii. Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया शेष Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया शेष Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया शेष Daily Average outstanding during the year	31 मार्च, 2020 को बकाया शेष Outstanding as on March 31, 2020
<b>त्रिपक्षीय रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूति</b>	<b>Securities sold under triparty repo</b>				
i सरकारी प्रतिभूतियां	i. Government securities	0.00	38,092.52	21,579.62	0.00
ii कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	ii. Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>त्रिपक्षीय रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूति</b>	<b>Securities purchased under triparty repo</b>				
i सरकारी प्रतिभूतियां	i. Government securities	0.00	2,370.27	59.64	0.00
ii कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	ii. Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00

**ए -2.3 गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो**
**A-2.3 Non SLR Investment Portfolio**

- i) गैर-एसएलआर निवेशों के जारीकर्ता घटक  
 ii) Issuer composition of Non SLR investments

मार्च 31, 2021 को गैर-एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता संरचना निम्नानुसार है:

Issuer Composition of non- SLR investments as on March 31, 2021 is given below:

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

क्र. सं. S No	जारीकर्ता	Issuer	राशि Amount	निजी प्लेसमेंट की सीमा Extent of Private Placement	'निवेश ग्रेड के नीचे' की प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Below Investment Grade' securities	'अनरेटेड प्रतिभूतियों' की सीमा Extent of 'Unrated' Securities	'असूचीबद्ध प्रतिभूतियों' की सीमा Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(i)	पीएसयू	PSUs	4,052.87	1,493.42	529.56	715.77	0.00
(ii)	एफआई	FIs	9,670.13	8,532.06	3,208.10	50.08	123.10
(iii)	बैंक	Banks	6,061.55	2,685.50	821.43	139.24	73.11
(iv)	निजी कार्पोरेट	Private Corporate	7,705.37	4,767.56	1,116.64	1,705.40	4.20
(v)	अनुषंगियां / संयुक्त उद्यम *	Subsidiaries/ Joint Ventures *	3,521.90	3,521.90	0.00	0.00	0.00
(vi)	अन्य #	Others #	29,751.70	24,676.78	0.00	455.55	455.55
(vii)	मूल्यहास हेतु धारित प्रावधान	Provision held towards depreciation	3,673.69	0.00	0.00	200.98	23.66
	<b>कुल</b>	<b>Total</b>	<b>57,089.83</b>	<b>45,677.22</b>	<b>5,675.73</b>	<b>2,865.06</b>	<b>632.30</b>

\* इसमें ₹ 2,034.31 करोड़ का विदेशी अनुषंगी में निवेश शामिल है. (पिछले वर्ष: ₹ 2,023.87 करोड़)

\* Includes Investments in Overseas Subsidiary of ₹ 2,034.31 Crores. (Previous Year: ₹ 2,023.87 Crores)

# ए) ₹ 22,667.46 करोड़ के सरकारी गैर-एसएलआर बॉन्ड में निवेश शामिल है. (पिछले वर्ष: ₹ 27,007.44 करोड़)

# a) includes Investments in Govt Non -SLR Bonds of ₹ 22,667.46 Crores (Previous Year: ₹ 27,007.44 Crores)

31 मार्च, 2020 तक गैर-एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता संरचना नीचे दी गई है:

Issuer Composition of non- SLR investments as on March 31, 2020 is given below:

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

क्र. सं. S No	जारीकर्ता	Issuer	राशि Amount	निजी प्लेसमेंट की सीमा Extent of Private Placement	'निवेश ग्रेड के नीचे' की प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Below Investment Grade' securities	'अनरेटेड प्रतिभूतियों' की सीमा Extent of 'Unrated' Securities	'असूचीबद्ध प्रतिभूतियों' की सीमा Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(i)	पीएसयू	PSUs	4,235.32	1,597.30	259.77	608.59	0.00
(ii)	एफआई	FIs	7,440.39	6,639.50	714.90	10.08	69.20
(iii)	बैंक	Banks	6,397.02	501.54	697.41	132.94	338.50
(iv)	निजी कार्पोरेट	Private Corporate	5,189.23	2,685.69	124.22	1,114.52	6.60



(v)	अनुषंगियां/ संयुक्त उद्यम *	Subsidiaries/ Joint Ventures *	3,468.79	3,468.79	0.00	0.00	0.00
(vi)	अन्य #	Others #	30,143.35	24,940.71	0.00	345.16	345.16
(vii)	मूल्यहास हेतु धारित प्रावधान	Provision held towards depreciation	3,433.39	0.00	0.00	237.68	18.06
	<b>कुल</b>	<b>Total</b>	<b>53,440.71</b>	<b>39,833.53</b>	<b>1,796.30</b>	<b>1,973.61</b>	<b>741.40</b>

\* इसमें ₹ 2,023.87 करोड़ का विदेशी अनुषंगी में निवेश शामिल है।

\*Includes Investments in Overseas Subsidiaries of ₹ 2,023.87 Crores.

# ए) ₹ 27,007.44 करोड़ के सरकारी गैर-एसएलआर बॉन्ड में निवेश शामिल है।

# a) includes Investments in Govt Non –SLR Bonds of ₹ 27,007.44 Crores

कॉलम संख्या (4), (5) और (6) में उल्लिखित विवरण परस्पर गैर-अनन्य हैं।

The details mentioned at column no (4), (5) and (6) are mutually non-exclusive.

ii) अनर्जक गैर-एसएलआर निवेशों

ii) Non performing Non-SLR investments

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2021	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2020
प्रारंभिक शेष	Opening balance	2,223.24	1,649.21
पू.वि.बैं. और पू.दे.बैं. के विलय के कारण योग	Addition on Account of Merger eDB and eVB	0.00	602.41
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	1,293.41	425.10
वर्ष के दौरान कटौतियां	Reductions during the year	248.04	453.48
अंतिम शेष	Closing balance	3,268.61	2,223.24
कुल धारित प्रावधान	Total provisions held	2,834.88	2,038.97

ए-2.4 वर्ष के प्रारंभ में परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में रखे गए निवेशों के बही-मूल्य के 5% से अतिरिक्त के परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) में रखे गए निवेशों की बिक्री एवं अंतरण

A-2.4 Sales and transfer of Investment held under Held to Maturity (HTM) Category in excess of 5% of the Book value of the investment held in HTM category at the beginning of the year

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

वित्त वर्ष Financial Year	निवेश (एचटीएम) का प्रारम्भिक शेष Opening Bal. of investment (HTM)	वर्ष के दौरान बिक्री / अंतरण Sale/ transfer during the year	जोड़ Addition	निवेश (एचटीएम) का अंतिम शेष Closing Bal. of Investment (HTM)	निवेश (एचटीएम) श्रेणी का बाजार मूल्य Market value of investment (HTM) category
2020-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-20	1,42,763.58	18,254.53*	29,009.15	1,45,237.20	1,51,650.47

\* ₹ 7,138 करोड़ (ओएमओ, स्विच एवं वन टाइम अनुमत शिफ्टिंग के अतिरिक्त) की यह राशि वर्ष के प्रारंभ में परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में रखे गए निवेशों के बही-मूल्य के 5% के अतिरिक्त है और एचटीएम पोर्टफोलियो का 17.79% है।

\* This amount is in excess of 5% of the Book Value of the investment held in HTM category at the beginning of the year, amounting to ₹ 7,138 Crores (Other than OMO, switch and onetime permitted shifting) and 17.79% of HTM portfolio.



ए -2.5 एसएलआर निवेश  
A-2.5 SLR Investments

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021		31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	
		बही मूल्य Book value	बाजार मूल्य Market value	बही मूल्य Book value	बाजार मूल्य Market value
सरकारी प्रतिभूतियां एसएलआर (सीजी, एसजी और टीबी)*	Govt. sec SLR (CG,SG,&TB)*	2,04,129.01	2,04,129.01**	2,21,172.55	2,21,172.55**
अनुमोदित प्रतिभूतियां – एसएलआर	Approved sec-SLR	1.41	1.41**	1.41	1.41**

\* इसमें सीसीआईएल/एमसीएक्स/यूएसई/एनएसई के पास रखी एसएलआर प्रतिभूतियां शामिल हैं

\* incl. SLR Securities kept with CCIL/ MCX / USE / NSE

\*\* एसएलआर की गणना के लिए बाजार मूल्य में वृद्धि को ध्यान में नहीं लिया गया है

\*\* Appreciation in market value is ignored for SLR calculation

ए-2.6 श्रेणीवार निवेश का विवरण;

A-2.6 Details of investment category – wise;

तीन श्रेणियों अर्थात ट्रेडिंग हेतु धारित (एचएफटी), बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) और परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के अंतर्गत निवेशों का विवरण निम्नानुसार हैं;

The Details of investments held under the three categories viz; Held for trading (HFT), Available for Sale (AFS) and Held to Maturity (HTM) are as under;

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021				31 मार्च 2020 को As on March 31, 2020			
		एचएफटी HFT	एएफएस AFS	एचटीएम HTM	कुल Total	एचएफटी HFT	एएफएस AFS	एचटीएम HTM	कुल Total
सरकारी प्रतिभूतियां	Government securities	198.94	85,580.66	1,45,526.42	2,31,306.02	203.54	80,651.81	1,67,324.64	2,48,179.99
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	Other approved securities	0.00	1.41	0.00	1.41	0.00	1.41	0.00	1.41
शेयर	Shares	2.17	4,765.66	10.42	4,778.25	0.00	4,679.35	10.42	4,689.77
डिबेंचर और बांड	Debentures and bonds	0.00	20,734.49	1,618.00	22,352.49	0.00	16,903.81	25.00	16,928.81
अनुषंगियां / संयुक्त उद्यम	Subsidiary / Joint ventures	0.00	0.00	3,521.90	3,521.90	0.00	0.00	3,468.79	3,468.79
अन्य	Others	0.00	2,750.84	183.05	2,933.89	0.00	4,596.47	182.83	4,779.30
<b>कुल</b>	<b>Total</b>	<b>201.11</b>	<b>1,13,833.06</b>	<b>1,50,859.79</b>	<b>2,64,893.96</b>	<b>203.54</b>	<b>1,06,832.85</b>	<b>1,71,011.68</b>	<b>2,78,048.07</b>



ए-2.7 मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां

A-2.7 Securities kept as margin

मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियों के विवरण निम्नानुसार हैं:

The details of securities that are kept as margin are as under:

क्र. सं. S. No	विवरण	Particulars	(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)		
			31 मार्च को अंकित मूल्य		
			FV as at March 31		
			2021	2020	
i.	भारतीय समाशोधन निगम के पास निम्नलिखित के लिए मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां	Securities kept as margin with Clearing Corporation of India towards:			
ए)	संपार्श्विक और निधि प्रबंधन - प्रतिभूति सेगमेंट	a) Collateral and funds management - Securities segment	3,200.00	3,200.00	
बी)	संपार्श्विक और निधि प्रबंधन - संपार्श्विक ऋण एवं उधार दायित्व (सीबीएलओ) सेगमेंट / त्रिपक्षीय रेपो	b) Collateral and funds management - Collateralized Borrowing and Lending Obligation (CBLO) segment / Triparty Repo	0.00	0.00	
सी)	चूक निधि - फॉरेक्स फॉरवर्ड सेगमेंट	c) Default fund - Forex Forward segment	186.29	211.29	
डी)	चूक निधि - विदेशी मुद्रा निपटान सेगमेंट	d) Default fund - Forex Settlement segment	26.12	29.38	
ई)	चूक निधि - रुपी डेरिवेटिव्स (गारंटीड निपटान) सेगमेंट	e) Default fund - Rupee Derivatives (Guaranteed Settlement) segment	77.16	55.30	
एफ)	चूक निधि - प्रतिभूति सेगमेंट	f) Default fund - Securities segment	19.75	5.75	
जी)	चूक निधि - सीबीएलओ / त्रिपक्षीय रेपो सेगमेंट	g) Default fund - CBLO / Triparty repo segment	8.15	50.65	
ii	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास निम्नलिखित के लिए मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां	Securities kept as margin with the RBI towards:			
ए)	रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट (आरटीजीएस)	a) Real Time Gross Settlement (RTGS)	0.00	0.00	
बी)	रेपो संव्यवहार	b) Repo transactions	0.00	0.00	
सी)	रिवर्स रेपो संव्यवहार	c) Reverse repo transactions	0.00	0.00	
iii	एनएसई मुद्रा डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए भारतीय राष्ट्रीय प्रतिभूति समाशोधन निगम (एनएससीसीआईएल) के पास मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां	Securities kept as margin with National Securities Clearing Corporation of India (NSCCIL) towards NSE Currency Derivatives segment.	158.98	5.98	
iv	बीएसई मुद्रा डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड के पास मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां	Securities kept as margin with Indian Clearing Corporation Limited towards BSE Currency Derivatives segment	1.00	1.00	
V	एमसीएक्स मुद्रा डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए भारतीय मेट्रोपॉलिटन समाशोधन निगम के पास मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां	Securities kept as margin with Metropolitan Clearing Corporation of India towards MCX Currency Derivatives segment.	1.00	1.00	

तुलन पत्र की तारीख को अन्य निवेश में ₹ 594.68 करोड़ की वाणिज्यिक पेपर की राशि शामिल है (विगत वर्ष: ₹ 397.69 करोड़)

Other Investment as at the Balance sheet date include Commercial paper amounting to ₹ 594.68 Crores (Previous Year: ₹ 397.69 Crores )



ए-2.8 एसजीएल फार्मों के लौटाए जाने पर लगाए गए दंड का प्रकटीकरण

A-2.8 Disclosure on imposition of penalty for bouncing of SGL forms

समाप्त वर्ष Year ended	एसजीएल फॉर्म लौटाने की तारीख Date of bouncing SGL form	राशि Amount	टिप्पणी Remarks
2020-21	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
2019-20	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil

ए-2.9 डेरीवेटिव्स

A-2.9 .1 वायदा दर समझौता / ब्याज दर स्वैप

A-2.9 Derivatives

A-2.9.1 Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap

विवरण	Particulars	(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)	
		31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020
स्वैप समझौते की कल्पित मूल राशि	The notional principal of swap agreements	74,783.79	52,645.65
समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को काउंटर पार्टी द्वारा पूरा न करने पर होने वाली हानि	Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	836.94	813.65
स्वैप में आने पर बैंक के लिए अपेक्षित संपाश्रिक	Collateral required by the bank upon entering into swaps	0.00	0.00
स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेन्द्रण	Concentration of credit risk arising from the swaps	2,152.41	1,480.09
स्वैप बही का उचित मूल्य	The fair value of the swap book	(11.03)	(339.80)

31 मार्च, 2021 तक वायदा एवं ब्याज दर स्वैप का प्रकार एवं शर्तें नीचे दी गई हैं:

Nature and terms of Forward Rate Agreements and interest rate swaps as on 31st March 2021 are given below:

लिखत Instruments	प्रकार Nature	संख्या Nos	अनुमानित मूलधन Notional Principal	बेंचमार्क Benchmark	शर्तें Terms
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	4	175.03	INBMK	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	8	907.66	LIBOR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	1	33.23	LIBOR	स्थायी प्राप्य / अस्थायी देय Fixed Receivable/Floating Payable
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	14	1,075.00	MIFOR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	22	875.00	MIFOR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	72	3,975.00	MIFOR	स्थायी प्राप्य / अस्थायी देय Fixed Receivable/Floating Payable
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	18	775.00	MIFOR	स्थायी प्राप्य / अस्थायी देय Fixed Receivable/Floating Payable
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	894	28,725.00	MIBOR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable





आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	294	9,314.17	MIBOR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	55	1,675.00	MIBOR	स्थायी प्राप्य / अस्थायी देय Fixed Receivable/Floating Payable
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	291	9,850.56	MIBOR	स्थायी प्राप्य / अस्थायी देय Fixed Receivable/Floating Payable
सीआईआरएस CIRS	हेजिंग Hedging	1	246.32	AU6MBA/LIBOR	अस्थायी देय / अस्थायी प्राप्य Pay Float/Receive Float
सीआईआरएस CIRS	हेजिंग Hedging	30	6,281.57	MIBOR/LIBOR	अस्थायी देय / अस्थायी प्राप्य Pay Float/Receive Float
सीआईआरएस CIRS	हेजिंग Hedging	2	354.01	AU6MBA	अस्थायी देय / स्थायी प्राप्य Pay Float/Receive Fix
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	22	6,386.23	FIXED	स्थायी प्राप्य / अस्थायी देय Fixed Receive/Float Pay
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	3	3,145.73	LIBOR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय Floating Receive/Fixed Pay
सीआईआरएस CIRS	हेजिंग Hedging	2	550.77	LIBOR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय Floating Receive/Fixed Pay
सीआईआरएस CIRS	हेजिंग Hedging	1	438.51	EURIBOR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय Floating Receive/Fixed Pay

31 मार्च, 2020 तक वायदा एवं ब्याज दर स्वैप का प्रकार एवं शर्तें नीचे दी गई हैं:

Nature and terms of Forward Rate Agreements and interest rate swaps as on 31st March 2020 are given below:

लिखत Instruments	प्रकार Nature	संख्या Nos	अनुमानित मूलधन Notional Principal	बेंचमार्क Benchmark	शर्तें Terms
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	4	175.00	INBMK	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	7	788.06	LIBOR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	3	378.32	LIBOR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय Fixed Receivable/Floating Payable
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	1	25.00	MIFOR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	25	675.00	MIFOR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	49	2,875.00	MIFOR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय Fixed Receivable/Floating Payable
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	11	500.00	MIFOR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय Fixed Receivable/Floating Payable
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	749	24,050.00	MIBOR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	207	6,261.49	MIBOR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable

(₹ करोड़ में / Amount in ₹ Cr)



लिखत Instruments	प्रकार Nature	संख्या Nos	अनुमानित मूलधन Notional Principal	बेंचमार्क Benchmark	शर्तें Terms
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	25	725.00	MIBOR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय Fixed Receivable/Floating Payable
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	279	7,962.62	MIBOR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय Fixed Receivable/Floating Payable
सीआईआरएस CIRS	हेजिंग Hedging	2	488.14	AU6MBA/ LIBOR	अस्थायी देय / अस्थायी प्राप्य Pay Floating /Receive Floating
सीआईआरएस CIRS	हेजिंग Hedging	7	1,205.10	MIBOR/ LIBOR	अस्थायी देय / अस्थायी प्राप्य Pay Floating /Receive Floating
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	8	2,981.67	Fixed	स्थायी प्राप्य अस्थायी देय Fixed receive floating pay
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	3	2,919.37	LIBOR	अस्थायी प्राप्य अस्थायी देय Floating receive floating pay
सीआईआरएस CIRS	हेजिंग Hedging	1	243.09	LIBOR	अस्थायी प्राप्य अस्थायी देय Floating receive floating pay
सीआईआरएस CIRS	हेजिंग Hedging	1	392.79	EURIBOR	अस्थायी प्राप्य अस्थायी देय Floating receive floating pay

## A-2.9.2 एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स

## A-2.9.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

क्र.सं. S No	विवरण	Particulars	(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)	
			As on March 31, 2021	As on March 31, 2020
(i)	वर्ष के दौरान एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स की कल्पित मूल राशि (लिखतवार)	Notional principal amount of exchange traded interest rate & Currency derivatives undertaken during the year (instrument-wise)		
	ए. ब्याज दर फ्यूचर (आईआरएफ)	A. Interest Rate Future (IRF)	29,308.19	35,135.16
	बी. करेंसी फ्यूचर्स	B. Currency Futures	1,09,528.95	1,29,974.98
	सी. ऑप्शन	C. Options	16,005.11	46,157.94
(ii)	यथा दिनांक एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व करेंसी डेरीवेटिव्स की (लिखतवार) बकाया कल्पित मूल राशि	Notional principal amount of exchange traded interest rate & Currency derivatives outstanding as on (instrument-wise)		
	ए. ब्याज दर फ्यूचर (आईआरएफ)	A. Interest Rate Future (IRF)	186.68	0.00
	बी. करेंसी फ्यूचर्स	B. Currency Futures	2,688.33	0.00
	सी. ऑप्शन	C. Options	233.95	115.53
(iii)	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व करेंसी डेरीवेटिव्स की बकाया कल्पित मूल राशि तथा जो "अत्यधिक प्रभावी" न हो (लिखतवार)	Notional principal amount of exchange traded interest rate & Currency derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	Nil	Nil
(iv)	बकाया एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व करेंसी डेरीवेटिव्स का मार्क-टू-मार्केट मूल्य तथा जो 'अत्यधिक प्रभावी' न हो (लिखतवार)	Mark-to-market (MTM) value of exchange traded interest rate & Currency derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	Nil	Nil



**A-2.9 .3 डेरीवेटिव में जोखिम एक्सपोजर का प्रकटीकरण**

**A-2.9.3 Disclosures on risk exposure in derivatives**

**(i) गुणात्मक प्रकटीकरण**

बैंक की विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन एवं स्वर्ण, डेरीवेटिव प्रबंधन नीति में डेरीवेटिव्स लेन-देन के कार्यों के लिए सभी प्रकार की वित्तीय डेरीवेटिव्स लिखतों के प्रकार, विस्तार एवं उपयोग, अनुमोदन प्रक्रिया तथा ओपन पोजीशन लिमिट, स्टॉप लॉस लिमिट तथा काउन्टर पार्टी एक्सपोजर लिमिट जैसी सीमाएं निर्धारित की गयी हैं. बैंक अपने तुलन-पत्र में दर्शाए गए अथवा दर्शाए न गए जोखिमों की हेजिंग के लिए तथा बाजार आधार तैयार करने के लिए वित्तीय डेरीवेटिव्स लेन-देनों का उपयोग करता है. मूलतः ये उत्पाद, जोखिम के प्रति बचाव व्यवस्था, लागत कम करने तथा ऐसे लेन देनों में प्रतिफल बढ़ाने एवं प्रोपराइटी ट्रेडिंग के लिए उपयोग में लाए जाते हैं.

बैंक में जिन जोखिमों की सम्भावना बनी रहती है, वे हैं: ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, देशीय जोखिम और परिचालन जोखिम. बैंक में जोखिम प्रबंधन नीतियां (बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित) हैं, जो एमटीएम जोखिम पर कीमत, (वीएआर) तथा पीवी01 के माध्यम से नियमित आधार पर व्यापार बही में लेन-देनों की वित्तीय जोखिमों के आकलन तथा उचित जोखिम सीमाएं तय करने के लिए तैयार की गयी हैं. इनकी बैंक के जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा समय-समय पर विश्वसनीय एवं अद्यतन प्रबंधन सूचना प्रणालियों द्वारा निगरानी की जाती है तथा इस बारे में बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षतावाली निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति को अवगत कराया जाता है.

लेन-देनों की काउन्टर पार्टियां, बैंक तथा कार्पोरेट प्रतिष्ठान हैं. अनुमोदित एक्सपोजर सीमाओं के अंतर्गत सौदे किए जाते हैं. डेरीवेटिव्स उत्पादों पर ऋण जोखिम आकलित करने के लिए बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मौजूदा एक्सपोजर पद्धति को अपनाया है, जिसके अनुसार बैंक कुल प्रतिस्थापन लागत का योग, (सभी संविदाओं को सकारात्मक मूल्य सहित मार्क-टू-मार्केट द्वारा प्राप्त करने अर्थात जब बैंक को काउन्टर पार्टी से धन प्राप्त करना है) तथा ऋण जोखिम में भविष्य में होने वाले संभाव्य परिवर्तनों की राशि, जिसकी गणना संविदा की कुल कल्पित मूल राशि शेष परिपक्वता के अनुसार संबंधित ऋण रूपांतरण घटकों के साथ गुणा करके परिकलित की जाती है, निम्नानुसार है :-

**(i) Qualitative Disclosure**

Foreign exchange risk management & Gold, Derivative management policy of the bank lays down the types of financial derivative instruments, scope of usages, approval procedures and the limits like open position limits, stop loss limits and counter party exposure limits for undertaking derivative transaction. The bank uses financial derivative transactions for hedging, it's on or off balance sheet exposure as well as for market making .Basically, these products are used for hedging risk, reducing cost and increasing the yield in such transactions and for proprietary trading.

The types of risk to which the bank is exposed to are credit risk, market risk, country risk and operational risk, The Bank has risk management policies (approved by Board of Directors of the Bank), which is designed to measure the financial risks for transactions in the trading book on a regular basis, by way of MTM, Value at Risk (VaR) and PV01, and to set appropriate risk limits. These are monitored by means of reliable and up to date Management Information Systems by the Risk Management Department of the Bank from time to time who, in turn, appraises the risk profile to the Risk management Committee of Directors, which is presided over by the Bank's Managing Director.

The counter parties to the transactions are banks and corporate entities. The deals are done under approved exposure limits. The bank has adopted the current exposure method prescribed by Reserve Bank of India for measuring Credit Exposure on Derivative products as per which the bank sums the total replacement cost (obtained by mark to market of all its contracts with positive value i.e. when the bank has to receive money from the counter party) and an amount for potential future changes in credit exposure calculated on the basis of the total notional principal amount of the contract multiplied by the relevant credit conversion factors according to the residual maturity as detailed herein under:-

कनवर्जन फैक्टर कल्पित मूलधन राशि पर लागू किया जाएगा  
Conversion factor to be applied on notional principal amount

अवशिष्ट परिपक्वता	Residual Maturity	ब्याज दर संविदा Interest Rate Contract		विनिमय दर संविदा Exchange Rate Contract	
		वि.व 2021 FY 2021	वि.व 2020 FY 2020	वि.व 2021 FY 2021	वि.व 2020 FY 2020
एक वर्ष से कम	Less than one year	0.50%	0.50%	2.00%	2.00%
एक वर्ष से पांच वर्ष	One year to Five Year	1.00%	1.00%	10.00%	10.00%
पांच वर्ष से अधिक	Over five years	3.00%	3.00%	15.00%	15.00%

हेज तथा गैर-हेज (ट्रेडिंग) लेनदेनों को अलग से दर्ज किया जाता है। जहां यह मार्क-टू-मार्केट के अधीन नहीं है, हेजिंग डेरिवेटिव्स उपचय आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं। ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स पोजिशन (मार्क-टू-मार्केट) में लिया जाता है और परिणामस्वरूप लाभ एवं हानि खाते में यदि कोई हानि हो, हिसाब में लिया जाता है। लाभ, यदि कोई हो, नहीं माना जाता है। ब्याज दर स्वैप्स से संबंधित आय और व्यय निपटान की तारीख पर हिसाब में लिए जाते हैं। ट्रेडिंग स्वैप के समाप्त होने पर लाभ/हानि समाप्ति की तारीख पर आय/व्यय के रूप में दर्ज किए जाते हैं।

The hedge/non-hedge (market making) transactions are recorded separately. In cases where the underlying is not subject to mark to market the hedging derivatives are accounted for on an accrual basis. Trading derivative positions are marked-to-market (MTM) and the resulting losses, if any, are recognized in the Profit and Loss Account. Profit, if any is not recognized. Income and Expenditure relating to interest rate swaps are recognized on the settlement date. Gains/losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/expenditure.

**(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण**
**(ii) Quantitative Disclosures**

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

क्र. सं S No	विवरण	Particular	31 मार्च, 2021 तक As on March 31, 2021		31 मार्च, 2020 तक As on March 31, 2020	
			करेंसी डेरिवेटिव्स Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव्स Interest rate Derivatives	करेंसी डेरिवेटिव्स Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव्स Interest rate Derivatives
(i)	डेरिवेटिव्स (कल्पित मूल राशि)	Derivatives (Notional Principal Amount)				
	ए) हेजिंग के लिए	a) For hedging	7,871.19	45,922.85	635.89	36,435.65
	बी) ट्रेडिंग के लिए	b) For trading	4,987.39	21,176.42	115.53	15,574.12
(ii)	मार्केट टू मार्केट स्थितियां	Marked to Market Positions				
	ए) आस्ति (+)	a) Asset (+)	200.27	664.62	42.80	773.16
	बी) देयताएं (-)	b) Liability (-)	(102.74)	(787.33)	(1.19)	(1,154.64)
(iii)	ऋण जोखिम	Credit Exposure	1,033.41	1,282.94	50.40	1,432.05
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत होने वाले परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	अ) हेजिंग डेरिवेटिव पर	a) on hedging derivatives	-0.02	868.01	-0.02	687.37
	ब) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर	b) on trading derivatives	84.64	18.87	0.00	2.60
(v)	वर्ष के दौरान पाये गए अधिकतम तथा न्यूनतम (100*पीवी01)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
	ए) हेजिंग पर (घरेलू)	a) on hedging (Domestic)	0&0	928.68 &783.85	0&0	789.64 &79.77
	बी) ट्रेडिंग पर (घरेलू)	b) on trading (Domestic)	114.01 &42.11	24.43 &0.01	7.27 &0	55.83 &0.01
	सी) हेजिंग पर (विदेशी)	c) on hedging (Overseas)	-0.02&-0.11	21.05 &-36.16	0.05&-0.06	14.81&-56.61
	डी) ट्रेडिंग पर (विदेशी)	d) on trading (Overseas)	0&0	0&0	0&0	0&0

निम्नलिखित खंड सामान्यतः बैंक द्वारा किए जाने वाले डेरिवेटिव लेनदेन की प्रकृति एवं शर्तों की रूपरेखा को प्रदर्शित करते हैं।

The following sections outline the nature and terms of the derivative transactions generally undertaken by the Bank.

**ब्याज दर अनुबंध**

## Interest rate contracts

**फॉरवर्ड रेट करार** खरीदार को एक निर्दिष्ट भविष्य की तारीख (निपटान तारीख) पर शुरू होने वाली निर्दिष्ट अवधि के लिए ब्याज की अंतर्निहित दर निर्धारित करने की क्षमता प्रदान करते हैं। मूलधन का कोई आदान-प्रदान नहीं होता है और निपटान तारीख पर निपटान प्रभावी होता है। निपटान राशि अनुबंधित दर और निपटान तारीख पर प्रचलित बाजार दर के बीच का अंतर है।

Forward rate agreements give the buyer the ability to determine the underlying rate of interest for a specified period commencing on a specified future date (the settlement date). There is no exchange of principal and settlement is effected on the settlement date. The settlement amount is the difference between the contracted rate and the market rate prevailing on the settlement date.

**ब्याज दर स्वैप** में अंतर्निहित (या कल्पित) मूलधन का आदान-प्रदान किए बिना निर्दिष्ट अवधि के लिए काउंटरपार्टी के साथ ब्याज दायित्वों का आदान-प्रदान शामिल है।

Interest rate swaps involve the exchange of interest obligations with the counterparty for a specified period without exchanging the underlying (or notional) principal.

**ब्याज दर कैप एंड फ्लोर्स** खरीदार को अधिकतम या न्यूनतम ब्याज दर तय करने की क्षमता प्रदान करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का राइटर उस राशि का भुगतान करता है जिससे बाजार दर क्रमशः कैप रेट या फ्लोर रेट से अधिक या कम होता है। ब्याज दर कैप्स और फ्लोर का संयोजन ब्याज दर कॉलर, कैप स्प्रेड और फ्लोर स्प्रेड जैसी संरचनाएं बना सकता है।

Interest rate caps and floors give the buyer the ability to fix the maximum or minimum rate of interest. The writer of the contract pays the amount by which the market rate exceeds or is less than the cap rate or the floor rate respectively. A combination of interest rate caps and floors can create structures such as interest rate collar, cap spreads and floor spreads.

**ब्याज दर वायदा** सौदे एक मानकीकृत ब्याज दर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हैं जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में कल्पित प्रतिभूति या अन्य किसी ब्याज के साथ वाले लिखत या इस तरह के लिखतों के इंडेक्स की खरीद या बिक्री करने या कॉन्ट्रैक्ट के समय भविष्य की किसी तारीख के लिए निर्धारित ब्याज दरों पर ट्रेड करने से है।

Interest rate futures are standardised interest rate derivative contracts traded on a recognised stock exchange to buy or sell a notional security or any other interest bearing instrument or an index of such instruments or interest rates at a specified future date, at a price determined at the time of the contract.

**विनिमय दर अनुबंध**

## Exchange rate contracts

**फॉरवर्ड विदेशी मुद्रा कॉन्ट्रैक्ट** भविष्य की तारीख पर विनिमय की सहमत दरों पर निश्चित मात्रा में मुद्रा खरीदने या बेचने के लिए करार है। इन लिखतों को फेडाई (एफईडीआई) दरों या बाजार कोटेशन के आधार पर उचित मूल्य पर खरीदा / बेचा जाता है।

Forward foreign exchange contracts are agreements to buy or sell fixed amounts of currency at agreed rates of exchange on future date. These instruments are carried at fair value, determined based on either FEDAI rates or market quotations.

**क्रॉस करेंसी स्वैप** विभिन्न मुद्राओं के मूल्य वर्ग में मूलधन राशि का आदान-प्रदान करने के लिए करार हैं। क्रॉस करेंसी स्वैप में एक निर्दिष्ट अवधि के लिए किसी अन्य विनिर्दिष्ट मुद्रा में ब्याज भुगतान के लिए एक निर्दिष्ट मुद्रा पर ब्याज भुगतानों का आदान-प्रदान शामिल हो सकता है।

Cross currency swaps are agreements to exchange principal amounts denominated in different currencies. Cross currency swaps may also involve the exchange of interest payments on one specified currency for interest payments in another specified currency for a specified period.

**मुद्रा विकल्प (एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा विकल्पों सहित)** खरीदार को प्रीमियम के भुगतान पर निर्दिष्ट भविष्य की तारीख पर या उससे पहले एक्सचेंज की सहमत दरों पर मुद्रा की निश्चित मात्रा खरीदने या बेचने के लिए अधिकार, लेकिन दायित्व नहीं, देता है।

Currency options (including Exchange Traded Currency Option) give the buyer, on payment of a premium, the right but not an obligation, to buy or sell specified amounts of currency at agreed rates of exchange on or before a specified future date.

**मुद्रा वायदा अनुबंध** निर्दिष्ट मूल्य पर, भविष्य की एक निश्चित तारीख पर निश्चित अंतर्निहित परिसंपत्ति या लिखत खरीदने या बेचने के लिए किसी एक्सचेंज पर कारोबार किया जाने वाला एक मानकीकृत अनुबंध है। मुद्रा वायदा सौदे अनुबंध का अंतर्निहित लिखत विदेशी मुद्रा और भारतीय रुपये की एक इकाई के बीच विनिमय की दर है।

Currency futures contract is a standardized contract traded on an exchange, to buy or sell a certain underlying asset or an instrument at a certain date in the future, at a specified price. The underlying instrument of a currency future contract is the rate of exchange between one unit of foreign currency and the INR.

बैंक का डेरीवेटिव लेनदेन बिक्री और व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित है। बिक्री गतिविधियों में समय समय पर यथा लागू विनियामक फ्रेमवर्क के तहत ग्राहकों को डेरीवेटिव की स्ट्रक्चरिंग एवं मार्केटिंग भी शामिल है ताकि उनको अपने बाजार जोखिम (ब्याज दर एवं विनिमय जोखिम दोनों) को हेज करने में समर्थ बनाया जा सके। बैंक डेरीवेटिव में खुद के खाते (व्यापार गतिविधि) से सौदा करता है जो मूल रूप से मूल्य आय में लघु अवधि में होने वाले उतार-चढ़ाव या अंतर्निहित अस्थिरता से लाभ जनरेट करना है। बैंक अपने दायित्वों या तुलन पत्र आस्तियों में अंतर्निहित जोखिम को हेज करने के लिए भी डेरीवेटिव में सौदा करता है।

The Bank's derivative transactions relate to sales and trading activities. Sale activities include the structuring and marketing of derivatives to customers to enable them to hedge their market risks (both interest rate and exchange risks), within the framework of regulations as applicable from time to time. The Bank deals in derivatives on its own account (trading activity) principally for the purpose of generating a profit from short term fluctuations in price yields or implied volatility. The Bank also deals in derivatives to hedge the risk embedded in some of its Balance Sheet assets or liabilities.

### डेरीवेटिव व्यवसाय में शामिल घटक

Constituents involved in derivative business

ट्रेजरी फ्रंट-ऑफिस ग्राहकों और अंतर-बैंक प्रतिपक्षों के साथ डेरीवेटिव लेनदेन करता है। नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के पास एक स्वतंत्र बैंक-ऑफिस और मिड-ऑफिस है।

The Treasury front-office enters into derivative transactions with customers and inter-bank counterparties. The Bank has an independent back-office and mid-office as per regulatory guidelines.

### प्राधानीकरण, संपार्श्विक और ऋण जोखिम को कम करना

Provisioning, collateral and credit risk mitigation

बैंक अपनी व्यापारिक रैंकिंग और वित्तीय स्थिति के आधार पर प्रतिपक्षों के साथ डेरीवेटिव लेनदेन करता है। बैंक एक्सपोजर के क्रिस्टलीकरण होने की स्थिति में अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिपक्ष की क्षमता का मूल्यांकन करने के उपरांत उचित सीमा निर्धारित करता है। उचित क्रेडिट प्रसंविदा जहां आवश्यक हो, निर्धारित की जाती हैं, ताकि जोखिम को समाहित करने के लिए संपार्श्विक की मांग की जा सके या लेनदेन को निरस्त किया जा सके।

The Bank enters into derivative transactions with counter parties based on their business ranking and financial position. The Bank sets up appropriate limits upon evaluating the ability of the counterparty to honor its obligations in the event of crystallization of the exposure. Appropriate credit covenants are stipulated where required, as trigger events to call for collaterals or terminate a transaction and contain the risk.

#### ए.2.9.4 ऋण चूक स्वैप (सीडीएस)

#### A.2.9.4 Credit Default Swaps (CDS)

मूल्यांकन प्रणाली- सीडीएस पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 23 मई 2011 के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को अपनी सीडीएस संविदाओं के मूल्यांकन हेतु एफआईएमएमडीए द्वारा प्रकाशित दैनिक सीडीएस कर्व अथवा इससे अधिक संरक्षित मूल्यांकन होने पर किसी अन्य स्वामित्व मॉडल का उपयोग करना आवश्यक है। अपनी सीडीएस स्थितियों के मूल्यांकन के लिए हमारा बैंक एफआईएमएमडीए कर्व का ही उपयोग करता है सीडीएस मूल्यांकन के लिए बैंक किसी आंतरिक स्वामित्व मॉडल का उपयोग नहीं करता है। यद्यपि दिनांक 31 मार्च, 2021 को हमारे बैंक का कोई सीडीएस डील बकाया नहीं है।

Valuation Methodology- As per RBI guidelines on CDS dated 23rd May, 2011 the banks are required to value their CDS contracts by using daily CDS curve published by FIMMDA Or any other proprietary model if it results in a more conservative valuation. The Bank uses the FIMMDA curve for valuing CDS positions; the Bank does not use any internal proprietary model for CDS valuation. However, the Bank does not have any CDS deal outstanding as on 31st March 2021.

#### ए-2.10 आस्ति गुणवत्ता

#### A-2.10 Asset Quality

##### ए-2.10.1 अनर्जक आस्तियां

##### A-2.10.1 Non-Performing Assets

##### ए. अनर्जक आस्तियों का संचलन

##### A. Movement of NPAs

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2021	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020
सकल एनपीए (प्रारंभिक शेष)	Gross NPAs (Opening Balance)	69,381.43	48,232.76
पू. देना बैंक और पू. विजया बैंक के विलय के कारण जुड़े	Addition on Account of Merger of eDB and eVB	0.00	21,691.24
वर्ष के दौरान जुड़े (नए एनपीए)*	Additions during the year	20,005.12	23,315.41
उप-जोड़ (ए)	Sub-total (A)	89,386.55	93,239.41



घटाएं:-	Less:-		
(i) अपग्रेडेशन	(i) Up-gradations	1,422.89	1,394.12
(ii) वसूलियाँ (अपग्रेड किए गए खातों से हुई वसूलियों को छोड़कर)	(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	5,867.16	6,577.80
(iii) बट्टे खाते डाली गयी राशि (विनिमय अंतर को शामिल करके)	(iii) Write-offs (including Exchange Differences)	15,425.51	15,886.06
उप योग (बी)	Sub-total (B)	22,715.56	23,857.98
<b>सकल एनपीए (अंतिम शेष) (ए-बी)</b>	<b>Gross NPAs (Closing Balance) (A-B)</b>	<b>66,670.99</b>	<b>69,381.43</b>

बी. अनर्जक आस्तियां

B. Non-Performing Assets

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2021	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020
(i) निवल अग्रिमों में निवल एनपीए (%)	(i) Net NPAs to Net Advances (%)	3.09%	3.13%
(ii) एनपीए का संचलन (सकल)	(ii) Movement of NPAs (Gross)		
(ए) प्रारंभिक शेष	(a) Opening balance	69,381.43	48,232.76
(बी) पू.देना बैंक और पू.विजया बैंक के विलय के कारण जुड़े	(b) Addition on Account of Merger of eDB and eVB	0.00	21,691.24
(सी) वर्ष के दौरान जुड़े	(c) Additions during the year	20,005.12	23,315.41
(डी) वर्ष के दौरान घटाए गए	(d) Reductions during the year	22,715.56	23,857.98
(ई) अंतिम शेष	(e) Closing balance	66,670.99	69,381.43
(iii) निवल एनपीए का संचलन	(iii) Movement of Net NPAs		
(ए) प्रारंभिक शेष	(a) Opening balance	21,576.60	15,609.50
(बी) पू.देना बैंक और पू.विजया बैंक के विलय समामेलन के बाद जुड़े	(b) Addition on Account of Merger of eDB and eVB	0.00	8,185.35
(सी) वर्ष के दौरान जुड़े	(c) Additions during the year	6,809.02	5,408.24
(डी) वर्ष के दौरान घटाए गए	(d) Reductions during the year	6,585.72	7,626.49
(ई) अंतिम शेष	(e) Closing balance	21,799.90	21,576.60
(iv) एनपीए हेतु प्रावधान का संचलन (मानक आस्तियों हेतु प्रावधान को छोड़कर)	(iv) Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
(ए) अंतिम शेष	(a) Opening balance	47,804.84	32,623.26
(बी) पू.देना बैंक और पू.विजया बैंक एक समामेलन के बाद जुड़े	(b) Addition on Account of Merger of eDB and eVB	0.00	13,505.90
(सी) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	(c) Provisions made during the year	13,196.10	17,907.17
(डी) वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान को बट्टा खाता डालना	(d) Technical/Prudential write off	16,129.83	16,231.49
(ई) अंतिम शेष	(e) Closing Balance	44,871.11	47,804.84



(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2021	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020
तकनीकी बट्टा खाता का संचलन	Movement of Technical Write offs		
तकनीकी /विवेक सम्मत अपलिखित की गई राशियों का प्रारंभिक शेष	Opening Balance of Technical / Prudential written-off account	46,186.56	24,987.68
पू.देना बैंक और पू.विजया बैंक एक समामेलन के बाद जुड़े	Addition on Account of Merger of eDB and eVB	0.00	11,910.89
जोड़े: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकसम्मत बट्टा खाता राशि	Add : Technical / Prudential write-off during the year	14,446.30	17,291.13
उप योग (ए)	Sub Total (A)	60,632.86	54,189.70
घटाएं : वर्ष के दौरान तकनीकी /विवेक सम्मत बट्टा खाता राशियों की वसूली (बी)	Less : Recoveries made from previously technical / prudential written off accounts during the year (B)	7,524.66	8,003.14
अंतिम शेष (ए -बी)	Closing Balance (A-B)	53,108.20	46,186.56

## सी. अनर्जक निवेश

## C. Non-Performing Investment

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च 2020 को As on March 31, 2020
(i) निवल निवेशों में निवल एनपीआई (%)	(i) Net NPIs to Net Investment (%)	0.17%	0.07%
(ii) अनर्जक निवेशों का संचलन (सकल)	(ii) Movement of NPIs (Gross)		
(ए) प्रारंभिक शेष	(a) Opening balance	2,223.24	1,649.21
(बी) पू.देना बैंक और पू.विजया बैंक के समामेलन उपरांत जुड़े	(b) Addition on Account of Merger of eDB and eVB	0.00	602.41
(सी) वर्ष के दौरान जुड़े	(c) Additions during the year	1,293.41	425.10
(डी) वर्ष के दौरान घटाए गए	(d) Reductions during the year	248.04	453.48
(ई) अंतिम शेष	(e) Closing balance	3,268.61	2,223.24
(iii) एनपीआई के प्रावधानों का संचलन	(iii) Movement of provisions for NPIs		
(ए) प्रारंभिक शेष	(a) Opening balance	2,038.97	1,484.53
(बी) पू.देना बैंक और पू.विजया बैंक के समामेलन उपरांत जुड़े	(b) Addition on Account of Merger of eDB and eVB	0.00	561.59
(बी) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	(c) Provisions made during the year	1,077.41	412.63
(सी) अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते डालना/पुनरांकन करना	(d) Write off/Write Back of Excess Provision	281.50	419.78
(डी) अंतिम शेष	(d) Closing balance	2,834.88	2,038.97





डी. परिपक्व एनपीआई (अन्य आस्तियों की अनुसूची 11 में शामिल)  
डी (ए) निवेश का मूल्य

D. Matured NPI (Included in Schedule 11 of other Assets)  
D (a) Value of Investments

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च 2020 को As on March 31, 2020
(i) निवेश का सकल मूल्य	(i) Gross Value of Investments		
(a) भारत में	(a) In India	347.33	300.46
(b) भारत से बाहर	(b) Outside India	260.57	309.23
(ii) मूल्यहास के लिए प्रावधान	(ii) Provisions for Depreciation		
(a) भारत में	(a) In India	346.63	299.10
(b) भारत से बाहर	(b) Outside India	260.57	309.23
(iii) निवेशों का निवल मूल्य	(iii) Net Value of Investments		
(a) भारत में	(a) In India	0.70	1.36
(b) भारत से बाहर	(b) Outside India	0.00	0.00

डी(बी). निवेशों पर मूल्यहास के लिए धारित प्रावधानों का संचलन

D (b). Movement of provisions held towards depreciation on investments

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च 2020 को As on March 31, 2020
(i) प्रारम्भिक शेष	(i) Opening balance	608.33	423.90
(ii) जोड़े : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	(ii) Add: Provisions made during the year	47.53	184.43
(iii) जोड़े /(घटाएं): विदेशी विनिमय पुनर्मूल्यांकन समायोजन	(iii) Add /(Less): Foreign Exchange revaluation adjustment	(48.66)	0.00
(iv) घटाएं : अतिरिक्त प्रावधानों का परांकन	(iv) Less: Write-back of excess provisions	0.00	0.00
(v) अंतिम शेष	(v) Closing balance	607.20	608.33

ई. क्षेत्रवार एनपीए

E. Sector-wise NPAs

क्र सं. S No	Sector	क्षेत्र के कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत Percentage of NPAs to Total Advances in that sector	
		31 मार्च 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च 2020 को As on March 31, 2020
1	कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां	8.41%	10.08%
2	उद्योग (सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम एवं बड़े)	12.24%	16.74%
3	सेवाएं	9.21%	10.22%
4	वैयक्तिक ऋण	3.57%	3.22%

**एफ विदेशी आस्तियां एनपीए तथा राजस्व :**
**F. Overseas Assets, NPAs and Revenue :**

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च 2020 को As on March 31, 2020
कुल आस्तियां	Total Assets	1,84,987.68	1,99,846.24
कुल एनपीए	Total NPAs	14,324.59	8,937.42
कुल राजस्व	Total Revenue	4,425.34	6,476.61

**जी.** भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्रमांक डीबीआर.बीपी.बीसी. संख्या 32/21.04.01/2018-19 दिनांक 01 अप्रैल 2019 में दर्शाए निर्देशानुसार आकस्मिक और या अथवा एनपीए के लिए किए गए अतिरिक्त प्रावधानों के पूर्व रिपोर्ट किए गए लाभ के 10% से अधिक होने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मूल्यांकन के दौरान संदर्भित अवधि का कुल एनपीए वृद्धिशील सकल एनपीए के 15% से अधिक होने पर बैंकों द्वारा आय मान्यता परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानों से संबन्धित विवेकपूर्ण मानदंडों से अलग होने पर इसे दर्शाए जाने की आवश्यकता होती है. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों से विचलन उपर्युक्त निर्दिष्ट सीमा के भीतर इसलिए अतिरिक्त प्रकटीकरण की आवश्यकता लागू नहीं होती है.

**G.** As per RBI circular No. DBR.BP.BC.No.32/21.04.018/2018-19 dated April 1, 2019, in case the additional provisioning for NPAs assessed by RBI exceeds 10% of the reported profit before provisions and contingencies and/or additional Gross NPAs identified by RBI exceeds 15% of published incremental Gross NPAs for the reference period then banks are required to disclose divergences from prudential norms on income recognition, asset classification and provisioning. Divergence from prudential norms assessed by the RBI for the year ended 31st March, 2020 are within threshold limits specified above hence the need for additional disclosure does not apply.

**A-2.10.2 क्षेत्रवार अग्रिम**
**A-2.10.2 Sector-wise advances**

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

क्र. सं. S. No	विवरण	31 मार्च 2021 को As on March 31, 2021			31 मार्च 2020 को As on March 31, 2020		
		बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	% उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत % of Gross NPAs to Total Advances in that sector	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	% उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत % of Gross NPAs to Total Advances in that sector
<b>ए</b>	<b>प्राथमिकता क्षेत्र</b>						
<b>A</b>	<b>Priority Sector</b>						
1	कृषि एवं अनुषंगी गतिविधियां Agriculture and allied activities	98,723.21	7,692.81	7.79	88,625.75	8,483.96	9.57
2	प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत उधर हेतु पात्र औद्योगिक क्षेत्र को अग्रिम Advances to industries sector eligible as priority sector lending	34,513.14	4,751.14	13.77	29,248.34	4,025.52	13.76
3	सेवाएँ Services	53,933.34	6,171.90	11.44	46,527.87	5,736.60	12.33
4	वैयक्तिक ऋण Personal loans	45,017.55	1,349.71	3.00	41,926.66	882.31	2.11



क्र. सं. S. No	विवरण	31 मार्च 2021 को As on March 31, 2021			31 मार्च 2020 को As on March 31, 2020		
		बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	% उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत % of Gross NPAs to Total Advances in that sector	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	% उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत % of Gross NPAs to Total Advances in that sector
	उप जोड़ (ए) Sub – Total (A)	2,32,187.24	19,965.56	8.60	2,06,328.62	19,128.39	9.27
बी B	गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Non-Priority Sector						
1	कृषि एवं अनुषंगी गतिविधियां Agriculture and allied activities	1,791.29	757.40	42.28	1,349.68	588.54	43.61
2	उद्योग Industry	1,08,540.74	12,756.14	11.75	1,15,785.72	20,249.21	17.49
3	सेवाएँ Services	1,62,541.17	13,761.59	8.47	1,67,598.44	16,154.77	9.64
4	वैयक्तिक ऋण Personal loans	1,36,015.90	5,105.71	3.75	1,19,985.98	4,323.09	3.60
	उप जोड़ (बी) Sub – Total (B)	4,08,889.10	32,380.84	7.92	4,04,719.82	41,315.61	10.21
	अंतर्राष्ट्रीय (सी) International (C)	1,10,513.82	14,324.58	12.96	1,27,050.58	8,937.43	7.03
	कुल (ए+बी+सी) Total (A+B+C)	7,51,590.16	66,670.98	8.87	7,38,099.02	69,381.43	9.40

ए-2.10.3. प्रतिभूतिकरण /पुनर्गठन कंपनी अथवा आस्ति पुनर्गठन के लिए बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण A-2.10.3. Details of financial assets sold to Securitization/ Reconstruction Company or Asset Reconstruction

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

क्रम सं. SI. No	विवरण	Particulars	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2021	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020
(i)	खातों की संख्या	No. of accounts	Nil	Nil
(ii)	एससी/आरसी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों का नेट)	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	Nil	Nil
(iii)	कुल प्रतिफल	Aggregate consideration	Nil	Nil
(iv)	प्रारम्भिक वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	Nil	Nil
(v)	निवल बही मूल्य पर सकल लाभ /हानि	Aggregate gain/(loss) over net book value	Nil	Nil

**ए – 2.10.4 प्रतिभूति रसीदों में निवेश का ब्यौरा**

31 मार्च 2021 को सुरक्षा प्राप्तियों के रूप में आयोजित निवेशों की अवधि में वृद्धि विवरण इस प्रकार है:

**A – 2.10.4 Details of Investment in Security Receipts**

Details of ageing of investments held as Security Receipts as on March 31, 2021 are as follows:

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

क्र सं. Sr. No.	विवरण Particulars	पिछले 5 वर्षों में जारी एसआर SRs issued within past 5 years	5 से 8 वर्षों के मध्य जारी एसआर SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	8 वर्षों से अधिक के बाद जारी एसआर SRs issued more than 8 years ago
(i)	अंतर्निहित के रूप में बैंक द्वारा बिक्री किए गए एनपीए द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य (श्रेणी I एसआर) Book Value of SRs backed by NPAs sold by the bank as underlying (Category I SR)	313.66	942.51	51.74
(i) के पेटे प्रावधान	Provision held against (i)	137.56	673.65	51.74
(ii)	अंतर्निहित के रूप में अन्य बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं / गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बिक्री किए गए एनपीए द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य Book Value of SRs backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non-banking financial companies as underlying (Category II SR)	0.00	0.00	14.20
(ii) के पेटे प्रावधान	Provision held against (ii)	0.00	0.00	14.20
<b>कुल (i) + (ii)</b>	<b>Total (i) + (ii)</b>	<b>313.33</b>	<b>942.51</b>	<b>65.94</b>

31 मार्च 2020 को प्रतिभूति प्राप्तियों के रूप में आयोजित निवेशों की अवधि में वृद्धि इस प्रकार है:

Details of ageing of investments held as Security Receipts as on March 31, 2020 are as follows:

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

क्रम सं. Sl. No	विवरण Particulars	पिछले 5 वर्षों में जारी एसआर SRs issued within past 5 years	5 से 8 वर्षों के मध्य जारी एसआर SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	8 वर्षों से अधिक के बाद जारी एसआर SRs issued more than 8 years ago
(i)	अंतर्निहित के रूप में बैंक द्वारा बिक्री किए गए एनपीए द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य (श्रेणी I एसआर) Book Value of SRs backed by NPAs sold by the bank as underlying (Category I SR)	480.27	832.04	51.74
(i) के पेटे प्रावधान	Provision held against (i)	45.76	625.15	51.74



(ii) अंतर्निहित के रूप में अन्य बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं / गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बिक्री किए गए एनपीए द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य	Book Value of SRs backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non-banking financial companies as underlying (Category II SR)	0.00	0.00	14.20
(ii) के पेटे प्रावधान	Provision held against (ii)	0.00	0.00	14.20
<b>कुल (i) + (ii)</b>	<b>Total (i) + (ii)</b>	<b>480.27</b>	<b>832.04</b>	<b>65.94</b>

प्रतिभूति रसीदों में निवेशों के बही मूल्य का ब्यौरा  
Details of Book Value of Investments in Security Receipts

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च 2020 को As on March 31, 2020
(i) अंतर्निहित के रूप में बैंक द्वारा बिक्री किए गए एनपीए द्वारा समर्थित	(i) Backed by NPAs sold by the bank as underlying	1,307.91	1,364.05
(ii) अंतर्निहित के रूप में अन्य बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं / गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बिक्री किए गए एनपीए द्वारा समर्थित	(ii) Backed by NPAs sold by other banks / financial institutions/ non-banking financial companies as underlying	14.20	14.20
<b>कुल</b>	<b>Total</b>	<b>1,322.11</b>	<b>1,378.25</b>



ए-2.10.5 दिनांक 31.03.2021 (वि.व 2020-21) तक पुनर्गठित खातों का प्रकटीकरण  
 A-2.10.5 Disclosure of Restructured Accounts as on 31.03.2021 (FY 2020-21)

क्र. सं. S. No.	पुनर्गठन का प्रकार Type of Restructuring आस्ति वर्गीकरण Assets Classification	सीडीआर प्रक्रिया के अधीन Under CDR Mechanism						एसएमई ऋण पुनर्गठन प्रक्रिया के अधीन Under SME Debt Restructuring Mechanism						अन्य Others						कुल Total		
		मानक Standard	अवमानक Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	
1	01 अप्रैल, 2020 तक पुनर्गठित खाते Restructured Accounts as on April 01, 2020	4	0	8	0	12	3,4863	688	2361	1129	39071	2276	248	11100	1474	15,098	37,163	946	13,469	2603	54,181	
	विवरण Details	No. of borrowers	Amount outstanding	उस पर प्रबंधन** Provision thereon	क्रणियों की संख्या No. of borrowers	बकाया राशि Amount outstanding	उस पर प्रबंधन Provision thereon	क्रणियों की संख्या No. of borrowers	बकाया राशि Amount outstanding	उस पर प्रबंधन Provision thereon	क्रणियों की संख्या No. of borrowers	बकाया राशि Amount outstanding	उस पर प्रबंधन Provision thereon	क्रणियों की संख्या No. of borrowers	बकाया राशि Amount outstanding	उस पर प्रबंधन Provision thereon	क्रणियों की संख्या No. of borrowers	बकाया राशि Amount outstanding	उस पर प्रबंधन Provision thereon	क्रणियों की संख्या No. of borrowers	बकाया राशि Amount outstanding	उस पर प्रबंधन Provision thereon
2	फिचली अवधि के साथ शेष राशि में परिवर्धन सहित वर्ष के दौरान नए पुनर्गठन Fresh Restructuring during the year included additions in balances over the previous period	0	0	0	0	0	8,3831	3863	169	242	88105	3927	222	26	27	4202	87,758	4085	195	269	92,307	
3	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान पुनर्गठित मानक श्रेणी में अपग्रेडेशन Upgradation to restructured standard category during the FY 2020-21	0	0	0	0	0	272.22	9.20	0.64	0.00	282.06	19.85	0.78	9.37	0.00	30.01	292.07	9.98	10.02	0.00	312.08	
4	पुनर्गठित मानक खाते जिन्हें अत्यधिक प्रबंधनों को स्थगित कर दिया है और/या वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अत्यधिक जोखिम धारित किया है तथा इस कारण से आगे वित्तीय वर्ष के आरंभ से इन्हें पुनर्गठित मानक श्रेणी में दर्शाना अपेक्षित नहीं है। Restructured standard advances which ceased to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	0	0	0	0	0	-136	0	0.00	-136	0.00	73	0	0	0	73	-63	0.00	0.00	0.00	-63.00	



ए-2.10.5 दिनांक 31.03.2021 (वि.व 2020-21) को पुनर्गठित खातों का प्रकटीकरण  
A-2.10.5 Disclosure of Restructured Accounts as on 31.03.2021 (FY 2020-21)

(₹ करोड़ में / Amount in ₹ Cr)

क्र. सं. S. No.	पुनर्गठन का प्रकार Type of Restructuring आस्ति वर्गीकरण Assets Classification	सीडीआर कार्यप्रणाली के अर्धीन Under CDR Mechanism						एसएमई ऋण पुनर्गठन कार्यप्रणाली के अर्धीन Under SME Debt Restructuring Mechanism						अन्य Others						कुल Total				
		मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total		मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total		मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	
5	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान पुनर्गठित खातों का डाउनग्रेडेशन Down gradation of restructured accounts during the FY 2020-21	ऋणियों की संख्या No. of borrowers	0	0	0	0	0	0	3885	391	0	0	14	187	90	1	1	4072	-4656	104	4072	481	1	1
		बकाया राशि Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-297.53	34.95	250.49	12.09	0.00	-230.10	0.91	181.04	48.42	0.27	0.27	-527.63	35.85	431.53	60.51	0.27	0.27
6	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान पुनर्गठित खातों को बूट्टे खाते डाला गया Write off of restructured accounts during the FY 2020-21	ऋणियों की संख्या No. of borrowers	2	0	-4	0	-2	-1882	574	188	-1775	1836	-233	-2345	-75	-817	-24	-906	-24	-906	-1775	111	-2594	
		बकाया राशि Amount outstanding	-15.64	0.00	-670.76	0.00	-686.40	-97.43	-130.17	98.66	24.40	-104.63	-81.93	-123.25	-1,260.04	-41.63	-1,506.85	-195.00	-253.42	-1,832.23	-17.23	-2,287.88		
7	31 मार्च, 2021 तक पुनर्गठित खाते Restructured accounts as on March 31, 2021	ऋणियों की संख्या No. of borrowers	6	0	4	0	10	11,2487	3918	6920	1,25,285	7987	236	8829	1505	18,557	1,20,480	4154	1,20,480	4154	1,5753	3445	14,3832	
		बकाया राशि Amount outstanding	163.42	0.00	112.46	0.00	275.87	5,840.06	303.83	632.80	389.52	7,166.01	3,607.68	273.11	2,044.55	1,291.80	7,217.14	9,611.15	576.94	2,789.60	1,681.32	14,659.02		
		उस पर प्रवर्धन Provision thereon	11.70	0.00	0.01	0.00	332.47	10.10	16.57	0.00	359.14	74.37	0.81	37.23	0.00	112.41	418.54	10.91	418.54	53.81	0.00	483.26		



ए-2.10.6 दिनांक 31.03.2020 (वि.व 2019-20) को पुनर्गठित खातों का प्रकटीकरण A-2.10.6 Disclosure of Restructured Accounts as on 31.03.2020 (FY 2019-20)

क्र. सं.	पुनर्गठन का प्रकार Type of Restructuring	सीडीआर कार्यप्रणाली के अधीन Under CDR Mechanism						एसएमई ऋण पुनर्गठन कार्यप्रणाली के अधीन Under SME Debt Restructuring Mechanism						अन्य Others						कुल Total		
		मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	
1	विवरण Details 01 अप्रैल, 2019 तक पुनर्गठित खाते Restructured Accounts as on April 01, 2019	5	3	17	0	25	6,795	107	1,822	1,504	10,168	2,710	567	15,753	2347	21377	9450	677	17,592	3,851	31,570	
	ऋणियों की संख्या No. of borrowers	88.07	52.15	1,973.68	0.00	2,113.9	236.03	8.05	336.01	226.74	806.83	4,550.34	322.13	9,551.59	1,393.97	15,818.03	4,874.44	382.33	11,861.28	1,620.71	18,738.76	
	बकाया राशि Amount outstanding*	37.71	2.02	0.00	0.00	39.73	18.07	0.29	1.51	0.00	19.87	221.51	4.02	17.00	0.00	242.53	277.29	6.33	18.51	0.00	302.13	
	उस पर प्रबंधन Provision thereon**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,079	624	56	81	31,840	1,297	49	11	5	13,982	3,237.6	673	67	86	3,320.2	
2	वर्ष के दौरान नए पुनर्गठन Fresh Restructuring during the year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416.16	116.07	4.48	18.34	1,555.05	517.11	38.22	647.07	85.05	1,287.45	1,933.27	154.29	651.55	103.39	2,842.50	
	बकाया राशि Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.33	3.61	0.20	0.00	66.14	5.56	4.76	0.02	0.00	10.34	67.89	8.37	0.22	0.00	76.48	
	उस पर प्रबंधन Provision thereon	1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	57	-31	-21	-5	0	263	-24	-231	-8	0	321	-55	-253	-13	0.00	
3	वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान पुनर्गठित मानक श्रेणी में अपग्रेडेशन Upgradation to restructured standard category during the FY 2019-20	19.08	0.00	-19.08	0.00	0.00	4.03	-2.11	-1.92	0.00	0.00	20.18	-16.46	-3.69	-0.03	0.00	43.29	-18.57	-24.69	-0.03	0.00	
	बकाया राशि Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	
	उस पर प्रबंधन Provision thereon	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-26	0	0	0	-26	-684	0	0	0	-684.00	-709	0.00	0.00	0.00	-709	
4	पुनर्गठित मानक खाते जिसे अत्यधिक प्रबंधनों को स्थगित कर दिया है और/या वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अत्यधिक जोखिम धारित किया है तथा इस कारण से आगे वित्तीय वर्ष के आरंभ से इन्हें पुनर्गठित मानक अग्रिमों में दर्शाना अपेक्षित नहीं है। Restructured standard advances which ceased to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	559.39	0.00	0.00	0.00	559.39	-187.63	0.00	0.00	0.00	-187.63	81.81	0.00	0.00	0.00	81.81	453.57	0.00	0.00	0.00	453.57	
	बकाया राशि Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	उस पर प्रबंधन Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





ए-2-10.6 दिनांक 31.03.2020 (वि.व 2019-20) को पुनर्गठित खातों का प्रकटीकरण A-2-10.6 Disclosure of Restructured Accounts as on 31.03.2020 (FY 2019-20)

(₹ करोड़ में / Amount in ₹ Cr)

क्र. सं.	पुनर्गठन का प्रकार Type of Restructuring	सीडीआर कार्यप्रणाली के अधीन Under CDR Mechanism						एसएमई ऋण पुनर्गठन कार्यप्रणाली के अधीन Under SME Debt Restructuring Mechanism						अन्य Others						कुल Total	
		मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
5	वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान पुनर्गठित खातों का इजमोडेशन Down gradation of restructured accounts during the FY 2019-20	क्र. सं. 2	0	2	0	0	-1,534	114	1283	137	0	-478	205	214	59	0	-2014	319.00	1,489.00	196.00	0.00
		विक्रय राशि Amount outstanding	-603.81	0.00	603.81	0.00	0.00	-89.06	34.78	47.86	6.42	0.00	-519.03	141.12	376.43	1.47	-0.01	-1,211.90	175.90	1,028.10	7.89
6	वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान पुनर्गठित खातों को बड़े खाते डाला गया Write off of restructured accounts during the FY 2019-20	क्र. सं. -1	-3	-10	0	-14	-1,428	-116	-779	-588	-2911	-832	-549	-4647	-929	-6957	-2261	-668	-5,436	-1517	-9,882
		विक्रय राशि Amount outstanding	-37.53	-52.15	-1,775.19	0.00	-1,864.87	-46.06	-12.17	-117.41	79.09	-96.55	-2,451.80	-331.62	-7,241.10	-197.88	-10,222.40	-2,535.39	-385.94	-9,133.70	-1,187.9
7	31 मार्च, 2020 को पुनर्गठित खाते Restructured accounts as on March 31, 2020	क्र. सं. 4	0	8	0	12	34,883	698	2861	1129	3,9071	2276	248	11100	1474	15098	37163	946	13,469	2603	54181
		विक्रय राशि Amount outstanding	25.20	0.00	785.22	0.00	808.42	1,333.47	144.62	269.02	330.59	2,077.7	2,198.61	153.39	3,330.30	1,282.58	6,984.88	3,557.28	298.01	4,982.54	1613.17
		क्र. सं. 17.75	0.00	15.12	0.00	32.87	72.77	4.73	2.83	0	80.33	80.61	5.45	23.58	0.00	109.64	171.13	10.18	41.53	0.00	222.84
		उस पर प्रवधान Provision thereon																			

\*कुल बकाया राशि में पूर्ववर्ती विजया बैंक की ₹ 708.80 करोड़ तथा पूर्ववर्ती देना बैंक की ₹ 3561.16 करोड़ की प्रारंभिक शेष राशि शामिल है.

\*Total amount outstanding includes opening balance of eVijaya amounting to ₹ 708.80 crores and eDena Bank amounting to ₹ 3561.16 crores.

\*\*कुल प्रावधानों में पूर्ववर्ती विजया बैंक की ₹ 14.92 करोड़ तथा पूर्ववर्ती देना बैंक की ₹ 20.92 करोड़ की प्रारंभिक शेष राशि शामिल है.

\*\*Total Provisions includes opening balance of eVijaya amounting to ₹ 14.92 crores and eDena Bank amounting to ₹ 20.92 crores.



ए.-2.10.7. खरीदी गई/ बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

A-2.10.7. Details of non-performing financial assets purchased/sold

ए. खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण :

A. Details of non-performing financial assets purchased:

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2021	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2020
1. (ए) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	1. (a) No. of accounts purchased during the year	शून्य/Nil	शून्य/Nil
(बी) समग्र बकाया	(b) Aggregate outstanding	शून्य/Nil	शून्य/Nil
2. (ए) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों की संख्या	2. (a) Of these, number of accounts restructured during the year	शून्य/Nil	शून्य/Nil
(बी) समग्र बकाया	(b) Aggregate outstanding	शून्य/Nil	शून्य/Nil

बी. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के विवरण :

B. Details of non-performing financial assets sold:

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2021	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2020
1. बेचे गए खातों की संख्या	1. No. of accounts sold	25	35
2. समग्र बकाया	2. Aggregate outstanding	1,150.93	2,722.23
3. समग्र प्राप्त प्रतिफल	3. Aggregate consideration received	459.90	910.81

सी. प्रतिभूतिकरण कंपनियों को बेचे गए अनर्जक खाते

C. Non Performing Accounts sold to Securitization Companies

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

Particulars	एनपीए के कारण बैंक द्वारा बिक्री की गई अंतर्निहित आस्तियां Backed by NPA sold by the Bank as underlying		एनपीए के कारण अन्य बैंकों/ वित्तीय/ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बिक्री की गई अंतर्निहित आस्तियां Backed by NPAs sold by Other banks/ financial / non-banking financial companies underlying		कुल Total	
	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020
प्रतिभूति रसीदों में निवेश का बही मूल्य Book Value of Investment in Security Receipts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ए- 2.10.8. (i) मानक आस्तियों पर प्रावधान

A-2.10.8.(i) Provisions on Standard Assets

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020
भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provisions towards Standard Assets as per RBI norms	9,607.90	7,403.64

सतत प्रक्रिया के रूप में बैंक ने 15% की न्यूनतम विनियामक आवश्यकता के सापेक्ष प्रतिभूत उप-मानक अग्रिमों पर 20% का प्रावधान करना जारी रखा है। उपर्युक्त के अलावा बैंक ने उधारकर्ता की निधि-आधारित सुविधा के आस्ति वर्गीकरण के आधार पर 50% ऋण रूपांतरण कारक (सीसीएफ) को लागू कर एनपीए उधारकर्ताओं की गैर-निधि आधारित सुविधाओं पर प्रावधान करना जारी रखा है। बैंक ने अनर्जक रिटेल अग्रिमों की कुछ श्रेणियों के लिए 100% प्रावधान करना जारी रखा है।

As a consistent practice, the Bank has continued to make a provision of 20% on the Secured Sub-standard Advances as against the regulatory minimum requirement of 15%. In addition to the above, the Bank has also continued to maintain provision on non-fund based facilities of NPA borrowers, by applying 50% credit conversion factor (CCF), based on the asset class of the fund-based facility of the borrower. Bank also continues to make 100% provision on certain class of non-performing retail advances.

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं. डीबीआर.नं.बीपी.बी.सी.45/21.04.048/2018-19 दिनांक 07 जून, 2019 के अनुसार वर्ष के दौरान कार्यान्वित निपटान योजनाओं से संबंधित प्रकटीकरण:

(ii) Disclosure relating to Resolution Plans implemented during the year in terms of RBI Circular DBR.No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated June 7, 2019:

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	खातों की संख्या जहां इस समय सीमा के दौरान आरपी कार्यान्वित किए गए No of Accounts where RPs Implemented during this time frame		को शेष बकाया राशि Amount Outstanding as on	
		वि.व 2021 FY2021	वि.व 2020 FY2020	वि.व 2021 FY2021	वि.व 2020 FY2020
पुनर्गठन के अधीन ऋण आस्तियों की कुल राशि	Total amount of Loan assets subjected to restructuring	2	5	379.27	472.43
पुनर्गठन के अधीन मानक आस्तियों की राशि	The amount of standard assets subjected to restructuring	0	2	0.00	387.58
पुनर्गठन के अधीन एनपीए आस्तियों की राशि	The amount of NPA assets subjected to restructuring	2	3	379.27	84.85

साथ ही, भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीआर.नं.बीपी.बी.सी.62/61.04.048/2019-20 दिनांक 17 अप्रैल 2020 के अनुसार बैंक ने 2 खातों की निपटान अवधि को बढ़ाया है और ऐसे मामलों में 31 मार्च, 2021 को बकाया राशि ₹ 259.40 करोड़ है और बैंक के पास इन खातों के लिए ₹ 51.88 करोड़ का प्रावधान है।

Further, In terms of RBI circular No DBR.NO.BPBC.62/61.04.048/2019-20 dated 17th April 2020 Bank has extended resolution period in 2 accounts and the outstanding in such cases as on March 31, 2021 is ₹ 259.40 Crores and Bank holds provision of ₹ 51.88 Crores on these accounts.

(iii) पत्र सं. 10655/21.04.048/2018-19 दिनांक 21.06.2019 के माध्यम से जारी भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्रा. लि. (डीएएमईपीएल) के संबंध में प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

(iii) As per Directions of RBI vide letter no 10655/21.04.048/2018-19 dated 21.06.2019 disclosure with respect to Delhi Airport Metro Express Pvt. Ltd. (DAMEPL) as under: (Amount in ₹ Cr)



विवरण	Particulars	आईआरएसी मानदंडों के अनुसार एनपीए के रूप में शामिल नहीं की गई राशि Amount not treated as NPA as per IRAC Norms	आईआरएसी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान Provision required as per IRAC Norms	किए गए वास्तविक प्रावधान Provision actually made
मूलधन	Principal	164.00	41.00	41.00
ब्याज	Interest	69.94	69.94	69.94
कुल	Total	233.94	110.94	110.94

इसके अलावा, चार अन्य खाते हैं जिन्हें न्यायालय के आदेशों के अनुसार मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें कुल बकाया ₹ 3,133.28 करोड़ है, जिसके लिए बैंक ने आईआरएसी मानदंडों के अनुसार अप्राप्त ब्याज के प्रावधान सहित ₹ 1,568.97 करोड़ का प्रावधान किया है।

Further in addition there are four other accounts which are classified as Standard as per Court orders, with aggregate outstanding of ₹ 3,133.28 Crores against which Bank is holding provision of ₹ 1,568.97 Crores as per IRAC norms, including provision for unrealized interest.

ए-2.10.9 जमाओं, अग्रिमों, एक्सपोजरों और एनपीए का संकेन्द्रण

A-2.10.9. Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020
(ए) जमाराशियों का संकेन्द्रण	(a) Concentration of Deposits		
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां	Total Deposits of twenty largest depositors	43,496.81	40,534.97
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank	4.50%	4.28%
(बी) अग्रिमों का संकेन्द्रण	(b) Concentration of Advances		
बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं को दिया गया कुल अग्रिम	Total Advances to twenty largest borrowers	85,635.41	78,860.68
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं को दिए गए अग्रिम का प्रतिशत	Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the bank	11.39%	10.68%
(सी) एक्सपोजर का संकेन्द्रण	(c) Concentration of Exposures		
बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं / ग्राहकों के लिए कुल एक्सपोजर	Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	1,64,806.09	1,39,245.56
ऋणकर्ताओं/ ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर के लिए बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं/ ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत	Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers	14.28%	13.19%
(डी) एनपीए का संकेन्द्रण	(d) Concentration of NPAs		
शीर्ष चार एनपीए खातों के लिए कुल एक्सपोजर	Total Exposure to top four NPA accounts	8,270.73	8,383.37
(ई) प्रावधान कवरेज अनुपात (सकल एनपीए पर पीसीआर)	(e) Provision Coverage Ratio (PCR on Gross NPA)	81.80%	81.33%



ए-2.10.10 इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर

A-2.10.10. Intra Group Exposures

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021			31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020		
		निधि आधारित Fund Based	निवेश आधारित Investment Based	कुल Total	निधि आधारित Fund Based	निवेश आधारित Investment Based	कुल Total
		इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि	Total Amount of Intra Group Exposures	5,235.61	499.17	5,734.78	1,503.14
शीर्ष 20 इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि	Total amount of Top 20 Intra Group Exposures	5,235.61	499.17	5,734.78	1,503.14	537.22	2,040.36
ऋणकर्ताओं/ ग्राहकों को दिए गए बैंक के कुल एक्सपोजर में इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर का प्रतिशत	Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers / customers	0.46	0.04	0.50	0.14	0.05	0.19
इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर की सीमाओं के उल्लंघन का विवरण और उसपर की गई विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो	Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any	-	-	-	-	-	-

ए-2.11 व्यावसायिक अनुपात

A-2.11 Business Ratios

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2021	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2020
औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय <sup>1</sup>	Interest Income as a percentage to Average Working Funds <sup>1</sup>	5.34%	5.92%
कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में निवल ब्याज आय	Net interest income as a percentage to working funds	2.18%	2.14%
औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय	Non-interest income as a Percentage to Average Working Funds	0.94%	0.80%
औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	Operating Profit as a percentage to Average Working Funds	1.56%	1.47%*
आस्तियों पर रिटर्न <sup>2</sup>	Return on Assets <sup>2</sup>	0.07%	0.06%
प्रति कर्मचारी कारोबार <sup>3</sup> (मूल जमा राशि प्लस निवल अग्रिम) (₹ करोड़ में)	Business <sup>3</sup> (Core Deposits plus Net Advances) per employee (₹ in Crores)	19.57	18.77
प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़ में)	Net Profit per employee (₹ in Crores)	0.01	0.01
सकल अग्रिमों के प्रति सकल अनर्जक अग्रिम	Gross non-performing advances to gross advances	8.87%	9.40%
निवल अग्रिमों के प्रति निवल अनर्जक अग्रिम	Net Non Performing advances to net advances	3.09%	3.13%
प्रावधान कवरेज अनुपात (टीडब्ल्यूओ/ अस्थायी प्रावधान सहित)	Provision coverage ratio(Including TWO/Floating provision)	81.80%	81.33%
प्रावधान कवरेज अनुपात (टीडब्ल्यूओ के अलावा)	Provision coverage ratio (Excluding TWO)	67.30%	68.90%

\*पी एण्ड एल में कुछ मदों की रीगुपिंग के कारण रिपोर्ट किए गए अनुपात को 1.54 से संशोधित कर 1.47 किया गया है।

\*The Reported ratio has been revised from 1.54 to 1.47 on account of regrouping of certain items in P & L.

**व्यापार अनुपात/ सूचना से संबंधित कुछ मदों की परिभाषाएं:**

- वित्तीय वर्ष के 12 महीनों के दौरान बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 27 के तहत फॉर्म X में भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित किया गया है कि कार्यशील निधियों की कुल आस्तियों (संचित हानि, यदि कोई हो को छोड़कर) के औसत के रूप में गणना की गई है।
- आस्तियों पर रिटर्न औसत कार्यशील निधियों (अर्थात संचित हानि को छोड़कर कुल आस्तियां, यदि कोई हो) के संदर्भ में होगा।
- प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशि प्लस अग्रिम) की गणना के उद्देश्य से अंतर बैंक जमाराशियों को शामिल नहीं किया गया है।

**Definitions of certain items in Business ratios / information:**

- Working funds reckoned as average of Total Assets (Excluding accumulated losses, if any) as reported to Reserve Bank of India in Form X under section 27 of The Banking Regulations Act, 1949, during the 12 months of the Financial Year.
- Return on Assets would be with reference to average working funds (i.e. total of assets excluding accumulated losses, if any).
- For the purpose of computation of Business per Employee (Deposit plus Advances) inter Bank Deposits are excluded.

**ए-2.12 आस्तियों और देयताओं का प्रबंधन**
**आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता स्वरूप**
**A-2.12 Asset Liability Management**
**Maturity pattern of certain items of assets and liabilities**

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

31.03.2021 को	एक दिन	2-7 दिन	8-14 दिन	15-30 दिन	31 दिन - 2 माह	2 माह से अधिक - 3 माह	3 माह से अधिक - 6 माह तक	6 माह से अधिक - 12 माह तक	1 वर्ष से अधिक - 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक - 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
As on 31.03.2021	1 day	2-7 Days	8-14 Days	15-30 Days	31 Days - 2 Months	Over 2 M - 3 Months	Over 3 M - Up To 6M	Over 6 M -Up to 12 M	Over 1 Yr - UpTo 3 Yr	Over 3 Yr- Upto 5 Yr	Over 5 Yr	Total
जमाराशियाँ Deposits	15,852.79 (10,059.16)	33,566.64 (22,878.78)	23,196.59 (20,310.77)	32,853.00 (21,294.24)	37,821.81 (43,059.77)	36,591.25 (54,768.07)	64,940.25 (60,730.30)	1,14,939.65 (1,36,416.54)	2,70,930.51 (2,59,144.44)	57,978.02 (56,320.19)	2,78,326.41 (2,61,002.16)	9,66,996.93 (9,45,984.43)
अग्रिमः Advances*	11,174.80 (16,147.77)	10,419.14 (2,892.21)	22,931.81 (2,825.02)	8,677.99 (5,452.35)	9,866.28 (10,530.72)	15,224.25 (35,972.46)	26,138.11 (3,7712.45)	38,915.98 (44,757.17)	3,67,477.27 (3,37,150.69)	81,893.58 (1,02,954.93)	1,13,581.30 (93,724.96)	7,06,300.51 (6,90,120.73)
निवेश Investments	41,842.37 (65,229.36)	2,289.55 (1,956.78)	725.11 (1,033.41)	1,470.43 (2,312.41)	2,751.23 (2,176.43)	1,769.57 (1,565.14)	3,761.25 (7,268.31)	9,471.84 (8,442.63)	45,818.38 (30,279.14)	72,135.20 (48,298.35)	79,185.34 (1,06,052.65)	2,61,220.27 (27,4614.61)
उधार Borrowings	55.98 (614.31)	28,357.46 (2,471.28)	53.93 (35,190.90)	0.00 (2,331.25)	89.33 (604.64)	324.30 (2,132.25)	420.85 (2,466.96)	5,945.37 (5,036.53)	16,418.77 (2,3251.92)	12,248.23 (14,462.68)	2,933.70 (4,506.29)	66,847.93 (93,069.01)
विदेशी मुद्रा आस्तियां Foreign Currency assets	52,726.84 (44,554.54)	3,845.68 (7,758.06)	6,881.99 (6,142.34)	7,433.54 (14,021.99)	12,961.16 (18,688.50)	10,066.17 (16,021.06)	17,336.49 (21,074.66)	12,851.16 (22,329.53)	44,537.36 (32,407.06)	16,194.68 (19,744.58)	12,434.25 (14,249.15)	1,97,269.33 (2,16,991.47)
विदेशी मुद्रा दायित्व Foreign Currency liabilities	8,355.37 (9,016.32)	9,576.34 (13,390.30)	3,880.85 (5,485.21)	12,562.06 (11,716.37)	6,225.06 (16,411.26)	6,709.83 (14,525.78)	14,563.72 (21,510.73)	18,295.40 (35,263.61)	34,935.19 (20,504.04)	10,357.87 (15,482.19)	14,215.13 (13,775.49)	1,39,676.80 (1,77,081.28)

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़े हैं।

Figures in bracket denote previous year numbers

आस्तियों एवं देयताओं का वितरण बैंक के "समूह आस्ति देयता प्रबंधन नीति 2020" के अनुसार किया गया है।

The distribution of Assets and Liabilities has been done as per the "Group Asset Liability Management Policy 2020" of the Bank.

\* निवल अग्रिमों की गणना करते समय प्रावधानों एवं अन्य कटौतियों का विभाजन सकल मानक अग्रिमों के अनुपात में किया गया है।

\* The Distribution of provisions and other deductions, while arriving at the net advances, has been done in proportion to the gross Standard Advances.



ए-2.13 एक्सपोजर  
A-2.13 Exposure

ए-2.13.1 रीयल एस्टेट क्षेत्र में एक्सपोजर  
A-2.13.1 Exposure to Real Estate Sector

		(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)	
श्रेणी	Category	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020
ए) प्रत्यक्ष एक्सपोजर	a) Direct exposure	1,07,992.04	1,01,870.03
(i) आवासीय बंधक –	(i) Residential Mortgages –	90,792.07	85,720.60
आवासीय संपत्ति, जो कर्जदार के स्वामित्व में है / होगी या किराए पर है, को बंधक रखते हुए पूर्ण प्रत्याभूत कर्ज,	Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented;	90,792.07	85,720.60
इनमें से प्राथमिकता प्राप्त अग्रिमों में शामिल करने हेतु पात्र व्यक्तिगत आवास ऋण	Of which Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector	40,267.81	38,911.97
(ii) वाणिज्यिक रियल एस्टेट	(ii) Commercial Real Estate	17,199.97	15,995.18
वाणिज्यिक रियल एस्टेट पर बंधक द्वारा प्रत्याभूत कर्ज (कार्यालय भवन, रिटेल स्पेस, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहुपरिवारिय आवासीय भवन, बहु किराएदार, वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या वेयर हाउस स्पेस, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास तथा निर्माण कार्य आदि). एक्सपोजर में गैर निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं शामिल होंगी.	Lending secured by mortgages on commercial real estate's (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits;		
(iii) बंधक युक्त प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूत एक्सपोजर	(iii) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures	0.00	154.25
ए. आवासीय	a. Residential	0.00	1.36
बी. वाणिज्यिक रियल एस्टेट	b. Commercial Real Estate	0.00	152.90
बी ) अप्रत्यक्ष एक्सपोजर	b) Indirect Exposure	31,650.50	36,691.01
निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित एक्सपोजर	Fund based and non-fund based exposures	31,650.50	36,691.01
(i) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)	(i) National Housing Bank (NHB)	27,762.16	31,366.56
(ii) आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी)	(ii) Housing Finance Companies (HFCs)	3,888.34	5,324.45
<b>रियल एस्टेट क्षेत्र में कुल एक्सपोजर</b>	<b>Total Exposure to Real Estate Sector</b>	<b>1,39,642.54</b>	<b>1,38,561.04</b>

ए-2.13.2 पूंजी बाजार एक्सपोजर

A-2.13.2 Exposure to Capital Market

		(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)	
विवरण	Particulars	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020
(i) इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी आधारित म्युचुअल फंडों की यूनिट में प्रत्यक्ष निवेश जिसका कॉर्पस कॉर्पोरेट कर्ज में अलग से निवेश नहीं किया गया हो, में प्रत्यक्ष निवेश	(i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	2,258.18	3,171.56



(ii) शेयरों, बॉण्डों, डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों की एवज में अग्रिम अथवा शेयरों (आईपीओ/ईएसओपीए सहित), परिवर्तनशील बॉण्डों, परिवर्तनशील डिबेंचरों तथा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड की यूनिट में निवेश के लिए व्यक्तियों को निर्बाध आधार पर दिए गए अग्रिम	(ii) Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	2.66	243.79
(iii) किन्हीं अन्य ऐसे उद्देश्यों के लिए अग्रिम जहां शेयरों अथवा परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड की यूनिट को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	(iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	88.49	74.16
(iv) किन्हीं अन्य ऐसे उद्देश्यों के लिए उस सीमा तक अग्रिम, जो कि शेयरों, परिवर्तनशील बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड की यूनिट की संपार्श्विक प्रतिभूति से संरक्षित है; अर्थात् जहां कि शेयरों/ परिवर्तनीय बॉण्डों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंडों के अलावा ली गई प्राथमिक प्रतिभूति पूरी तरह से अग्रिमों को कवर नहीं कर पायी है.	(iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/ convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	460.75	239.61
(v) स्टॉक ब्रोकरों को जमानती और गैर-जमानती अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों और मार्केट मेकर की ओर से जारी गारंटियां	(v) Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	17.41	0.90
(vi) कॉर्पोरेट को शेयरों/ बॉण्डों/ डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों अथवा अपने संसाधनों को बढ़ाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी को प्रवर्तकों के अंशदान के लिए निर्बाध आधार पर स्वीकृत किए गए अग्रिम	(vi) Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	0.00	0.00
(vii) संभावित इक्विटी प्रवाह/ निर्गमों की एवज में कंपनियों को पूरक (ब्रिज) ऋण.	(vii) Bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	0.00	0.23
(viii) शेयरों अथवा परिवर्तनीय बॉण्डों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड की यूनिट के प्राथमिक मुद्दों के बारे में बैंकों द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं.	(viii) Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00
(ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त प्रदान करना	(ix) Financing to stockbrokers for margin trading;	0.00	0.05
(x) उद्यम पूंजी निधियों (पंजीकृत तथा गैर-पंजीकृत दोनों) का समग्र एक्सपोजर	(x) All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered) ;	980.40	1,075.29
<b>पूँजी बाज़ार में कुल एक्सपोजर</b>	<b>Total Exposure to Capital Market</b>	<b>3,807.90</b>	<b>4,805.35</b>

पूँजी बाज़ार में ₹ 3,807.90 करोड़ का एक्सपोजर ₹ 17,782.80 करोड़ की सीमा के अंतर्गत (दिनांक 31 मार्च, 2020 को बैंक की निवल मालियत का 40% अर्थात् ₹ 44,457.00 करोड़) है.

पूँजी बाज़ार में ₹ 2,258.18 करोड़ का एक्सपोजर ₹ 8,891.40 करोड़ की सीमा के अंतर्गत (अर्थात् दिनांक 31 मार्च, 2020 को बैंक की निवल मालियत ₹ 44,457.00 करोड़ का 20%) है.

The exposure to Capital Market of ₹ 3,807.90 Crores is within the limit of ₹17,782.80 Crores (i.e. 40% of Bank's Net worth of ₹ 44,457.00 Crores as on March 31, 2020).

The direct exposure to Capital Market of ₹ 2,258.18 Crores is within the limit of ₹ 8,891.40 Crores (i.e. 20% of the Bank's net worth of ₹ 44,457.00 Crores as on March 31, 2020)





ए-2.13.3 जोखिम श्रेणीवार देशीय एक्सपोजर

दिनांक 31.03.2021 को कुल निवल निधियन एक्सपोजर ₹ 1,50,642.36 करोड़ है. दिनांक 31.12.2020 को बैंक की कुल आस्तियां ₹ 11,73,396.31 करोड़ थीं जिसका 1% ₹ 11,733.96 करोड़ है. यूएसए, यूके और यूई जैसे तीन देशों का कुल निवल निधियन एक्सपोजर क्रमशः ₹ 47,491.65 करोड़, ₹ 16,699.54 करोड़ और ₹ 33,688.89 करोड़ है जो कि दिनांक 31.12.2020 को बैंक की कुल आस्तियों के 1% से अधिक है. यदि दिनांक 31.03.2021 को यूएसए, यूके और यूई में बैंक का कुल निवल निधियन एक्सपोजर को कुल आस्तियों के 1% से अधिक होता है तो भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार यूएसए के लिए ₹ 37.22 करोड़ और यूके के लिए ₹ 24.90 करोड़ तथा यूई के लिए ₹ 49.23 करोड़ का प्रावधान किया गया है. आंतरिक रूप से बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और यूके को "BOBSOV1" और यूई को "BOBSOV2" का दर्जा दिया गया है. निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के वर्गीकरण के अनुसार यूएसए और यूके "नगण्य जोखिम श्रेणी" अर्थात 'ए 1' तथा यूई "कम जोखिम श्रेणी" अर्थात 'ए 2' में हैं.

A-2.13.3 Risk Category wise Country Exposure

Total Net Funded Exposure as on 31.03.2021 is ₹1,50,642.36 Crores. Total assets of the bank as on 31.12.2020 were ₹ 11,73,396.31 Crores, 1% of which comes to ₹ 11,733.96 Crores. Total net funded exposure of three countries namely USA, UK and UAE are amounting to ₹ 47,491.65 Crore, ₹ 16,699.54 crores & ₹ 33,688.89 Crores respectively, is more than 1% of the total assets of the Bank as on 31.12.2020. In case, total net funded exposure of the bank on USA, UK and UAE happens to be more than 1% of total assets as on 31.03.2021, provision of ₹ 37.22 Crores for USA and ₹ 24.90 crores for UK and for UAE ₹ 49.23 crores has been made in terms of RBI guidelines. USA and UK are rated "BOBSOV1" and UAE is rated "BOBSOV2" by BoB internally. As per Export Credit Guarantee Corporation of India (ECGC) classification, USA and UK are in the "Insignificant Risk Category" i.e. 'A1' and UAE is in the "Low Risk Category" i.e. 'A2'.

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

श्रेणी	Category	31 मार्च 2021, को एक्सपोजर (निवल) Exposure (net) as on 31st March 2021	31 मार्च 2021 को प्रावधान Provision held as on 31st March 2021	31 मार्च 2020 को एक्सपोजर (निवल) Exposure (net) as on 31st March 2020	31 मार्च 2020 को प्रावधान Provision held as on 31st March 2020
नगण्य	Insignificant	86,084.22	62.12	81,780.08	57.58
कम	Low	45,679.06	49.23	59,000.55	55.96
मध्य	Moderate	14,385.14	0.00	3,383.21	0.00
उच्च	High	4,483.58	0.00	4,707.94	0.00
अधिक उच्च	Very High	6.42	0.00	3.76	0.00
सीमित	Restricted	3.93	0.00	4.58	0.00
ऑफ क्रेडिट	Off-credit	0.01	0.00	0.02	0.00
गैर-मूल्यांकित	Not Rated	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>कुल</b>	<b>Total</b>	<b>1,50,642.36</b>	<b>111.35</b>	<b>1,48,880.14</b>	<b>113.54</b>

ए-2.13.4 बैंक द्वारा पार की गयी एकल ऋणकर्ता सीमा (एसबीएल)/ समूह ऋणकर्ता सीमा (जीबीएल)

A-2.13.4 Single Borrower Limit (SBL)/ Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

वर्ष Year	ऋणकर्ता का नाम Name of Borrower	एकल ऋणकर्ता एक्सपोजर सीमा Single Borrower Exposure limit	कुल मंजूर सीमा Total Limit Sanctioned	31 मार्च को शेष Balance as on March 31,
2020-21	-	-	-	-
2019-20	-	-	-	-
वर्ष Year	ऋणकर्ता का नाम Name of Borrower	समूह ऋणकर्ता एक्सपोजर सीमा Group Borrower Exposure limit	कुल मंजूर सीमा Total Limit Sanctioned	31 मार्च को शेष Balance as on March 31,
2020-21	-	-	-	-
2019-20	-	-	-	-



## ए-2.13.5 गैर-जमानती अग्रिम राशि

## A-2.13.5 Amount of Unsecured advances

(भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीआर.बीपी.बीसी.संख्या 23/21.04.018/2015-16 दिनांक 01 जुलाई, 2015 के संदर्भ के अनुसार)

(In terms of per RBI Circular No. DBR.BPBC No.23/21.04.018/2015-16 dated 01st July 2015)

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

क्र. सं. S. No.	विवरण	Particulars	31 मार्च, 2021 को राशि Amount as on March 31, 2021	31 मार्च, 2020 को राशि Amount as on March 31, 2020
	अमूर्त आस्तियों जैसे कि अधिकार पर प्रभार, लाइसेंस, प्राधिकार इत्यादि के रूप में रखी गई संपाश्विक प्रतिभूति इत्यादि से समर्थित अप्रत्याभूत ऋण.	Unsecured Loan backed by intangible assets, such as charge over the rights, licenses, authority etc. taken as collateral security.	657.29	669.23
(i)	अमूर्त आस्तियों का अनुमानित मूल्य जिसके लिए गैर-जमानती अग्रिम दिए जाने चाहिए.	Estimated Value of Intangible Assets for which unsecured advances should be given.	1,154.09	1,011.46
(ii)	उक्त (i) को छोड़कर गैर-जमानती ऋण	Unsecured Loans other than (i)	92,037.03	84,056.48

## ए-2.14 विविध

## ए-2.14.1 भारतीय रिजर्व बैंक / विदेशी विनियामकों द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण.

## A-2.14 Miscellaneous

## A-2.14.1 Disclosure of penalties imposed by RBI / Overseas Regulators

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2021		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2020	
		मामलों की संख्या No of Cases	राशि Amount	मामलों की संख्या No of Cases	राशि Amount
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाया गया दंड	Penalties Imposed by RBI	222	1.40	126	4.92
विदेशी क्षेत्रों /अनुषंगियों पर संबंधित विनियामकों द्वारा लगाया गया दंड	Penalties Imposed on Overseas territories/subsidiaries by their respective regulators	1	13.65	2	0.18

ए-2.14.2 प्रायोजित तुलनपत्रेतर (ऑफ-बैलेंस शीट) एसपीवी (जिन्हें लेखा मानदंडों के अनुसार समेकित करना अपेक्षित है).

A-2.14.2 Off-balance sheet SPVs sponsored (Which are required to be consolidated as per accounting norms)

विवरण	Particulars	प्रायोजित एसपीवी का नाम Name of the SPV sponsored	
		घरेलू / Domestic	विदेशी / Overseas
31 मार्च, 2021 को	As on March 31, 2021	शून्य Nil	शून्य Nil
31 मार्च, 2020 को	As on March 31, 2020	शून्य Nil	शून्य Nil



ए-2.14.3 प्रतिभूतिकरण

A-2.14.3 Securitization

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

क्र. सं. S. No.	विवरण	Particulars	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020
1.	प्रतिभूतिकरण संव्यवहार के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की संख्या	No. of SPVs sponsored by the bank for Securitization transaction		
2.	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बही के अनुसार प्रतिभूतिकरण आस्तियों की कुल राशि	Total amount of Securitized assets as per books of the SPVs sponsored by the Bank	शून्य Nil	शून्य Nil
3.	तुलनपत्र की तिथि को न्यूनतम धारण आवश्यकता (एमआरआर) के अनुपालन के लिए बैंक द्वारा प्रतिधारित एक्सपोजर की कुल राशि	Total amount of exposures retained by the bank to comply with minimum retention requirement (MRR) as on the date of Balance Sheet		
ए)	तुलनपत्रेतर एक्सपोजर प्रथम हानि अन्य	a) Off-balance sheet exposures First Loss Others	शून्य Nil	शून्य Nil
बी)	तुलनपत्र का एक्सपोजर प्रथम हानि अन्य	b) On balance sheet exposures First Loss Others		
4.	एमआरआर के अलावा अन्य प्रतिभूतिकरण अंतरण से एक्सपोजर की राशि	Amount of Exposures to securitization transactions other than MRR		
ए)	तुलनपत्रेतर एक्सपोजर	a) Off-balance sheet exposures		
i)	अपने प्रतिभूतिकरण से एक्सपोजर प्रथम हानि हानि/ अन्य	i) Exposures to own securitizations First Loss Loss/Others	शून्य Nil	शून्य Nil
ii)	तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण से एक्सपोजर प्रथम हानि हानि/ अन्य	ii) Exposures to third party securitizations First Loss Loss/Others		
बी)	तुलन-पत्र का एक्सपोजर	b) On-balance sheet exposures		
i)	अपने प्रतिभूतिकरण से एक्सपोजर प्रथम हानि हानि/ अन्य	i) Exposures to own securitizations First Loss Loss/Others	शून्य Nil	शून्य Nil
ii)	तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण से एक्सपोजर प्रथम हानि अन्य	ii) Exposures to third party securitizations First Loss Others		



ए-2.15 दबावग्रस्त आस्तियों संबंधी प्रकटीकरण  
ए-2.15.1 मौजूदा ऋणों के लचीले गठन का प्रकटीकरण

A-2.15 Disclosure on Stressed Assets  
A-2.15.1 Disclosure of flexible structuring of Existing loans

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

वर्ष Year	लचीले गठन हेतु लिए गए ऋणकर्ताओं की संख्या No.of borrowers taken up for flexibly structuring	लचीले गठन हेतु लिए गए ऋणों की राशि Amount of loans taken up for flexible structuring		लचीले गठन हेतु लिए गए ऋणों की एक्सपोजर वेटेड औसत अवधि Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring	
		मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	लचीले गठन लागू करने से पहले Before applying flexible structuring	लचीले गठन लागू करने के बाद After applying flexible structuring
वित्तीय वर्ष FY:2020-21	-	-	-	-	-
वित्तीय वर्ष FY:2019-20	-	-	-	-	-

ए-2.15.2 यथा 31.03.2021 को कार्यनीतिगत ऋण पुनर्गठन योजना पर प्रकटीकरण (ऐसे खाते जो इस समय स्टैंड स्टिल अवधि में हैं) A-2.15.2 Disclosures on Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand-still period) as on 31.03.2021

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

वर्ष Year	ऐसे खातों की संख्या, जहां एसडीआर सक्रिय किया गया है No.of accounts where SDR has been invoked	रिपोर्टिंग तारीख पर बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		जहां ऋण का इक्विटी में रूपांतरण इक्विटी शेयरों के गिरवी को सक्रिय करना लंबित है, उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तारीख पर बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/ invocation of pledge of equity shares is pending		जहां ऋण का इक्विटी में रूपांतरण हो गया है ऐसे खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तारीख पर बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	
		मानक के रूप के वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
वित्तीय वर्ष FY:2020-21	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil
वित्तीय वर्ष FY:2019-20	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil



ए-2.15.3 एसडीआर योजना के बाहर स्वामित्व में परिवर्तन का प्रकटीकरण (ऐसे खाते जो इस समय स्टैंड स्टिल अवधि के अंतर्गत हैं)

A-2.15.3 Disclosures on Change in Ownership outside SDR Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

वर्ष Year	ऐसे खातों की संख्या, जहां एसडीआर सक्रिय किया गया है No. of accounts where banks have decided to Effect change in ownership	रिपोर्टिंग तारीख पर बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date	जहां ऋण का इक्विटी में रूपांतरण / इक्विटी शेयरों के गिरवी को सक्रिय करना लंबित है, ऐसे खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तारीख पर बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares is pending		जहां ऋण का इक्विटी में रूपांतरण / इक्विटी शेयरों के गिरवी को सक्रिय करना रह गया है, ऐसे खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तारीख पर बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares has taken place		जहां नए शेयर जारी कर या प्रवर्तक की इक्विटी के विक्रय द्वारा स्वामित्व में परिवर्तन हो गया है उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तारीख पर बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoters equity	
			एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as standard
वित्तीय वर्ष FY:2020-21	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil
वित्तीय वर्ष FY:2019-20	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil

ए-2.15.4 क्रियान्वयन के अंतर्गत परियोजना के स्वामित्व का प्रकटीकरण (ऐसे खाते जो इस समय स्टैंड-स्टील अवधि के अंतर्गत हैं)

A-2.15.4 Disclosures on Change in Ownership of Projects Under Implementation (accounts which are currently under the stand-still period)

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

वर्ष Year	ऐसे परियोजना ऋण खातों की संख्या, जहां बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन लागू करने का निर्णय लिया है. No. of project loan accounts where banks have decided to effect change in ownership	रिपोर्टिंग तारीख पर बकाया राशि Amount out standing as on the reporting date		
		मानक के रूप के वर्गीकृत Classified as standard	मानक पुनर्गठित के रूप के वर्गीकृत Classified as standard restructured	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
वित्तीय वर्ष FY:2020-21	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil
वित्तीय वर्ष FY:2019-20	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil

**ए-2.15.5 दबावग्रस्त आस्तियों की संवहनीय संरचना के लिए की योजना पर प्रकटीकरण (एस4ए)** A-2.15.5 Disclosure on the scheme for sustainable structuring of Stressed Assets (S4A)

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	जहां एस 4ए लागू किया गया है, ऐसे खातों की संख्या No. of A/cs where S4A has been applied	31.03.2021				जहां एस 4ए लागू किया गया है, ऐसे खातों की संख्या No. of A/cs where S4A has been applied	31.03.2020			
			समग्र बकाया राशि Aggregate amount outstanding	बकाया राशि Amount outstanding	रखा गया प्रावधान Provision held			समग्र बकाया राशि Aggregate amount outstanding	बकाया राशि Amount outstanding	रखा गया प्रावधान Provision held	
			भाग ए में In Part A	भाग बी में In Part B			भाग ए में In Part A	भाग बी में In Part B			
मानक के रूप में वर्गीकृत	Classified as Standard	5	1160.76	736.50	424.26	111.34	6	1,481.99	916.57	565.42	156.86
एनपीए के रूप में वर्गीकृत	Classified as NPA	3	781.41	651.41	130.00	0.00	4	903.00	852.09	50.91	-
कुल	Total	8	1942.17	1387.91	554.26	111.34	10	2,384.99	1,768.66	616.33	156.86

**ए-2.15.6 पुनर्गठन प्रक्रिया के दौरान इक्विटी में ऋण के रूपांतरण के कारण शेयरों का अधिग्रहण.** A-2.15.6 Acquisition of shares due to conversion of debt to equity during a restructuring process.

दबावग्रस्त आस्तियों के निपटान के लिए विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क पर भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र आरबीआई/ 2018-19/203 डीबीआर.नं.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 दिनांक 07.06.2019 के अनुसार पुनर्गठन प्रक्रिया के दौरान ऋण को इक्विटी में बदलने के कारण शेयरों के अधिग्रहण का विवरण निम्नानुसार है:

As per RBI Circular on Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets vide letter RBI/2018-19/203 DBR.No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated 07.06.2019, Details of Acquisition of shares due to conversion of debt to equity during a restructuring process is as under:

31.03.2021 को As on 31.03.2021

विवरण	Particulars	शेयरों की संख्या No of Shares	प्रति शेयर अंकित मूल्य Face value per Share	अंकित मूल्य (करोड़ में) Face Value (In Crs.)	राशि (करोड़ में) Amt (In Crs.)
0.0001सुजलोन ग्लोब्स लिमिटेड0620	0.0001SUZLON GLOB S LTD0620*	43,785.00	1,00,000.00	437.85	370.54
0.01भारत वायर रोप्स सीसीपीएस*	0.01BHARAT WIRE ROPES CCPS*	14,976.00	1,00,000.00	149.76	149.76
1%बेडमुथा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड 2033*	1% BEDMUTHA IND LTD 2033*	4,24,700.00	10.00	0.42	42.47
भारत वायर रोप्स लिमिटेड	BHARAT WIRE ROPES LTD	24,39,809.00	10.00	2.44	2.12
सुजलोन एनर्जी लिमिटेड	SUZLON ENERGY LTD	9,90,51,809.00	2.00	19.81	0.00
कुल	Total			610.28	564.89

\* पूर्णतः प्रदान किया गया \* Fully provided



दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीआर.नं.बीपी.बी.सी.45/21.04.048/2018-19 दिनांक 07.06.2019 के माध्यम से जारी समाधान योजना के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देशों में भारतीय रिज़र्व बैंक के इस परिपत्र के पैरा 17 के अनुसार अतिरिक्त प्रावधानों की आवश्यकता भी शामिल है। ऐसे मामलों में बकाया दिनांक 31 मार्च, 2021 को ₹ 12,265.33 करोड़ है और भारतीय रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त परिपत्र के अनुपालन हेतु बैंक ने 31 मार्च, 2021 को ₹ 4,441.26 करोड़ (पिछले वर्ष 2,193.75 करोड़ था) का अतिरिक्त प्रावधान रखा है।

RBI vide their Circular no DBR.No.BP. BC.45/21.04.048/2018-19 dated 7th June 2019 on Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets guidelines for implementation of Resolution Plan , also containing requirements of additional Provisions as per para 17 of this RBI circular. The outstanding in such cases as on March 31, 2021 is ₹ 12,265.33 Crores and in compliance with the above RBI circular, The Bank is holding additional provision of ₹ 4,441.26 Crores (Previous Year ₹ 2,193.75 Crores) as on March 31, 2021.

31.03.2020 को / As on 31.03.2020

विवरण	Particulars	शेयरों की संख्या No of Shares	प्रति शेयर अंकित मूल्य Face value per Share	अंकित मूल्य (करोड़ में) Face Value (In Crs.)	राशि (करोड़ में) Amt (In Crs.)
जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी लि	GMR Chattisgarh Energy Ltd	20,84,445	100.00	20.84	20.84
जय प्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड *	Jai Prakash Power Ventures Ltd*	8.00	1,00,000.00	0.08	0.08
जय प्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड *	Jai Prakash Power Ventures Ltd*	1,403.00	10,00,000.00	140.30	140.30
कुल	Total			161.22	161.22

\* पूर्णतः प्रदान किया गया \* Fully provided

ए-3 प्रावधानाओं एवं आकस्मिकताओं का विश्लेषित विवरण

ए-3. लाभ व हानि खाते में आने वाले प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का विश्लेषित विवरण इस प्रकार है

A-3 Breakup of Provisions and Contingencies

A-3.1 Break-up of provisions and contingencies appearing in Profit & Loss Account is as under:

(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020
निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधान (निवल प्रलेखित तथा बट्टे खाते डाले गए सहित)	Provision for depreciation on investment (net of written back and including write off)	309.91	986.74
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋणों/एनपीए के लिए प्रावधान (निवल प्रलेखित)	Bad debts written off / Provision made towards NPA (net of written back)	12,147.26	16,517.06
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	Provision for standard assets	2,158.03	3,085.48
कर हेतु प्रावधान आस्थगित करों और संपदा कर सहित (प्रावधानों के प्रत्यावर्तन का निवल)	Provision for taxes including deferred taxes and Wealth tax (net of reversal of provisions)	4,727.05	(2,348.29)
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	Other Provision and Contingencies		
पुनर्गठित मानक व अवमानक खातों में ब्याज के परित्याग हेतु प्रावधान	Provision towards sacrifice of interest in restructured standard and sub-standard accounts	260.45	(112.16)
देशगत जोखिम प्रबंधन हेतु प्रावधान	Provision for Country Risk Management	(2.19)	40.61
अन्य (इसमें धोखाधड़ियों, बैंक के विरुद्ध दावों, संवेदनशील खातों आदि के प्रावधान शामिल हैं).	Others (includes provision for fraud, claim against bank, sensitive accounts etc.)	200.34	180.60
कुल	Total	19,800.85	18,350.04

**ए-3.2 अस्थायी प्रावधान – व्यापक प्रकटीकरण (मानक अग्रिमों के लिए जेनरिक प्रावधान) – व्यापक प्रकटीकरण** **A-3.2 Floating Provisions (Generic Provision for standard advances) – Comprehensive Disclosures**

(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2021	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2020
ए. अस्थायी प्रावधान खाते में आरंभिक शेष	a. Opening balance in the floating provisions account	496.70	425.35
बी. समामेलन से शामिल किया गया	b. Addition on Amalgamation	0.00	71.35
सी. लेखा वर्ष के दौरान किए गए ड्रा डाउन की राशि	c. Amount of draw down made during the accounting year	496.70	0.00
डी. अस्थायी प्रावधान खाते में अंतिम शेष	d. Closing balance in the floating provisions account	0.00	496.70

भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना संदर्भ सं. आरबीआई/2021-22/28 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.10/21.04.048/2021-22 दिनांक 5 मई, 2021 द्वारा बैंकों को सूचित किया है कि उन्हें दिनांक 31 दिसंबर, 2020 को उनके द्वारा धारित अस्थिर प्रावधानों / कार्टर साइक्लिकल प्रोवोजनिंग बफर के 100% का उपयोग, अपने संबंधित निदेशक मंडलों के पूर्व-अनुमोदन से गैर-निष्पादक आस्तियों हेतु विशिष्ट प्रावधान करने की अनुमति है। बैंक ने अपने निदेशक मंडल से अपेक्षित अनुमति प्राप्त की है तथा 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही में गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए विशिष्ट प्रावधानों हेतु आवश्यकता के अनुसार ₹ 496.70 करोड़ के अस्थिर प्रावधान का उपयोग किया है।

As per RBI notification Ref No - RBI/2021-22/28 DOR.STR. REC.10/ 21.04.048 /2021-22 dated May 5, 2021 banks are advised that they are permitted to utilize 100 per cent of floating provisions / countercyclical provisioning buffer held by them as on December 31, 2020 for making specific provisions for non-performing assets with the prior approval of their respective Boards. The Bank has obtained the requisite permission from its Board of directors and has utilized floating provision amounting to ₹ 496.70 crores against the requirement for specific provisions for non-performing assets in the quarter ended March 31, 2021.

**ए-3.3. अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर पर प्रावधान**

बैंक ने मुद्रा आधारित ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए नीति और प्रक्रिया स्थापित की है। ऋण मूल्यांकन ज्ञापन को आरंभ में तैयार किया जाता है और विनिमय जोखिम पर चर्चा करने कि ग्राहक, व्यापार संबंधी, विदेशी मुद्रा उधार और बाह्य वाणिज्यिक उधार सहित सभी स्रोतों से कितना एक्सपोजर है, के लिए ऋण सुविधा की समीक्षा की आवश्यकता है। यह विनिमय जोखिम को कम करने के लिए ग्राहक को उपलब्ध प्राकृतिक हेज के साथ-साथ ग्राहकों द्वारा अपनायी जाने वाली अन्य हेजिंग की पद्धतियों को कवर कर सकता है। बैंक द्वारा परिभाषित प्रारंभिक सीमा के बाहर विदेशी मुद्रा ऋण देने के लिए ग्राहक को बैंक के साथ उचित जोखिम हेजिंग प्रणाली अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वैकल्पिक तौर पर, बैंक स्वयं को संतुष्ट करेगा कि ग्राहक के पास उसके सामान्य व्यवसाय के दौरान भी विनिमय जोखिम को कम करने की वित्तीय क्षमता है और / अथवा जोखिम कम करने के लिए अन्य विकल्प हैं। बैंक के पास विनिमय दरों में अधिक अस्थिरता की अवधि के दौरान ग्राहक के सूचना के मासिक समीक्षा की नीति है। जब किसी ग्राहक को ऋण सुविधा प्रदान की जाती है उस ग्राहक की विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के अनहेज्ड भाग पर जानकारी की मासिक समीक्षा की नीति है। ग्राहक को ऋण सुविधाएं देते समय ग्राहक की अनहेज्ड विदेशी मुद्रा स्थिति के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित क्रेडिट जोखिम रेटिंग लिंकड सीमा लागू है। विनिमय दर में बृहद स्तर पर दुष्प्रभाव के चलन से प्रभावित ग्राहक के अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की सीमा सहित अनुपालन का मूल्यांकन ग्राहक की वार्षिक आय में ब्याज और मूल्यहास (ईबीआईडी) के पूर्व गिरावट का आकलन करके किया जाता है। जहां इस तरह के सिमुलेशन में उल्लंघन पाया जाता है, ग्राहक को सलाह दी जाती है कि वह अपने अनहेज्ड एक्सपोजर को कम करे।

**A-3.3.Provision on Unhedged Foreign Currency Exposure**

The Bank has in place a policy and process for managing currency induced credit risk. The credit appraisal memorandum prepared at the time of origination and review of a credit facility is required to discuss the exchange risk that the customer is exposed to from all sources, including trade related, foreign currency borrowings and external commercial borrowings. It could cover the natural hedge available to the customer as well as other hedging methods adopted by the customer to mitigate exchange risk. For foreign currency loans granted by the Bank beyond a defined threshold the customer is encouraged to enter into appropriate risk hedging mechanisms with the Bank. Alternatively, the Bank satisfies itself that the customer has the financial capacity to bear the exchange risk in the normal course of its business and / or has other mitigants to reduce the risk. The Bank has a policy of monthly review of information on the unhedged portion of foreign currency exposures of customers during the periods of high volatility in exchange rates. A Board approved credit risk rating linked limit on unhedged foreign currency position of customers is applicable when extending credit facilities to a customer. The compliance with the limit is assessed by estimating the extent of drop in a customer's annual Earnings Before Interest and Depreciation ('EBID') due to a potentially large adverse movement in exchange rate impacting the unhedged foreign currency exposure of the customer. Where a breach is observed in such a simulation, the customer is advised to reduce its unhedged exposure.





प्रावधानों का संचलन निम्नानुसार है.

Movement of the provision is as under.

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2021	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2020
प्रावधान खाते में आरंभिक राशि	a. Opening balance provisions account	155.33	81.80
पूर्ववर्ती देना बैंक एवं पूर्ववर्ती विजया बैंक के विलय के परिणामस्वरूप शामिल	b. Addition on account of merger of eDB and eVB	0.00	26.42
लेखा वर्ष में किए गए प्रावधानों का हिस्सा (विनिमय अंतर सहित)	c. The quantum of provisions made in the accounting year (incl. exchange difference)	28.77	47.11
लेखांकन वर्ष के दौरान रिवर्स की गई राशि	d. Amount Reverse during the accounting year	0.00	0.00
प्रावधान खाते में अंतिम शेष	e. Closing balance in the provisions account	184.10	155.33

दिनांक 31 मार्च, 2020 तक उधारकर्ताओं के अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के सापेक्ष में बैंक का अग्रिम एक्सपोजर 80 बीपीएस प्रावधान ₹ 2,319.15 करोड़ था. ₹ 96.01 करोड़ की अतिरिक्त न्यूनतम पूंजी आवश्यकता के सापेक्ष में इस एक्सपोजर पर अतिरिक्त आरडब्ल्यू ₹ 882.85 करोड़ है.

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी.नं.बीपी.बी.सी.85/21.06.200/2013-14 दिनांक 15 जनवरी, 2014 के अनुसार अनहेज्ड विदेशी मुद्रा के लिए देयता का आकलन किया है और 31 मार्च, 2021 को ₹ 184.10 करोड़ का प्रावधान रखा है (पिछले वर्ष: ₹ 155.33 करोड़)

In accordance with RBI guidelines, as at March 31, 2021, the amount of bank's credit exposure against Unhedged Foreign Currency Exposure of borrowers attracting 80 bps provisions was ₹ 2,319.15 Crores. The additional RWA on this exposure is ₹ 882.85 crores against this additional minimum capital requirement is ₹ 96.01 crores.

The Bank has estimated the liability for Unhedged Foreign Currency in terms of RBI circular DBOD.No.BP.BC.85/21.06.200/2013-14 dated January 15, 2014 and is holding a provision of ₹184.10 Crores as on March 31, 2021 (Previous Year: ₹ 155.33 Crores).

ए 3.4 धोखाधड़ी खातों से संबंधित प्रावधानों पर प्रकटीकरण

A-3.4 Disclosure on provisioning pertaining to fraud accounts

(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2021	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2020
वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों की संख्या	Number of frauds reported during the year	248	350
शामिल राशि*	Amounts Involved*	9,796.31	12,971.14
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान*	Provisions made during the year*	9,400.42	11,728.61
समाप्त वर्ष पर धारित प्रावधान*	Provisions held at the end of the year*	32,997.33	25,050.55
वर्ष की समाप्ति पर 'अन्य आरक्षित' को नामे कर ऋण चुकाने के लिए किया गया प्रावधान	Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year	162.91	349.51

\* इसमें अग्रिम एवं अन्य शामिल है.

\* This includes Advances and others.

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) परिपत्र सं. डीबीआर सं. बीपी.बीसी.92/21.04.048/2015-16 दिनांक 18 अप्रैल, 2016 के अनुसार बैंक ने चार तिमाहियों की अवधि के लिए देयता प्रदान करने का विकल्प लिया है।

तदनुसार, 31 मार्च, 2020 को कैरी फारवर्ड प्रावधान ₹ 162.91 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 349.51 करोड़) रहा जिसे बैंक द्वारा अगली तिमाही में परिशोधित किया जाएगा।

As per the Reserve bank of India (RBI) circular no. DBR No. BPBC.92/21.04.048/2015-16 dated April 18, 2016 the Bank has opted to provide the liability for frauds over a period of four quarters.

Accordingly, the carry forward provision as on March 31, 2021 is ₹ 162.91 Crores (Previous Year ₹ 349.51 Crores) which is to be amortized in the subsequent quarters by the bank.

### ए-3.5 'दावों के एवज में अर्जित गैर बैंकिंग आस्तियों' के अंतर्गत भूमि/आस्ति से संबंधित प्रावधान पर प्रकटीकरण

### A-3.5 Disclosure on provisioning pertaining to Land/ Asset held under 'Non-Banking assets acquired in satisfaction of claims'

(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020
'दावों के एवज में अर्जित गैर बैंकिंग आस्तियों' के अंतर्गत धारित भूमि	Amount of Land held under 'Non-Banking assets acquired in satisfaction of claims'	54.96	165.45
वर्ष के प्रारंभ में धारित प्रावधान	Provisions held at the beginning of the year	165.45	91.08
वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि खाते को नामे करते हुए किए गए प्रावधान	Provisions made during the year by debiting profit and loss account	(110.49)	74.37
'आरक्षित एवं अधिशेष' के अंतर्गत 'लाभ एवं हानि खाते में शेष राशि' से नामे करते हुए अपरिशोधित प्रावधान	Unamortised provision debited from 'Balance in profit and loss account' under 'Reserves and Surplus'	0.00	0.00

अनर्जक आस्तियों में वसूली का समायोजन पहले प्रभार के लिए किया जाएगा फिर ब्याज आय और अंतिम में मूलधन शेष के लिए किया जाएगा।

Appropriation of Recoveries in Non-Performing Assets is first appropriated towards charges, then interest income and last in principal outstanding.

### ए-3.6 ए) आरक्षित एवं अधिशेष

### A-3.6 a) Reserves and Surplus

#### सांविधिक आरक्षित

बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17 और आरबीआई के दिनांक 23 सितंबर, 2000 के दिशानिर्देशों के अनुसरण में 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ में से ₹ 207.22 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 136.54 करोड़) का समायोजन सांविधिक आरक्षित के लिए किया है।

#### Statutory Reserve

The Bank has made an appropriation of ₹ 207.22 Crores (Previous Year: ₹ 136.54 Crores) out of profits for the year ended March 31, 2021 to the Statutory Reserve pursuant to the requirements of Section 17 of the Banking Regulation Act, 1949 and RBI guidelines dated September 23, 2000

#### आरक्षित पूंजी

आरक्षित पूंजी में अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर हुई मूल्य वृद्धि, भारत सरकार द्वारा लघु/ मध्यम स्तर के उद्योग व अन्य के लिए निर्यात विकास परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक की योजना के अंतर्गत सदस्यता राशि शामिल है।

#### Capital Reserve

Capital Reserve includes appreciation arising on revaluation of immovable properties, amount subscribed by Government of India under the World Bank's Scheme for Export Development Projects for small / medium scale industries and others.

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए, बैंक ने एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत निवेशों की बिक्री और अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ, निवल कर और सांविधिक आरक्षित, लाभ एवं हानि खाते से आरक्षित पूंजी द्वारा ₹ 676.90 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 822.25 करोड़) समायोजित किया है।

During the year ended March 31, 2021, the Bank appropriated ₹ 676.90 Crores (Previous Year: ₹ 822.25 crore), being the profit from sale of investments under HTM category and profit on sale of immovable properties, net of taxes and transfer to statutory reserve, from the Profit and Loss Account to the Capital Reserve.



**निवेश संबंधी उतार – चढ़ाव आरक्षित निधि**

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को राजकोषीय वर्ष 2019 की शुरुआत से 3 वर्षों की अवधि के अन्दर निवेश संबंधी उतार – चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफआर) का निर्माण करना है जो उनके एचएफटी और एएफएस निवेश पोर्टफोलियों के 2% के समतुल्य होगा. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने लाभ एवं हानि खाते से निवेश संबंधी उतार चढ़ाव आरक्षित निधि में शून्य समायोजन किया है. (पिछले वर्ष: शून्य)

**शेयर प्रीमियम**

वर्ष के दौरान बैंक ने क्वालिफाइड इन्स्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के माध्यम से ₹ 4,500 करोड़ (₹ 4375.16 करोड़ के प्रीमियम सहित (खर्चों का निवल)) की पूंजी सृजित की है. बैंक ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान शेयर प्रीमियम से कोई ड्रा डाउन नहीं किया है.

**ए-3.6 बी) आरक्षित निधियों में गिरावट (ड्रा डाउन) निवेश आरक्षित खाता**

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निवेश आरक्षित खाते से कोई ड्रा डाउन नहीं किया गया (31 मार्च, 2020: ₹ 41.58 करोड़)

**ए-4 शिकायतों का प्रकटीकरण – आरबीआई के परिपत्र दिनांक 27 जनवरी, 2021 के अनुसार समस्या एवं शिकायत पर परिष्कृत प्रकटीकरण**

**Investment Fluctuation Reserve**

In accordance with RBI guidelines, banks are required to create an Investment Fluctuation Reserve (IFR) equivalent to 2% of their HFT and AFS investment portfolios, within a period of three years starting fiscal 2019, subject to profit availability after statutory appropriation. During the year ended March 31, 2021, the Bank has made ₹ NIL appropriation to the Investment Fluctuation Reserve from the Profit and Loss Account. (Previous Year: NIL)

**Share Premium**

During the year, the Bank has raised capital of ₹ 4,500 Crores (including premium of ₹ 4,375.16 Crores (net of expenses)) through Qualified Institutional Placement (QIP). The Bank has not undertaken any drawdown from share premium during the year ended March 31, 2021.

**A-3.6 b) Draw Down from Reserves Investment Reserve Account**

During the Financial Year 2020-21, there is no draw down from the Investment Reserve Account (March 31, 2020: ₹ 41.58 Crores).

**A-4 Disclosure of complaints – Enhanced Disclosure on complaints and grievance and redress as per RBI circular dated January 27, 2021.**

(प्रबंधन द्वारा यथा संकलित / As compiled by the Management)

S. No	विवरण	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
	बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें	Complaints received by the bank from its customers		
1	वर्ष के शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	Number of complaints pending at beginning of the year	31,435#	29,648
2	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	Number of complaints received during the year	18,99,415	17,71,923
3	वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या.	Number of complaints disposed during the year	19,08,739	17,68,976
	3.1 जिनमें से बैंक द्वारा अस्वीकृत शिकायतों की संख्या	Of which, number of complaints rejected by the bank	6,460	4,193
4	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	Number of complaints pending at the end of the year	22,111	32,595#
	ओबीओ से बैंक द्वारा प्राप्त मटेन करने योग्य शिकायतें	Maintainable complaints received by the bank from OBOs		
5	ओबीओ से बैंक द्वारा प्राप्त मटेन करने योग्य शिकायतों की संख्या	Number of maintainable complaints received by the bank from OBOs	10,907*	6,726
	5.1 बिन्दु 5 में से, बैंकिंग लोकपालों द्वारा बैंक के पक्ष में निस्तारित शिकायतों की संख्या	5.1 Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by Bos	9,105	6,246
	5.2 बिन्दु 5 में से, बैंकिंग लोकपालों द्वारा जारी समाधान/मध्यस्थता/एडवायजरी के माध्यम से निस्तारित शिकायतों की संख्या	5.2 Of 5, number of complaints resolved through conciliation/mediation/ advisories issued by Bos	665	474
	5.3 बिन्दु 5 में से, बैंकिंग लोकपालों द्वारा बैंक के विरुद्ध निर्णय जारी करने के बाद निस्तारित शिकायतों की संख्या	5.3 Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by BOs against the bank	3	6



6	निर्धारित समय (जिनमें अपील की गई हैं उन्हें छोड़कर) के भीतर लागू नहीं किए गए निर्णयों की संख्या	Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	0	0
	नोट: मेंटेन करने योग्य शिकायतों से आशय उन शिकायतों से है जो बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 में विशिष्ट रूप से उल्लिखित हैं और इस योजना के अंतर्गत कवर किए जाते हैं.	Note: Maintainable complaints refer to complaints on the grounds specifically mentioned in BO Scheme 2006 and covered within the ambit of the Scheme.		

\*1134 शिकायतों पर अभी भी निर्णय आना शेष है.

\*Decision is yet to come on 1134 complaints

#शिकायतों के प्रारंभिक शेष और बकाया शेष में अंतर प्राप्त सुझावों के आधार पर है जिन्हें बाद में निस्तारित कर दिया गया था.

#Difference in opening and closing is on account of suggestions received which were subsequently disposed off

बैंक को ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के शीर्ष 5 आधार  
Top five grounds of complaints received by the bank from customers

शिकायतों का आधार (अर्थात् शिकायतें जो संबंधित हैं-)	Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	वर्ष के शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the beginning of the year	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of complaints received during the year	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % वृद्धि/ कमी % increase/decrease in the number of complaints received over the previous year	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the end of the year	बिन्दु 5 में से, 30 दिनों के बाद लंबित शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
---	--	--	---	---	---	--

वित्तीय वर्ष 2020-21 / FY 2020-21

इंटरनेट/मोबाइल/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	Internet/Mobile/ Electronic Banking	13,480	8,33,063	11.86%	6,421	23
एटीएम/डेबिट कार्ड	ATM/Debit Cards	12,696	7,31,381	(11.90)%	12,238	72
खाता खोलना/खातों के संचालन में कठिनाई	Account Opening/ difficulty in operations of accounts	834	1,03,555	180.80%	285	0
ऋण और अग्रिम	Loans and advances	515	25,425	109.05%	200	0
प्रभारों की वसूली/अत्यधिक	Levy of charges/ excessive	440	19,590	158.20%	169	4
अन्य	Others	3,470	1,86,401	35.32%	2,798	5

वित्तीय वर्ष 2019-20 / FY 2019-20

इंटरनेट/मोबाइल/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	Internet/Mobile/ Electronic Banking	11,172	7,44,730	65.48%	15,386	3,750
एटीएम/डेबिट कार्ड	ATM/Debit Cards	14,406	8,30,194	17.44%	11,954	2,061
खाता खोलना/खातों के संचालन में कठिनाई	Account Opening/ difficulty in operations of accounts	333	36,879	33.22%	824	217
ऋण और अग्रिम	Loans and advances	137	12,162	66.76%	520	105
प्रभारों की वसूली/अत्यधिक	Levy of charges/ excessive	79	7,587	218.65%	441	89
अन्य	Others	3,521	1,40,371	758.33%	3,470	1,317



ए-5. चुकौती आश्वासन पत्र की स्थिति

- I. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जारी चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) बैंक ने चालू वर्ष के दौरान विदेशी नियामकों द्वारा अपने विदेशी अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों के परिचालन को समर्थित करने के लिए अपना अनुमोदन प्राप्त करते समय आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में कोई आश्वासन पत्र जारी नहीं किया।
- II. 31 मार्च, 2021 को बकाया चुकौती आश्वासन पत्रों की संचयी स्थिति
- बैंक द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्रों तथा संचयी वित्तीय जिम्मेदारियों का विवरण निम्नानुसार है:
- ए) अपने जमाकर्ताओं व अन्य ऋणदाताओं को पूर्ण रूप से स्वामित्व वाली अनुषंगी- बैंक ऑफ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लि. के संपूर्ण कर्ज को गारंटीकृत करते हुए रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड को 2008-09 के दौरान चुकौती आश्वासन पत्र जारी किया गया. यथा 31 मार्च, 2021 को अनुषंगी की जमा-राशियां (ओवरड्राफ्ट और बैंक के जमा के एवज में ऋण का निवल) ₹ 455.23 करोड़ हैं तथा बाह्य देयता ₹ 6.09 करोड़ हैं (यथा ₹ 461.32 करोड़ की कुल देयता). 31 मार्च 2021 को अनुषंगी की निवल मालियत ₹ 256.92 करोड़ है. इस संबंध में मूल बैंक पर निवल आकस्मिक देयता ₹ 204.40 करोड़ है.
- बी) वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने संयुक्त उद्यम बैंक - इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी (आईआईबीएमबी) में बैंक के 40% शेयरधारिता की सीमा तक बैंक नेगारा मलेशिया को आश्वासन पत्र जारी किया है. दिनांक 31 मार्च, 2021 को आईआईबीएमबी की कुल जमा राशि ₹ 189.64 करोड़ एवं अन्य देयताएं ₹ 3.95 करोड़ (अर्थात कुल ₹ 193.59 करोड़ की कुल देयताएं) हैं. दिनांक 31 मार्च, 2021 को आईआईबीएमबी की निवल मालियत ₹ 576.55 करोड़ रहा. चूंकि आईआईबीएमबी का वित्तीय वर्ष 31 दिसंबर को होता है इसलिए 31 मार्च 2021 के आंकड़े अलेखापरीक्षित विवरण से लिए गए हैं.

A-5. Status of Letters of Comfort

- I. Letters of Comfort (LOC's) issued during the Current Financial Year
- During the current financial year the bank has not issued any Letter of Comfort to meet the requirements of the overseas regulators to support the operations of its overseas subsidiaries/joint ventures.
- II. Cumulative position of LOC's outstanding as on March 31,2021
- The LOC issued by the bank in the past and the cumulative financial obligation is as under:
- a) LOC issued during 2008-09 to Reserve Bank of New Zealand guaranteeing entire indebtedness of the wholly owned subsidiary - Bank of Baroda (New Zealand) Ltd. to its depositors and other creditors. As on 31st March 2021 the subsidiary's Deposits (net of Overdraft and Loan against Bank's own deposits) are ₹ 455.23 crores and outside liabilities are ₹ 6.09 crore (i.e. total liabilities of ₹ 461.32 Crores). The net worth of the subsidiary as on 31st March 2021 is ₹ 256.92 Crores. The net contingent liability on the Parent Bank is ₹ 204.40 Crores in this regard.
- b) LOC was issued during the year 2010-11 to Bank Negara Malaysia upto our Bank's 40% shareholding in the Joint Venture Bank - 'India International Bank (Malaysia) Bhd (IIBMB). As on 31st March 2021 the deposits of IIBMB are ₹ 189.64 crore and other liabilities are ₹ 3.95 Crores (i.e. Total liabilities of ₹ 193.59 crore). The net worth of the IIBMB as on 31st March 2021 is ₹ 576.55 crore. As the financial year end of IIBMB is 31st December, figure of 31st March 2021 have been taken from unaudited statements.

ए-6 तीसरी पार्टी के उत्पादों के विपणन से अर्जित आय

A-6 Income earned for marketing third party products

(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

आय की प्रकृति	Nature of Income	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2021	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2020
जीवन बीमा पॉलिसियों की बिक्री हेतु	For selling life insurance policies	118.34	93.29
गैर-जीवन बीमा पॉलिसियों की बिक्री हेतु	For selling Non-life insurance policies	58.34	51.34
म्यूच्युअल फंड उत्पादों की बिक्री हेतु	For selling mutual fund products	28.84	19.60
इक्विटी ब्रोकिंग उत्पाद की बिक्री हेतु	For selling on Equity product	0.24	0.00
प्रधान मंत्री जीवन बीमा योजना	Pradhan MantriJeevanBimaYojana	13.00	11.57
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना	Prime Minister SurakashaBimaYojana	3.19	2.46
यूआईडीएआई-आधार	UIDAI-Aadhar	5.92	5.83



ए-7 जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ) में अंतरण

A-7 Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2021	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2020
डीईएएफ को अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष	Opening balance of amount transferred to DEAF	2,258.14	615.41
पूर्ववर्ती विजया बैंक और पूर्ववर्ती देना बैंक के विलय पर आरंभिक शेष को जोड़ा गया	Opening balance added due to merger of eVB and eDB	0.00	678.09
जोड़ें: वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि	Add: Amount transferred to DEAF during the year	774.63	984.40
घटायें: डीईएएफ द्वारा दावों के पेटे प्रतिपूर्ति की गयी राशि	Less: Amounts reimbursed by DEAF towards claims	54.05	19.76
डीईएएफ को अंतरित राशि का अंतिम शेष	Closing Balance of amounts transferred to DEAF	2,978.72	2,258.14





A-8 Liquidity Coverage Ratio  
A-8.1 Quantitative Disclosure

ए-8 चलनिधि कवरेज अनुपात  
ए-8.1 संख्यात्मक प्रकटीकरण  
अनुलग्नक बी / Annexure B

		(राशि ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Cr)											
		समेकित चलनिधि कवरेज (एलसीआर) प्रकटीकरण / Consolidated Liquidity Coverage Ratio (LCR) Disclosure											
बैंक का नाम : बैंक ऑफ़ बरौदा Name of the Bank : Bank of Baroda		मार्च 2021 को समाप्त तक का दैनिक औसत		मार्च 2020 को समाप्त तक का दैनिक औसत		जून 2020 को समाप्त तक का दैनिक औसत		सितंबर 2020 को समाप्त तक का दैनिक औसत		दिसंबर 2020 को समाप्त तक का दैनिक औसत		मार्च 2020 को समाप्त तक का दैनिक औसत	
		Daily Averages of Q4 Ending March 2021		Daily Averages of Q3 Ending December 2020		Daily Averages of Q2 Ending September 2020		Daily Averages of Q1 Ending June 2020		Daily Averages of Q4 Ending March 2020		Daily Averages of Q4 Ending March 2020	
		कुल गैर भास्ति मूल्य	कुल भास्ति मूल्य	कुल गैर भास्ति मूल्य	कुल भास्ति मूल्य	कुल गैर भास्ति मूल्य	कुल भास्ति मूल्य	कुल गैर भास्ति मूल्य	कुल भास्ति मूल्य	कुल गैर भास्ति मूल्य	कुल भास्ति मूल्य	कुल गैर भास्ति मूल्य	कुल भास्ति मूल्य
		Total	Total Weighted Value	Total	Total Weighted Value	Total	Total Weighted Value	Total	Total Weighted Value	Total	Total Weighted Value	Total	Total Weighted Value
		Unweighted Value	Value	Unweighted Value	Value	Unweighted Value	Value	Unweighted Value	Value	Unweighted Value	Value	Unweighted Value	Value
1	उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (कवरबुलर)	6,18,542.16	2,24,998.08	6,13,701.57	2,36,297.60	6,12,895.62	2,32,559.21	6,16,787.15	2,28,355.75	6,16,787.15	2,28,355.75	6,16,787.15	2,28,355.75
2	नवद आउट फ्लो Retail deposit and deposits from small business customers, of which:	72,134.30	3,606.71	81,299.93	4,064.95	95,497.43	4,774.87	89,536.35	4,476.82	89,536.35	4,476.82	81,311.68	4,065.58
(i)	Stable Deposits	54,640.79	54,640.79	53,240.26	53,240.26	51,739.82	51,739.82	5,27,250.80	52,725.08	5,27,250.80	52,725.08	5,14,771.61	51,477.16
(ii)	Less Stable Deposits	1,66,075.01	93,210.16	1,55,967.87	85,209.31	1,59,151.72	89,862.57	1,78,298.83	1,00,768.75	1,78,298.83	1,00,768.75	1,60,020.66	92,023.56
3	रैजिस्टर्ड जमा एवं लघु व्यवसाय वाले ग्राहकों की जमाएं जिसमें से:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(i)	परिचालन जमाएं (सभी काउंटरपार्टियां)	1,66,075.01	93,210.16	1,55,967.87	85,209.31	1,59,151.72	89,862.57	1,78,298.83	1,00,768.75	1,78,298.83	1,00,768.75	1,60,020.66	92,023.56
(ii)	नै-ऑपरेशनल जमाएं (सभी काउंटरपार्टियां)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	नै-ऑपरेशनल जमाएं (सभी काउंटरपार्टियां)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	जमाकर्ता होल्डिंग निधि	27,761.15	0.00	32,482.56	0.00	19,076.07	0.00	33,529.72	0.00	33,529.72	0.00	39,218.75	0.00
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं जिसमें से:	1,38,068.00	15,453.55	1,30,386.01	14,164.76	1,46,711.83	17,173.11	1,41,690.81	18,215.94	1,41,690.81	18,215.94	1,03,900.45	19,411.24
(i)	डेरिवेटिव (रिस्कफ्री और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित आउटफ्लो)	11.87	11.87	10.45	10.45	16.48	16.48	274.25	274.25	274.25	274.25	154.94	154.94
(ii)	उत्प्लवों से संबंधित आउटफ्लो	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	क्रेडिट और चलनिधि सुविधाएं	1,38,056.13	15,441.68	1,30,375.55	14,154.31	1,46,695.35	17,156.63	1,41,416.56	17,941.70	1,41,416.56	17,941.70	1,03,745.52	19,256.31
6	अन्य संविदात्मक निधि	2,972.97	2,972.97	1,128.72	1,128.72	956.67	956.67	1,070.53	1,070.53	1,070.53	1,070.53	2,670.25	2,670.25
7	अन्य आकस्मिक निधि	83,236.62	2,497.10	84,818.68	2,596.43	89,743.33	2,801.97	84,020.06	2,584.25	84,020.06	2,584.25	78,784.97	2,422.00
8	कुल नवद आउटफ्लो	10,36,655.92	1,72,381.28	10,18,985.41	1,60,404.44	10,28,535.25	1,67,309.02	10,55,397.10	1,79,841.37	10,55,397.10	1,79,841.37	9,80,678.36	1,72,069.80
	नवद इन फ्लो												
	Cash Inflows												



9	जमानती ऋण (उदाहरण रिवर्स रेपो)	3,468.78	0.00	26,756.94	0.00	13,988.50	15.91	26,073.67	26.45	9,501.14	27.33
10	पूर्णतया निष्पादक एकसंपोजर से इनफ्लो	36,749.19	31,090.80	32,220.18	26,840.16	13,632.18	11,978.47	23,339.55	20,132.29	41,210.93	33,431.80
11	अन्य नकद इनफ्लो	2,632.53	1,692.94	1,923.98	900.71	2,072.79	1,194.33	1,996.72	1,863.38	3,518.47	3,088.70
12	कुल नकद इनफ्लो	42,850.50	32,783.73	60,901.10	27,740.87	29,643.48	13,188.71	51,409.94	22,022.12	54,230.55	36,497.82
			कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य
13	TOTAL HQLA		Total Adjusted Value		Total Adjusted Value		Total Adjusted Value		Total Adjusted Value		Total Adjusted Value
14	कुल लिक्विडिटी		2,24,998.08		2,36,297.60		2,32,559.21		2,28,355.75		1,84,740.49
15	कुल निवल नकद आउटफ्लो		1,39,597.55		1,32,663.57		1,54,120.31		1,57,819.24		1,35,571.98
	चलनिधि कवरेज अनुपात (%)		161.18%		178.12%		150.89%		144.69%		136.27%







ए- 8.2 गुणात्मक प्रकटीकरण

01 जनवरी, 2015 से बैंक में भारतीय रिज़र्व बैंक के चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) संबंधी दिशानिर्देशों को क्रियान्वित कर दिया गया है।

एलसीआर मानक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक भार-रहित एचक्यूएलए के पर्याप्त स्तर को बनाए रखे ताकि उसे अत्यधिक तरलता संबंधी दबाव की स्थिति में 30 कैलेंडर दिनों के लिए इसकी चलनिधि संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए नकदी परिवर्तित किया जा सके. एलसीआर तथा निगरानी संबंधी उपाय प्रारंभ में दि. 01 जनवरी, 2015 से भारतीय बैंकों के लिए समग्रतः बैंक स्तर पर लागू है अर्थात शाखाओं के जरिए विदेशी परिचालन सहित स्टैंड अलोन आधार पर लागू हैं एवं बाद में दि. 01 जनवरी, 2016 से समेकित आधार पर अर्थात घरेलू एवं विदेशी अनुषंगियों सहित लागू होंगे.

एलसीआर के दो घटक हैं:

- (i) दबावग्रस्त स्थितियों में उच्च-गुणवत्ता तरल अस्तियों (एचक्यूएलए) के स्टॉक का मूल्य - न्यूमरेटर (अंश-गणक)
- (ii) कुल निवल नकद बहिर्प्रवाह: लगातार 30 कैलेंडर दिनों (दबावग्रस्त अवधि) के लिए विनिर्दिष्ट दबावग्रस्त परिदृश्य में 'कुल अनुमानित नकद बहिर्प्रवाह' में से 'कुल अनुमानित नकद अंतर्प्रवाह को घटाकर 'कुल निवल नकद बहिर्प्रवाह' परिभाषित होता है- डिनामिनेटर (विभाजक)

$$\text{एलसीआर LCR} = \frac{\text{उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियों के स्टॉक (एचक्यूएलए) Stock of high quality liquid assets (HQLAs)}}{\text{कैलेंडर दिनों के दौरान कुल निवल नकद बहिर्प्रवाह Total net cash outflows over the next 30 calendar days}} \geq 100\%$$

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 31 मार्च, 2014 के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने वित्तीय वर्ष मार्च, 2016 के लिए एलसीआर प्रकटीकरण एकल आधार पर किया है. दिनांक 01 जनवरी 2016 से भारतीय बैंकिंग उद्योग प्रणाली पर समेकित आधार पर प्रकटीकरण के लागू मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार जनवरी 2017 से शुरू होने वाले वर्ष के लिए बैंक को एलसीआर प्रकटीकरण दैनिक औसत के आधार पर करना है, इसलिए बैंक ने मार्च 2017 को समाप्त तिमाही के लिए एकल एवं समेकित दोनों आधार पर दैनिक औसत पर एलसीआर की गणना की है. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 17 अप्रैल 2020 के परिपत्र के अनुसार, बैंक को 30 सितंबर 2020 तक न्यूनतम एलसीआर 80%, 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक 90% और 1 अप्रैल 2021 से 100% जारी रखना होगा.

एचक्यूएलए की संरचना

मार्च 2021 को समाप्त तिमाही के लिए दैनिक औसत के आधार पर अतिरिक्त सीआरआर प्रतिभूतियाँ एचक्यूएलए का अधिकतम हिस्सा अर्थात 58.77% है उसके बाद चलनिधी कवरेज अनुपात का लाभ उठाने हेतु सुविधा, जो कि एचक्यूएलए का 13.74% है. स्तर-2 की आस्तियाँ जोकि स्तर-4 की आस्तियों की तुलना में गुणवत्ता में निम्न है, वह 40% के अधिकतम अनिवार्य स्तर के सामने कुल एचक्यूएलए का 0.50% है.

A-8.2 Qualitative Disclosure:

From 1st January 2015, the bank has implemented guidelines on Liquidity Coverage Ratio (LCR) of the Reserve Bank of India.

The LCR standard aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered HQLAs that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario. The LCR and monitoring tools are applicable for Indian banks initially w.e.f. 1st January 2015 on a stand-alone basis including overseas operations through branches and subsequently at consolidated basis w.e.f. 1st January 2016 i.e. including domestic and overseas subsidiaries.

The LCR has two components:

- (i) The value of the stock of high-quality liquid assets (HQLA) in stressed conditions. – The Numerator
- (ii) Total net cash outflows: The term “Total net cash outflows” is defined as “Total expected cash outflows” minus “Total expected cash inflows” in the specified stress scenario for the subsequent 30 calendar days (the stressed period) – The Denominator.

As per the RBI guidelines dated 31st March 2014, the Bank has made LCR disclosure on the solo basis from the financial year ending March 2016. In terms of extant guideline, disclosure on consolidated basis was applicable to the Indian banking system from 1st January 2016. As starting from January 2017, the banks had to disclose the LCR on daily average basis, hence the bank has computed LCR on daily average basis both for Solo and Consolidated Level since March 2017. As per the RBI circular dated 17th April 2020, the Bank has to maintain minimum LCR of 80% till 30th September 2020, 90% from 1st October 2020 to 31st March 2021 and 100% from 1st April 2021.

Composition of HQLA

Based on daily averages for the quarter ended March 2021, Facility to avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio constitutes the highest portion of HQLA i.e 58.77% followed by excess CRR securities which constitute 13.74%. Level 2 assets which are lower in quality as compared to Level 1 assets, constitute nominally 0.50% of total stock of HQLA against maximum mandated level of 40%.

उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (एचक्यूएलए)	High Quality Liquid Assets (HQLAs)	समेकित आधार पर एचक्यूएलए में औसत अंशदान प्रतिशत Average percentage contribution to HQLA at consolidated basis
लेवल 1 आस्तियां	Level 1 Assets	
हाथ में नकदी	Cash in hand	2.13%
आधिक्य सीआरआर शेष	Excess CRR balance	13.74%
न्यूनतम एसएलआर आवश्यकता के अलावा सरकारी प्रतिभूतियाँ	Government Securities in excess of minimum SLR requirement	9.72%
एमएसएफ के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत सीमा तक अनिवार्य एसएलआर आवश्यकता के तहत सरकारी प्रतिभूतियां (वर्तमान में एमएसएफ के लिए तथा अनुमत एनडीटीएल की 3 प्रतिशत सीमा तक)	Government securities within the mandatory SLR requirement, to the extent allowed by RBI under MSF (presently to the extent of 3 per cent of NDTL as allowed for MSF)	11.79%
बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत 0% रिस्क-वेट वाले विदेशी संप्रभुओं द्वारा जारी की गयी अथवा प्रत्याभूत बाजार योग्य प्रतिभूतियां (मेमो क.सं. 1 के अंतर्गत देशवार विवरण)	Marketable securities issued or guaranteed by foreign sovereigns having 0% risk-weight under Basel II Standardized Approach (country-wise details to be provided under memo item no.1)	3.34%
चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए तरलता हेतु सुविधा (वर्तमान में एफएएलएलसीआर के लिए यथा अनुमत एनडीटीएल की 14.5 प्रतिशत सीमा तक)	Facility to avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio (presently to the extent of 14.5 per cent of NDTL as allowed for FALLCR)	58.77%
कुल समायोजित लेवल 1, आस्तियां	Total Adjusted Level 1 Assets	99.50%
कुल समायोजित लेवल 2ए आस्तियां	Total Adjusted Level 2A Assets	0.49%
कुल समायोजित लेवल 2बी आस्तियां	Total Adjusted Level 2B Assets	0.01%
एचक्यूएलए के कुल स्टॉक = लेवल 1 + लेवल 2ए+ लेवल 2बी - 15% अधिकतम सीमा के लिए समायोजित - 40% उच्चतम सीमा के लिए समायोजित.	Total Stock of HQLAs = Level 1 + Level 2A + Level 2B - Adjustment for 15% cap - Adjustment for 40% cap	100.00%

**एलसीआर के प्रमुख वाहक:**

समेकित आधार पर बैंक ने 31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही के दौरान 90% की न्यूनतम एलसीआर आवश्यकता पर ₹ 1,39,597.55 करोड़ की औसत आवश्यकता के सापेक्ष ₹ 2,24,998.07 करोड़ एचक्यूएलए (मार्जिन के बाद) को बनाए रखा था. एचक्यूएलए मुख्य रूप से न्यूनतम एसएलआर के आधिक्य में सरकारी प्रतिभूतियों, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (एमएसएफ) के तहत अनुमत सीमा तथा चलनिधि कवरेज अनुपात की सुविधा प्राप्त करने पर आधारित है. इसके अलावा, एचक्यूएलए के महत्वपूर्ण घटकों के अंतर्गत नकदी, भारतीय रिजर्व बैंक तथा विदेशी केंद्रीय बैंकों के पास एक्सेस सीआरआर तथा विदेशी सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां शामिल हैं. स्तर-2 के एचक्यूएलए में मुख्यतः एए- और उससे ऊपर के रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड और वाणिज्यिक प्रपत्र शामिल हैं.

**Main drivers of LCR:**

The Bank on a consolidated basis, during the three months ended March 31, 2021, had maintained average HQLA (after haircut) of ₹ 2,24,998.07 Crores. As against the average requirement of ₹ 1,39,597.55 Crores at a minimum LCR requirement of 90%. HQLA is primarily driven by government securities in excess of minimum SLR, the extent allowed under the Marginal Standing Facility (MSF) and the Facility to Avail Liquidity coverage ratio. Also, cash, excess CRR maintained with RBI and other overseas central banks, securities issued by foreign sovereigns are important factors of HQLA. Level 2 HQLA primarily consisted of AA- and above rated corporate bonds and commercial papers.



**अंतः अवधि परिवर्तन तथा समयोपरांत परिवर्तन :**

90% की विनियामक आवश्यकताओं के सापेक्ष जनवरी 2021, फरवरी 2021 तथा मार्च 2021 में समेकित आधार पर एलसीआर क्रमशः 167.76%, 168.86% तथा 128.56% था.

**निधियन स्रोतों का संकेन्द्रण**

महत्वपूर्ण काउंटर-पार्टियों को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि एक एकल काउंटर पार्टी या महत्वपूर्ण काउंटर-पार्टियों का जुड़ा हुआ या संलग्न समूह, जिनका कुल हिस्सा बैंक की कुल देयताओं में 1% से अधिक है. 31 मार्च, 2021 को कोई महत्वपूर्ण काउंटर पार्टी जमाराशि नहीं थी.

एक "महत्वपूर्ण लिखत/उत्पाद" को समान लिखतों/ उत्पादों के समूह के एकल लिखत/ उत्पाद के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनकी सकल राशि बैंक की कुल देयताओं में 1% से अधिक है. निधियन लिखतों/ उत्पादों का उदाहरण-हॉलसेल जमाराशियां, जमाराशियों के प्रमाणपत्र, दीर्घावधि बॉन्ड इत्यादि हैं. 31 मार्च 2021 तक घरेलू परिचालनों के महत्वपूर्ण लिखत/ उत्पाद, होलसेल जमाराशि अर्थात् ग्लोबल देयताओं का 8.11%, रिटेल मियादी जमाराशियां अर्थात् ग्लोबल देयताओं का 33.21%, मांग जमाराशियां अर्थात् वैश्विक देयताओं का 5.33%, बचत जमाराशियों अर्थात् ग्लोबल देयताओं का 26.52% और जमा प्रमाणपत्र अर्थात् ग्लोबल देयताओं का 1.13% थे.

घरेलू परिचालनों में बैंक के शीर्ष 20 जमाकर्ता एकल आधार पर हमारी कुल जमाराशियों का 4.18% है.

**एलसीआर में मुद्रा मिसमैच:**

भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार, जहां केवल एक ही मुद्रा के लिए एलसीआर मानक का अनुपालन आवश्यक है, वहीं संभाव्य मुद्रा-मिसमैच पर बेहतर नियंत्रण रखने के लिए प्रत्येक मुद्रा की निगरानी आवश्यक है. तदनुसार, बैंक दैनिक आधार पर भारतीय रुपये में एलसीआर सुनिश्चित कर रहा है और उसकी तुलना नियामक आवश्यकताओं के साथ की जाती है, किन्तु अन्य महत्वपूर्ण मुद्राओं (महत्वपूर्ण मुद्रा उसे कहते हैं जहां उस मुद्रा में दर्शायी गई कुल देयताएं, बैंक की कुल देयताओं के 5% या उससे अधिक होती हैं) के संबंध में बैंक "बीएलआर -4- एलसीआर" के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को मासिक आधार पर प्रस्तुत करने हेतु एलसीआर तैयार करता है और इसकी निगरानी करता है. प्रत्येक महत्वपूर्ण मुद्रा पर विनियामक सीमा के अनुसार बैंक को एलसीआर को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है.

Intra-period changes as well as changes over time:

LCR on consolidated basis were 167.76%, 168.86% and 128.56% for the months ending January 2021, February 2021 and March 2021 respectively as against the regulatory requirement of 90%.

**Concentration of funding sources**

A significant counterparty is defined as a single counterparty or group of connected or affiliated counterparties accounting in aggregate for more than 1% of the bank's total liabilities. There were no significant counterparty Deposit as of 31st March 2021.

A "significant instrument/product" is defined as a single instrument/product of group of similar instruments/products which in aggregate amount to more than 1% of the bank's total liabilities. Example of funding instruments/products - wholesale deposits, certificates of deposits, long term bonds etc. Significant instrument/product of domestic operations as of 31st March 2021 were Wholesale Deposits i.e. 8.11% of Global Liabilities, Retail Term Deposits i.e 33.21% of Global Liabilities, Demand Deposits i.e 5.33% of Global Liabilities, Savings Deposits i.e 26.52% of Global Liabilities and Certificate of Deposits i.e 1.13% of Global Liabilities.

Top 20 depositors of the bank at Domestic operations constitute 4.18% of our total deposits of Global operations.

**Currency mismatch in the LCR:**

As per the RBI guidelines while the LCR standard is required to be met on one single currency, in order to better capture potential currency mismatch the LCR in each currency needs to be monitored. Accordingly, Bank is maintaining LCR on daily basis in INR and the same is compared against the regulatory requirement, but on other significant currencies i.e (A significant currency is one where aggregate liabilities denominated in that currency amount to 5 per cent or more of the bank's total liabilities) bank is preparing LCR on monthly basis for the submission to RBI under "BLR-4 - LCR" and to monitor the same. Bank is not required to maintain LCR as per regulatory limits on each significant currency.

क्र. स. S.No.	मुद्रा	Currency	एलसीआर का स्तर (%) LCR level (%)
1	यूएसडी	USD	123.71

**चलनिधि प्रबंधन की केंद्रीयकरण की डिग्री का विवरण तथा समूह की इकाइयों के बीच पारस्परिक संवाद:**

उद्यमवार आधार पर बैंक के लिए चलनिधि प्रबंधन की जिम्मेवारी निदेशक मंडल की है। निदेशक मंडल अपनी यह जिम्मेवारी निदेशक मंडल की समिति को जिसे 'जोखिम प्रबंधन पर निदेशक मंडल' कहा जाता है, सौंप देता है। यह समिति विभिन्न प्रकार के जोखिमों तथा चलनिधि पर इसके प्रभाव के बीच सहबद्धता परिवेक्षण के लिए उत्तरदायी है।

हमारे बैंक में ए.एल.एम. पॉलिसी ग्रुप है जो समूह के भीतर चलनिधि एवं ब्याज दर जोखिम को संचालित करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश देता है। विदेशों में परिचालित बैंक की इकाइयां क्षेत्रीय एएलएम पॉलिसी एवं समूह एएलएम पॉलिसी, दोनों के अनुरूप अपनी परिचालन चलनिधि या अल्पावधि चलनिधि को लगातार आधार पर या स्वयं ही प्रबंध कर लेती है।

ए.एल.एम. समूह की पॉलिसी के संबंध में दिशानिर्देश, जब तक कि विशेष रूप से छूट प्राप्त न हो, विदेशी परिचालनों में भी लागू किए जाते हैं। बैंक की सभी वैधानिक संस्थाएं अर्थात् अनुषंगियां, संयुक्त उद्यम तथा सहयोगी लगातार अपने निजी प्रयासों से अपने व्यवसाय मॉडल तथा चलनिधि आवश्यकता के अनुसार अपना प्रबन्ध करती है। वे अपनी निजी ए.एल.एम पॉलिसी रखते हैं। चूंकि वैधानिक संस्थाएं बैंकिंग व्यवसाय करती हैं। वे उस देश के दिशा-निर्देशों साथ - साथ भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों इनमें से जो ज्यादा कड़े हैं, उनके अनुसार कार्य करती हैं।

**ए-9 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार संबंधी प्रमाणपत्र (पीएसएलसी)**

बैंक ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित पीएसएलसी की खरीद और बिक्री की है :-

The banks has purchased& sold the following PSLCs during the year:-

**Description of the degree of centralization of liquidity management and interaction between the group's units:**

The liquidity management for the Bank on enterprise wide basis is the responsibility of the Board of Directors. Board of Directors has delegated its responsibilities to a Committee of the Board called as the "Risk Management Committee of Board". The Committee is responsible for overseeing the inter linkages between different types of risk and its impact on liquidity.

Bank has Group ALM Policy which provides the broad guidelines under which all the entities within the Group operate in terms of liquidity and interest rate risk. The bank's entities operating in foreign countries manage liquidity in the short-term on their own on an ongoing basis as per both respective territory's ALM policy and Group ALM policy.

The guidelines of the Group ALM policy, unless otherwise specifically exempted, apply to overseas operations as well. All the legal entities of the bank i.e.-subsidiaries, joint ventures and associates manage their operational liquidity on an ongoing basis at their own according to their business models and liquidity requirement. As to the legal entities carrying out banking business, they have their own ALM Policy in line with the host country guidelines as well as RBI guidelines whichever is more stringent.

**A-9 Priority Sector Lending Certificate (PSLC)**

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

क्र. सं. Sr. No.	श्रेणी	Category	खरीद Purchase	बिक्री Sale
1.	पीएसएलसी सूक्ष्म उद्यम	PSLC Micro Enterprises	0.00	1,500
2.	पीएसएलसी कृषि	PSLC Agriculture	0.00	0.00
3.	पीएसएलसी सामान्य	PSLC General	0.00	0.00
4.	पीएसएलसी छोटे एवं सीमांत किसान	PSLC Small and Marginal Farmers	4,000	3,700
5.	एमएसएमई	MSME	0.00	0.00
	कुल	Total	4,000.00	5,200.00

ए-10 'अग्रिमों के पुनर्गठन-सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र' (एक बारगी पुनर्गठन) पर भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रांक डीबीआर.सं. बीपी.बीसी 18/21.04.048/2018-19 दिनांक 01 जनवरी, 2019 के अनुसरण में प्रकटीकरण उपर्युक्त निर्देशों के अंतर्गत 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान पुनर्गठित किए गए एमएसएमई खाते निम्नानुसार हैं-

A-10 Disclosure in term of RBI Circular No. DBR.No.BP. BC.18/21.04.048/2018-19 dated January 1, 2019 on 'Restructuring of Advances - Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Sector' (One Time Restructuring), MSME accounts restructured under above instructions during the year ended 31st March, 2021 as under: -



31.03.2021 को पुनर्गठित किए गए खातों की संख्या No. of Accounts Restructured 31.03.2021	31.03.2021 को राशि (₹ करोड़ में) Amount (₹ in Crore) 31.03.2021	31.03.2020 को रिस्ट्रक्चर किए गए खातों की संख्या No. of Accounts Restructured 31.03.2020	31.03.2020 को राशि (₹ करोड़ में) Amount (₹ in Crore) 31.03.2020
1,25,906	9,039.46	37,261	1,734.00

बी. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी एकाउंटिंग स्टैंडर्ड (एएस) के संबंध में प्रकटीकरण

बी-1 अवधि के लिए निवल लाभ एवं हानि, पूर्व अवधि हेतु मद तथा लेखांकन नीति में परिवर्तन (लेखांकन मानक-5)

- (i) पूर्व अवधि हेतु मद: इस वर्ष के दौरान, पूर्व अवधि आय / व्यय के कोई महत्वपूर्ण मद नहीं थे.
- (ii) लेखांकन नीति में परिवर्तन: बैंक ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में एक समान लेखांकन नीतियों और कार्य प्रणालियों का पालन करना जारी रखा है, जैसा कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष में किया गया था.

B. Disclosure in terms of Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

B-1 Net Profit or Loss for the period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies(Accounting Standard -5)

- (i) Prior Period Items: During the year, there were no material prior period income / expenditure items.
- (ii) Change in accounting policy: The Bank has continued to follow the same accounting policies and practices in preparation of Audited financial statements for the year ended March 31, 2021 as followed in the previous financial year ended March 31, 2020.

बी-2 एएस 11- विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन :

विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन रिज़र्व का संचलन

B-2 AS 11- Changes in foreign exchange rates:

Movement of foreign currency translation reserve

विशेषताएं	Particulars	2020-21	2019-20
प्रारम्भिक शेष	Opening balance	3,373.90	2,441.04
वर्ष के दौरान जमा	Credited during the year	0.00	932.86
वर्ष के दौरान आहरण	Withdrawn during the year	312.84	0.00
अंतिम शेष	Closing Balance	3,061.06	3,373.90

बी-3 कर्मचारी लाभ (लेखांकन मानक- 15)

बी-3.1 बैंक ने आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों (एएस- 15) को अपनाया है.

बी-3.2 ग्रेच्युटी

बैंक अपने ऐसे कर्मचारियों जो प्रारंभिक पाँच वर्षों की सेवा के पश्चात बैंक की सेवा से एक्जिट हो जाते हैं, को ग्रेच्युटी का भुगतान करता है. तदनुसार, बैंक भुगतान की जाने वाली इस ग्रेच्युटी की फंडिंग के लिए प्रत्येक वर्ष एक आंतरिक न्यास को अंशदान राशि प्रदान करता है. ग्रेच्युटी निधि के नियमों के अनुरूप ब्याज दर, वेतन वृद्धि, मृत्यु दर और सेवा छोड़ने वाले स्टाफ का अनुमान लगाते हुए, अनुमानित इकाई ऋण बीमांकिक पद्धति के आधार पर ग्रेच्युटी देयता के बीमांकिक मूल्य की गणना की जाती है. निधियों का निवेश भारत सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार किया जाता है.

B-3 Employee Benefits (Accounting Standard -15)

B-3.1 The Bank has adopted the Accounting Standard (AS-15) issued by ICAI.

B-3.2 Gratuity

The Bank pays gratuity to employees who Exit from Bank's service, after initial service period of five years. Accordingly, the Bank makes contributions to an in-house trust, towards funding this gratuity, payable every year. In accordance with the rule of Gratuity Fund, actuarial valuation of gratuity liability is calculated based on certain assumptions regarding rate of interest, salary growth, mortality and staff attrition as per the Projected Unit credit actuarial method. The investment of the funds is made according to investment pattern prescribed by the Government of India.

भुगतान की जाने वाली ग्रेच्युटी की गणना तीन विभिन्न योजनाओं (बीओबीओएसआर, 1979/ बीपीएस, ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 और बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रेच्युटी निधि नियम) के तरीके से की जाती है तथा इसके लिए कर्मचारियों के लिए पात्रता का निर्धारण जो योजना कर्मचारियों के लिए अधिक लाभकारी हो, उसके आधार पर की जाती है।

### बी-3.3 पेंशन

बी-3.3.1 बैंक अपने कर्मचारियों, जिन्होंने पेंशन का विकल्प चुना है और ऐसे कर्मचारियों को, जिन्होंने 29.09.1995 को या उसके बाद परंतु 01.04.2010 के पूर्व बैंक सेवा में कार्यभार ग्रहण किया है, उन्हें पेंशन, विनिर्दिष्ट लाभ का भुगतान करता है। यह योजना कर्मचारियों को बैंक ऑफ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन विनियमन, 1995 के अनुरूप उनके बैंक छोड़ने के पश्चात् मासिक आधार पर पेंशन प्रदान करती है। बैंक ऑफ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन विनियमन, 1995 के अंतर्गत शामिल कर्मचारी, भविष्य निधि में बैंक के अंशदान के लिए पात्र नहीं है। कार्यकाल के समापन के समय, पेंशन के लिए पात्र कर्मचारियों को पेंशन के कम्यूटेशन का भुगतान उक्त विनियमन के तहत किया जाता है। बैंक पात्र कर्मचारियों के मूल वेतन एवं निश्चित भत्तों के 10% के बराबर अपना अंशदान करते समय बीमांकिक गणनाओं के आधार पर अतिरिक्त अंशदान भी करता है।

### बी-3.3.2 नई पेंशन योजना

पेंशन का अन्य विकल्प देने के बारे में भारतीय बैंक संघ और कर्मचारी संगठनों के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते और संयुक्त नोट दिनांक 27.04.2010 के अनुसार दिनांक 01.04.2010 को या इसके पश्चात् बैंक की सेवा ग्रहण करने वाले कर्मचारी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिए पात्र हैं, जिसका शुभारंभ बैंक ने संयुक्त नोट/ समझौते दिनांक 27.04.2010 के अनुसार शुरू किया है, जो दिनांक 01.01.2004 से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए शुरू की गयी तथा समय-समय पर यथा संशोधित नई पेंशन योजना के प्रावधानों से संचालित योजना के समान है। अतः वे बैंक की भविष्य निधि योजना तथा पेंशन योजना का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं हैं। दिनांक 01.04.2010 को अथवा इसके पश्चात् बैंक सेवा ग्रहण करने वाले बैंक के कर्मचारियों के संबंध में मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते की 10% की दर से नई पेंशन योजना के लिए कटौती की जाती है और इसके समतुल्य ही बैंक द्वारा अंशदान किया जाता है तथा एनएसडीएल को भेजा जाता है जो इन खातों को प्रबंधित करता है। निधियों का प्रबंधन पेंशन निधि प्रबंधक द्वारा किया जाता है।

### बी-3.4 भविष्य निधि

बैंक के लिए अपने ऐसे कर्मचारियों, जिन्होंने बैंक की सेवा दिनांक 31.03.2010 को अथवा उससे पूर्व ग्रहण की है, के सेवानिवृत्ति लाभों के भाग के रूप में भविष्य निधि रखना सांविधिक आवश्यकता है। इस निधि को बैंक द्वारा प्रबंधित न्यास द्वारा शासित किया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी जो पीएफ का सदस्य है, अपने मूल वेतन एवं पात्र भत्तों का 10% अंशदान करता है और बैंक पीएफ चयनकर्ता के मामले में उस राशि के बराबर राशि का अंशदान करता है। इस निधि का निवेश भारत सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार किया जाता है।

The gratuity payable is worked out by way of three different schemes (BOBOSR,1979 /BPS, Gratuity Act,1972 and Bank of Baroda Gratuity Fund Rules) and the entitlement is based on what is most beneficial to employees.

### B-3.3 Pension

B-3.3.1 Bank pays pension, a defined benefit plan covering the employees who have opted for pension and also to the employees joining the bank's service on or after 29.9.1995 but before 01.04.2010. The plan provides for a pension on a monthly basis to these employees on their cessation from service of the Bank in terms of Bank of Baroda (Employees') Pension Regulations, 1995. Employees covered under Bank of Baroda (Employees') Pension Regulations, 1995 are not eligible for Bank's contribution to Provident fund. At the time of cessation, those eligible for pension are paid commutation of Pension as provided by the said Regulations. While the Bank contributes its contribution at 10% of eligible employees' Basic and certain allowances, additional contribution is also made based on the Actuarial calculations.

### B-3.3.2 New Pension Scheme

In terms of Bipartite Settlement and Joint Note dated 27.04.2010 between IBA and Employees Organizations' on extending another option for pension, employees joining the services of the Bank on or after 01.04.2010 are eligible for the Defined Contributory Pension Scheme, which was introduced by the Bank in terms of the Joint Note / Settlement dated 27.04.2010 similar to the one governed by the provisions of New Pension Scheme introduced for the employees of Central Government w.e.f 01.01.2004 and as modified from time to time. Hence they are not eligible for becoming members of Bank's Provident Fund Scheme and Pension Scheme. In respect of the employees of the Bank, who have joined the services of the Bank on or after 01.04.2010, deduction towards New Pension Scheme at the rate of 10% of the basic pay and dearness allowance from the salary with a matching contribution by the Bank is being made and remitted to the NSDL which maintains the accounts. Funds are managed by the Pension Fund Manager

### B-3.4 Provident Fund

The Bank is statutorily required to maintain a provident fund as a part of its retirement benefits to its employees who joined Bank's service on or before 31.03.2010. This fund is administered by a trust managed by the Bank. Each employee who is member of PF contributes 10% of their basic salary and eligible allowances and the Bank contributes an equal amount to the PF in case of PF optee. The investment of the fund is made according to investment pattern prescribed by the Government of India.



**बी-3.5 अवकाश नकदीकरण**

कर्मचारी अधिवर्षिता/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/ मृत्यु की तारीख पर अपने खाते में जमा अर्जित अवकाश को अधिकतम 240 दिनों के नकदीकरण का पात्र है।

तथापि, त्यागपत्र के मामले में कर्मचारी उसके खाते में जमा अर्जित अवकाश का 50% तक, अधिकतम 120 दिनों के अधीन, नकदीकरण का पात्र है।

**बी-3.6 अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ (एआरबी)**

अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ योजना में यह प्रावधान है कि ऐसे अधिकारी जो दिनांक 01.07.1979 से पूर्व बैंक की सेवाएं ग्रहण की हैं, वे सेवानिवृत्ति/ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/ मृत्यु के मामले में अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में 6 माह का वेतन पाने के लिए पात्र होंगे, बशर्ते उसने बैंक ऑफ़ बड़ौदा (पूर्ववर्ती विजया बैंक/ पूर्ववर्ती देना बैंक को छोड़कर) में 25 वर्ष की अपनी सेवा पूरी कर ली हो और वह बीओबी अधिकारी सेवा विनियमों में दर्शाई गयी शर्तों को पूरा करता हो।

इसी प्रकार अवाई स्टाफ सदस्य सेवानिवृत्ति/ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/ मृत्यु के मामले में अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ पाने के लिए पात्र होगा, बशर्ते उन्होंने बैंक में तीस वर्षों की सेवाएं पूरी की हो।

तथापि, बर्खास्तगी, सेवामुक्ति, सेवा-समाप्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति एवं त्यागपत्र के मामले में, अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ देय नहीं होंगे, चाहे सेवा के कितने ही वर्ष पूरे कर लिए गए हों।

**बी-3.7 प्रकटीकरण**

परिभाषित लाभ योजना (ग्रेच्युटी एवं पेंशन)

ए) परिभाषित लाभ संबंधी दायित्वों का वर्तमान मूल्य

**B-3.5 Leave Encashment**

An employee is entitled to encash privilege leave standing to his/her credit subject to a maximum of 240 days on the date of superannuation/Voluntary Retirement/death.

However, on resignation, an employee is entitled to get encashment to the tune of 50% of the privilege leave standing to the credit subject to a maximum of 120 days.

**B-3.6 Additional Retirement Benefit (ARB)**

The scheme for additional retirement benefit provides that an officer who had joined the Bank prior to 01.07.1979 on his Retirement/ Voluntary retirement/ Death shall be eligible for payment of 6 months emoluments as additional retirement benefit, provided he had completed twenty-five years of service exclusively in Bank of Baroda (excluding eVB/eDB) and satisfy the conditions mentioned in BOB officer's service regulations.

In the same manner, award staff member on Retirement/ Voluntary Retirement/ Death shall be eligible for additional retirement benefit, provided the staff member had completed thirty-years of service in Bank of Baroda.

However, in case of dismissal, discharge, termination, compulsory retirement and resignation, additional retirement benefit shall not be payable irrespective of any number of years of service.

**B-3.7 Disclosures**

Defined Benefit Plans (Gratuity and Pension)

a) Change in present value of Defined Benefit Obligation

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	पेंशन Pension		ग्रेच्युटी Gratuity	
		31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020
परिभाषित लाभ संबंधी दायित्वों का प्रारम्भिक शेष	Opening Defined Benefit Obligation	22,441.86	13,675.83	2,669.39	1,596.49
जोड़ें- अधिग्रहण समायोजन	Add- Acquisition Adjustment	0.00	8,425.35	0.00	886.07
जोड़ें- ब्याज लागत	Add- Interest Cost	1,446.20	1,440.76	167.58	157.07
जोड़ें- पिछली सेवा लागत	Add - Past Service Cost	0.00	-	0.00	-
जोड़ें- वर्तमान सेवा लागत	Add- Current Service Cost	1,634.40	1,598.99	287.27	169.69
जोड़ें- प्रदत्त लाभ	Less- Benefits Paid	2,472.98	1,951.45	516.39	358.84
जोड़ें- दायित्वों पर बीमांकिक हानि/लाभ (-)	Add- Actuarial loss/gain(-) on obligation	1,147.95	(747.62)	410.11	218.91
परिभाषित लाभ संबंधी देयताओं का अंतिम शेष	Closing Defined Benefit Obligation	24,197.43	22,441.86	3,017.96	2,669.39

**बी) योजनागत आस्तियों के समुचित मूल्य में परिवर्तन**
**b) Change in Fair value of Plan Assets**

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	पेंशन Pension		ग्रेच्युटी Gratuity	
		31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020
योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य का प्रारम्भिक शेष	Opening Fair Value of plan assets	21,846.22	13,462.89	2,174.14	1,187.30
जोड़ें- अधिग्रहण समायोजन	Add- Acquisition Adjustment	0.00	7,750.24	0.00	819.78
जोड़ें- योजनागत आस्तियों पर संभावित रिटर्न	Add- Expected Return on Plan Assets	1,638.46	1,446.74	166.97	136.88
जोड़ें- अंशदान	Add- Contributions	952.27	1,131.08	495.26	491.43
घटाएं- प्रदत्त लाभ	Less- Benefits Paid	2,472.98	1,951.45	516.39	358.84
जोड़ें- बीमाकिक लाभ /(-) हानि	Add- Actuarial gain/(-)loss	45.83	6.72	28.75	(102.41)
योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य का अंतिम शेष	Closing Fair Value of Plan Assets	22,009.80	21,846.22	2,348.73	2,174.14

**सी) तुलन-पत्र में मान्य राशि**
**c) Amount recognized in the Balance Sheet**

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	पेंशन Pension		ग्रेच्युटी Gratuity	
		31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020
i) परिभाषित लाभ देयताओं का अंतिम शेष	i) Closing Defined Benefit Obligation	24,197.43	22,441.86	3,017.96	2,669.39
ii) योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य का अंतिम शेष	ii) Closing Fair Value of Plan Assets	22,009.80	21,846.22	2,348.73	2,174.14
iii) अंतर	iii) Difference	2,187.63	595.64	669.23	495.25
iv) अनिर्धारित संक्रमणशील देयता	iv) Unrecognized transitional liability	-	-	-	-
v) तुलन-पत्र में मान्य देयता	v) Liability Recognized in the BS	2,187.63	595.64	669.23	495.25





डी) लाभ एवं हानि खाते में मान्य राशि

d) Amount recognized in the Profit & Loss Account

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

Particulars		पेंशन Pension		ग्रेच्युटी Gratuity	
		31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2021	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2020	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2021	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2020
i) वर्तमान सेवा लागत	i) Current Service Cost	1,634.40	1,598.99	287.27	187.34
ii) पूर्व सेवा लागत	ii) Past Service Cost	-	-	-	-
iii) ब्याज लागत	iii) Interest Cost	1,446.20	1,440.76	167.57	157.07
iv) योजनागत आस्ति पर संभावित रिटर्न	iv) Expected Return on Plan Assets	1,638.46	1,446.74	166.97	136.88
v) निवल बीमांकिक हानि/लाभ (-)	v) Net Actuarial Loss/gain(-)	1,102.12	(754.34)	381.36	321.32
vi) वर्ष के दौरान संक्रमणशील देयता का निर्धारण	vi) Transitional liability recognized in the year	-	-	-	-
लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित खर्च (i+ii+iii-iv+v+vi)	Expenses Recognized in P&L (i+ii+iii-iv+v+vi)	2,544.26	838.67	669.23	528.85

ई) निवेश पैटर्न: (% में)

e) Investment Pattern: (In %)

विवरण	Particulars	पेंशन Pension		ग्रेच्युटी Gratuity	
		31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां	Central Govt. Securities	1.70	2.22	4.29	12.51
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	State Government Securities	3.17	12.84	3.63	20.56
कॉर्पोरेट (पीएसयू)	Corporate (PSU)	7.66	8.76	8.54	10.86
कॉर्पोरेट (निजी)	Corporate (Private)	3.65	4.38	0.71	1.44
बीमा	Insurance	82.44	70.45	82.60	54.36
अन्य	Others	1.38	1.35	0.23	0.27
कुल	Total	100.00	100.00	100.00	100.00



एफ) मूल बीमांकिक धारणा [भारित औसत के रूप में]

प्रबंधन के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार

f) Principal Actuarial Assumptions [Expressed as Weighted Average]

As per the data available with management.

विवरण	Particulars	पेंशन Pension		ग्रेच्युटी Gratuity	
		31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2021	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2020	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2021	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2020
रियायती दर	Discount rate	6.82%	6.82%	6.95%	6.82%
वेतन वृद्धि दर	Salary Escalation Rate	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
ह्रास दर	Attrition Rate	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
योजनागत आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ दर	Expected Rate of Return on plan Assets	7.50%	6.82%	7.68%	6.82%

मॉर्टैलिटी दर : आईएएलएम (2006-2008)

Mortality Rate: IALM (2006-2008)

जी) पेंशन हेतु पाँच वर्ष का प्रकटीकरण

g) Five year's disclosure for Pension

ii) योजना में अधिशेष/ कमी

i) Surplus/Deficit in the plan

(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

तुलन-पत्र में मान्य राशि	Amount recognized in the Balance Sheet	31 मार्च, 2017 को As on March 31, 2017	31 मार्च, 2018 को As on March 31, 2018	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021
वर्ष की समाप्ति पर देयता	Liability at the end of the year	12,811.00	13,357.19	13,675.83	22,441.86	24,197.43
वर्ष की समाप्ति पर योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	Fair value of Plan Assets at the end of the year	12,637.67	13,101.69	13,462.89	21,846.22	22,009.80
अंतर	Difference	(173.33)	-255.50	(212.94)	(595.64)	(2,187.63)
अनिर्धारित पूर्व सेवा लागत	Unrecognised Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अनिर्धारित संक्रमणशील देयता	Unrecognised Transition Liability	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
तुलन-पत्र में मान्य राशि	Amount Recognized in the Balance Sheet	(173.33)	(255.50)	(212.94)	(595.64)	(2,187.63)



एच) ग्रेच्युटी के लिए पाँच वर्षों का प्रकटीकरण

h) Five year's disclosure for Gratuity

i) योजना में अधिशेष / कमी

i) Surplus/Deficit in the plan

(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

तुलन-पत्र में मान्य राशि	Amount recognized in the Balance Sheet	31 मार्च, 2017 को As on March 31, 2017	31 मार्च, 2018 को As on March 31, 2018	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021
वर्ष की समाप्ति पर देयता	Liability at the end of the year	1,349.83	1,678.33	1,596.49	2,669.40	3,017.96
वर्ष की समाप्ति पर योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	Fair value of Plan Assets at the end of the year	1,239.77	1,185.58	1,187.30	2,174.14	2,348.73
अंतर	Difference	(110.06)	(492.75)	(409.19)	(495.26)	(669.23)
अनिर्धारित पूर्व सेवा लागत	Unrecognised Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अनिर्धारित संक्रमणशील देयता	Unrecognised Transition Liability	0.00	(291.23)	0.00	0.00	0.00
तुलन-पत्र में मान्य राशि	Amount Recognized in the Balance Sheet	(110.06)	(201.52)	(409.19)	(495.26)	(669.23)

II. दीर्घावधि कर्मचारी लाभ (अनिधिक दायित्व) : संचित क्षतिपूरित अनुपस्थिति (विशेषाधिकार अवकाश) और अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ (एआरबी)

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांक द्वारा बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार निम्नलिखित तालिका संचित क्षतिपूरित अनुपस्थिति (विशेषाधिकार अवकाश) और एआरबी की स्थिति निर्धारित करती है:

II. Long Term Employee Benefits (Unfunded Obligation): Accumulating Compensated Absences (Privilege Leave) & Additional Retirement Benefits (ARB)

The following table sets out the status of Accumulating Compensated Absences (Privilege Leave) & ARB as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank:-

ए) देयता के प्रारंभिक और अन्तिम शेष का समाधान

a) Reconciliation of opening and closing balance of liability

(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		एआरबी ARB	
		31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020
परिभाषित लाभ संबंधी दायित्वों का प्रारंभिक शेष	Opening Defined Benefit Obligation	1,709.83	925.84	296.51	292.79
अधिग्रहण समायोजन	Acquisition Adjustment	0.00	586.63	0.00	0.00
जोड़ें- ब्याज लागत	Add- Interest Cost	112.36	98.21	19.18	18.46
जोड़ें- वर्तमान सेवा लागत	Add- Current Service Cost	235.18	233.07	6.22	0.00
जोड़ें- प्रदत्त लाभ	Less- Benefits Paid	186.09	145.00	41.26	44.15
जोड़ें- दायित्वों पर बीमांकिक हानि/लाभ (-)	Add- Actuarial loss/gain(-) on obligation	(158.53)	11.09	9.78	29.41
परिभाषित लाभ संबंधी देयताओं का अंतिम शेष	Closing Defined Benefit Obligation	1,712.75	1,709.83	290.43	296.51



बी) लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित राशि

b) Amount recognized in the Profit&amp; Loss Account

(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	छुट्टी नकदीकरण		एआरबी	
		Leave encashment		ARB	
		31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2021	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2020	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2021	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2020
i) चालू सेवा लागत	i) Current Service Cost	235.17	233.07	6.22	-
ii) विगत सेवा लागत	ii) Past Service Cost	0.00	-	0.00	-
iii) ब्याज लागत	iii) Interest Cost	112.37	98.21	19.18	18.46
iv) निवल बीमांकिक हानि/ लाभ (-)	iv) Net Actuarial Loss/gain(-)	(158.53)	11.09	9.78	29.41
लाभ एवं हानि खाते में मान्य खर्च	Expenses Recognized in P&L	189.01	342.36	35.18	47.87

सी) तुलन-पत्र में मान्य प्रारम्भिक और अंतिम देयता/ (आस्तियों) का समाधान

c) Reconciliation of opening and closing liability/(assets) recognized in the Balance Sheet

(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	छुट्टी नकदीकरण		एआरबी	
		Leave Encashment		ARB	
		31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020
i) परिभाषित लाभ संबंधी दायित्वों का प्रारम्भिक शेष	i) Opening Defined Benefit Obligation	1,709.83	925.84	296.51	292.79
ii) निवल अधिग्रहण लागत	ii) Net Acquisition Cost	0.00	586.63	0.00	-
iii) उपरोक्तानुसार खर्च	iii) Expenses as above	189.01	342.36	35.18	47.87
iv) प्रदत्त लाभ	iv) Benefit paid	186.09	145.00	41.26	44.15
vi) तुलन-पत्र में मान्य कुल देयता	vi) Net Liability Recognized in the Balance Sheet	1,712.75	1,709.83	290.43	296.51



डी) मूल बीमांकिक धारणा [भारित औसत के रूप में व्यक्त]

d) Principal Actuarial Assumptions [Expressed as Weighted Average]

विवरण	Particulars	छुट्टी नकदीकरण		एआरबी	
		Leave encashment		ARB	
		31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
		For the year ended March 31, 2021	For the year ended March 31, 2020	For the year ended March 31, 2021	For the year ended March 31, 2020
रियायती दर	Discount rate	6.95%	6.82%	6.95%	6.82%
वेतन वृद्धि दर	Salary Escalation Rate	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
हास दर	Attrition Rate	2.00%	2.00%	2.00%	2.00 %

मॉर्टेलिटी दर: आईएएलएम (2006-2008)

बीमांकिक मूल्यांकन में निहित भविष्य में वेतन वृद्धि के अनुमानों में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग जैसे अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा गया है। इस तरह के अनुमान बहुत दीर्घकालिक हैं और सीमित विगत अनुभव/ तत्काल भविष्य पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य यह भी बताते हैं कि बहुत लंबे समय में, लगातार उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है। उक्त अनुमानों और मान्यताओं को लेखापरीक्षकों द्वारा आधार बनाया गया है।

बी-4 सेगमेंट रिपोर्टिंग (लेखांकन मानक - 17)

बी-4.1 सेगमेंट निर्धारण

I. प्राथमिक (व्यवसाय सेगमेंट): बैंक के प्रमुख सेगमेंट निम्नानुसार हैं: -

i. ट्रेजरी

ट्रेजरी सेगमेंट में समग्र निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी मुद्रा संविदा तथा डेरिवेटिव संविदाओं में ट्रेडिंग शामिल है। ट्रेजरी सेगमेंट के राजस्व में मुख्य रूप से ट्रेडिंग परिचालनों से शुल्क और लाभ या हानि तथा निवेश पोर्टफोलियो पर ब्याज आय शामिल है।

ii. कॉर्पोरेट / होलसेल बैंकिंग

कॉर्पोरेट / होलसेल बैंकिंग सेगमेंट में ₹ 5.00 करोड़ और उससे अधिक के एक्सपोजर वाले उधारकर्ताओं की ऋण गतिविधियां शामिल हैं।

iii. रिटेल बैंकिंग

रिटेल बैंकिंग सेगमेंट में ₹ 5.00 करोड़ से कम के एक्सपोजर वाले उधारकर्ता खाते शामिल हैं।

iv. अन्य बैंकिंग परिचालन

उपर्युक्त (i) से (ii) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किए गए सेगमेंटों को इस प्राथमिक सेगमेंट के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

II) गौण (भौगोलिक सेगमेंट)

i) घरेलू परिचालन - भारत में कार्यरत शाखाएं / कार्यालय

ii) विदेशी परिचालन - भारत के बाहर परिचालन करने वाली शाखाएं / कार्यालय और भारत में परिचालन करने वाली ऑफिसोर बैंकिंग इकाइयां

iii) राजस्व सेगमेंट बाहरी ग्राहकों से प्राप्त राजस्व को दर्शाता है।

Mortality Rate: IALM (2006-2008)

The estimates of future salary growth, factored in actuarial valuation, take account of inflation, seniority, promotion and other relevant factors such as supply and demand in the employment market. Such estimates are very long term and are not based on limited past experience / immediate future. Empirical evidence also suggests that in very long term, consistent high salary growth rates are not possible. The said estimates and assumptions have been relied upon by the auditors.

B-4 Segment Reporting (Accounting Standard - 17)

B-4.1 Segment Identification

I. Primary (Business Segment): The following are the primary segments of the Bank:-

i. Treasury

The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.

ii. Corporate / Wholesale Banking

The Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of borrowers having exposure of ₹ 5.00 Crores and above.

iii. Retail Banking

The Retail Banking Segment comprises of borrower accounts having exposure of less than ₹ 5.00 Crores.

iv. Other Banking Operations

Segments not classified under (i) to (iii) above are classified under this primary segment.

II) Secondary (Geographical Segment)

i) Domestic Operations - Branches/Offices having operations in India

ii) Foreign Operations - Branches/Offices having operations outside India and offshore banking units having operations in India

iii) Segment revenue represents revenue from external customers.

**IV. आय, व्यय, आस्ति एवं देयताओं का आबंटन**

ट्रेजरी बैंकिंग परिचालन एक अलग इकाई है। ट्रेजरी परिचालन के आय और व्यय सीधे ट्रेजरी सेगमेंट से सम्बद्ध होते हैं।

अन्य सेगमेंट के आय और व्यय को निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

- ब्याज आय और ब्याज व्यय का आबंटन क्रमशः होलसेल बैंकिंग परिचालनों हेतु प्राप्त वास्तविक ब्याज और होलसेल बैंकिंग परिचालनों के अग्रिमों के आधार पर किया जाता है।
- उपर्युक्त ब्याज आय और व्यय के आबंटन के बाद, प्राप्त/भुगतान किए गए शेष ब्याज को रिटेल बैंकिंग परिचालन में ले जाया जाता है।
- अन्य आय / अन्य व्यय, होलसेल बैंकिंग / खुदरा बैंकिंग सेगमेंट द्वारा अर्जित ब्याज आय के अनुपात में आबंटित किए जाते हैं। प्रत्येक सेगमेंट के लिए नियोजित पूंजी को संबंधित सेगमेंट की आस्तियों के अनुपात में आबंटित किया गया है।

बैंक की कुछ सामान्य आस्ति एवं देयताएं हैं, जिन्हें किसी भी सेगमेंट में शामिल नहीं किया जा सकता है, और उन्हें आबंटित माना गया है।

**IV. Allocation of Income, Expenses, Assets and Liabilities**

Treasury banking operation is separate unit. The income and expenses of treasury operations are directly attributable to treasury segment.

The income and expense of other segments are recognised as under:

- The interest income and interest expense are allocated on the basis of actual interest received for wholesale banking operations and on the basis of advances of wholesale banking operations respectively.
- After allocation of above interest income and expense, the residual interest received/ paid is attribute to retail banking operations...
- Other income/ other expenses are allocated in the proportion of Interest income earned by the wholesale banking / retail banking segment. Capital employed for each segment has been allocated proportionately to the assets of the respective segment.

The Bank has certain common assets and liabilities, which cannot be attributed to any segment, and the same are treated as unallocated.

**बी- 4.2 सेगमेंट संबंधी जानकारी**
**भाग ए: कारोबार सेगमेंट**
**B-4.2 Segment Information**
**Part A: Business Segments**

(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	ट्रेजरी Treasury		कॉर्पोरेट/ होलसेल बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		कुल Total	
		वित्तीय वर्ष: 2020-21 FY: 2020-21	वित्तीय वर्ष: 2019-20 FY: 2019-20	वित्तीय वर्ष: 2020-21 FY: 2020-21	वित्तीय वर्ष: 2019-20 FY: 2019-20	वित्तीय वर्ष: 2020-21 FY: 2020-21	वित्तीय वर्ष: 2019-20 FY: 2019-20	वित्तीय वर्ष: 2020-21 FY: 2020-21	वित्तीय वर्ष: 2019-20 FY: 2019-20	वित्तीय वर्ष: 2020-21 FY: 2020-21	वित्तीय वर्ष: 2019-20 FY: 2019-20
सेगमेंट राजस्व	Segment Revenue	24,763.75	25,565.63	28,753.50	31,026.97	28,958.74	29,470.88	383.51	237.50	82,859.50	86,300.98
सेगमेंट परिणाम	Segment Result	4,762.89	4,327.78	(4007.67)	(8,714.87)	9,995.85	7,565.69	383.51	237.50	11,134.58	3,416.10
आबंटित खर्च	Unallocated Expense	-	-	-	-	-	-	-	-	5,578.58	5,218.21
परिचालनगत लाभ	Operating profit	-	-	-	-	-	-	-	-	5,556.00	(1,802.11)
घटाएं: कर के लिए प्रावधान	Less: Provision for tax	-	-	-	-	-	-	-	-	4,727.05	(2,348.29)
विशेष लाभ/हानि	Extra-Ordinary Profit/Loss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निवल लाभ	Net Profit	-	-	-	-	-	-	-	-	828.95	546.18
सेगमेंट आस्तियां	Segment Assets	3,96,441.49	3,89,692.06	5,11,813.06	5,23,782.08	2,29,691.58	2,31,541.50	-	-	11,37,946.13	11,45,015.64
अनाबंटित आस्तियां	Unallocated Assets	-	-	-	-	-	-	-	-	17,418.64	12,899.87
कुल आस्तियां	Total Assets	-	-	-	-	-	-	-	-	11,55,364.77	11,57,915.52
सेगमेंट देयताएं	Segment Liabilities	3,70,004.71	3,65,509.13	4,77,682.71	4,91,277.98	2,14,374.55	2,17,172.84	-	-	10,62,061.97	10,73,959.94
अनाबंटित देयताएं	Unallocated Liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	16,257.08	12,099.35
कुल देयताएं	Total Liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	10,78,319.05	10,86,059.30
नियोजित पूंजी	Capital employed	26,436.78	24,182.93	34,130.35	32,504.10	15,317.03	14,368.66	-	-	75,884.16	71,055.70
अनाबंटित	Unallocated	-	-	-	-	-	-	-	-	1,161.56	800.51
कुल पूंजी	Total Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	77,045.72	71,856.21



भाग बी - भौगोलिक खंड

Part B – Geographic Segments

(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	घरेलू		अंतर्राष्ट्रीय		कुल	
		Domestic		International		Total	
		वित्तीय वर्ष: 2020-21 FY: 2020-21	वित्तीय वर्ष: 2019-20 FY: 2019-20	वित्तीय वर्ष: 2020-21 FY: 2020-21	वित्तीय वर्ष: 2019-20 FY: 2019-20	वित्तीय वर्ष: 2020-21 FY: 2020-21	वित्तीय वर्ष: 2019-20 FY: 2019-20
राजस्व	Revenue	78,434.16	79,824.37	4,425.34	6,476.61	82,859.50	86,300.98
आस्तियां	Assets	9,70,377.09	9,58,069.26	1,84,987.68	1,99,846.24	11,55,364.77	11,57,915.51

बी- 5 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (लेखांकन मानक -18)

संबंधित पक्षों के नाम एवं बैंक के साथ उनके संबंध:

I. संबंधित पार्टियों के नाम एवं उनके संबंध

ए) अनुषंगियां

- i) घरेलू बैंकिंग अनुषंगी
  1. नैनीताल बैंक लिमिटेड
- ii) विदेशी बैंकिंग अनुषंगियां
  1. बैंक ऑफ बड़ौदा (केन्या) लिमिटेड
  2. बैंक ऑफ बड़ौदा (युगांडा) लिमिटेड
  3. बैंक ऑफ बड़ौदा (गुयाना) आईएनसी.
  4. बैंक ऑफ बड़ौदा (यूके) लिमिटेड
  5. बैंक ऑफ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड
  6. बैंक ऑफ बड़ौदा (त्रिनिदाद और टोबैगो) लिमिटेड (26.02.2021 से बंद)
  7. बैंक ऑफ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लिमिटेड
  8. बैंक ऑफ बड़ौदा (बोत्सवाना) लिमिटेड
- iii) घरेलू गैर-बैंकिंग अनुषंगियां
  1. बॉब कैपिटल मार्केट लिमिटेड
  2. बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड (जिसे पहले बॉब कार्ड्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
  3. बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड
  4. बड़ौदा सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
  5. बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड
  6. बड़ौदा ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- iv) विदेशी गैर-बैंकिंग अनुषंगी
  1. बॉब (यूके) लिमिटेड
- v) विदेशी गैर-बैंकिंग स्टेप-डाउन अनुषंगी
  1. बड़ौदा कैपिटल मार्केट (युगांडा) लिमिटेड. (बैंक ऑफ बड़ौदा युगांडा लिमिटेड की अनुषंगी)

B-5 Related Party Disclosures (Accounting Standard -18)

Names of the Related Parties and their relationship with the Bank:

I. Name of Related Parties & their relationship

a) Subsidiaries

- i) Domestic Banking Subsidiary
  1. The Nainital Bank Limited
- ii) Foreign Banking Subsidiaries
  1. Bank of Baroda (Kenya) Limited
  2. Bank of Baroda (Uganda) Limited
  3. Bank of Baroda (Guyana) Inc.
  4. Bank of Baroda (UK) Limited.
  5. Bank of Baroda (Tanzania) Limited
  6. Bank of Baroda (Trinidad & Tobago) Ltd. (Discontinued from 26.02.2021)
  7. Bank of Baroda (New Zealand) Ltd.
  8. Bank of Baroda (Botswana) Limited
- iii) Domestic Non- Banking Subsidiaries
  1. BOB Capital Markets Limited
  2. BOB Financial Solutions Limited (formerly known as BOB Cards Ltd)
  3. Baroda Global Shared Services Ltd
  4. Baroda Sun Technologies Ltd.
  5. Baroda Asset Management India Limited
  6. Baroda Trustee India Private Limited
- iv) Foreign Non- Banking Subsidiary
  1. BOB (UK) Ltd. (Dissolved w.e.f 22.09.2020)
- v) Foreign Non- Banking Step-down Subsidiary
  1. Baroda Capital Markets (Uganda) Limited. (Subsidiary of Bank of Baroda Uganda Ltd.)



## बी) सहयोगी इकाइयां

- i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
  1. बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक
  2. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
  3. बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक
- ii) अन्य
  1. इंडो जांबिया बैंक लिमिटेड

## सी) संयुक्त उद्यम

1. इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
2. इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी.
3. इंडिया इन्फ्राडेब्ट लिमिटेड

## डी) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

## b) Associates

- i) Regional Rural Banks
  1. Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank
  2. Baroda Rajasthan KshetriyaGramin Bank
  3. Baroda Gujarat Gramin Bank
- ii) Others
  1. Indo Zambia Bank Limited

## c) Joint Ventures

1. India First Life Insurance Company Limited
2. India International Bank (Malaysia) Bhd.
3. India Infradebt Limited

## d) Key Management Personnel

(राशि ₹ / Amount in ₹)

क्र. सं. S. No	नाम Name	पदनाम Designation	पारिश्रमिक Remuneration	
			31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2021	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020
1.	श्री संजीव चड्ढा Shri Sanjiv Chadha	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी MD & CEO	₹ 35,39,380/-	₹ 6,96,137/-
2.	श्री शांति लाल जैन Shri Shanti Lal Jain	कार्यपालक निदेशक Executive Director	₹ 31,57,372/-	₹ 31,64,877/-
3.	श्री विक्रमादित्य सिंह खीची Shri Vikramaditya Singh Khichi	कार्यपालक निदेशक Executive Director	₹ 35,64,623/-	₹ 31,75,563/-
4.	श्री मुरली रामास्वामी* Shri Murali Ramaswami*	पूर्व-कार्यपालक निदेशक (01.10.2019 से - दिसं. 2020 तक) Ex-ED (w.e.f. 01.10.2019- Dec 2020)	₹ 1,09,39,850/-	₹ 45,05,016/-
5.	श्री अजय कुमार खुराना Shri Ajay Kumar Khurana	कार्यपालक निदेशक Executive Director	₹ 29,90,055/-	-
6.	श्री देबदत्त चाँद Shri Debadatta Chand	कार्यपालक निदेशक (10.03.2021 से प्रभावी) Executive Director (w.e.f. 10.03.2021)	₹ 1,55,527/-	-
7.	श्री पी एस जयकुमार Shri P S Jayakumar	पूर्व - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (12.10.2019 तक) Ex -MD & CEO (upto 12.10.2019)	-	₹ 29,70,048/-
8.	श्रीमती पापिया सेनगुप्ता * Smt. Papia Sengupta*	पूर्व-कार्यपालक निदेशक (सितंबर 2019 तक) Ex-ED (up to Sept 2019)	-	₹ 74,13,129/-

\*सेवानिवृत्ति लाभ शामिल

\*includes retirement benefits





लेखों के टिप्पणियों पर भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुसार, संबंधित पार्टी प्रकटीकरण के लिए बोर्ड के पूर्णकालिक निदेशक प्रमुख प्रबंधन कार्मिक हैं।  
*In terms of RBI circular on notes to accounts, key management personnel are whole time directors of Board for Related Party Disclosure.*

संबंधित पक्षों के संबंध में कोई प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, जो कि लेखांकन मानक (एएस 18) के पैरा 9 के अनुसार राज्य नियंत्रित उद्यम हैं। साथ ही लेखांकन मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके संबंधियों सहित बैंक-ग्राहक के बीच लेनदेनों के स्वरूप का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

No disclosure is required in respect of related parties, which are "State Controlled Enterprises" as per paragraph no 9 of Accounting Standard (AS 18). Further in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

ई) संबंधित पार्टियों के साथ संव्यवहारों का विवरण

E) Details of transactions with Related parties

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

क्र.सं S.No	संव्यवहार के प्रकार	Nature of Transaction	2020-2021	2019-2020
1	प्राप्त ब्याज	Interest Received	19.67	19.89
2.	प्राप्त लाभांश	Dividend Received	10.32	10.32
	अन्य आय	Other Income	0.00	0.00
3.	प्रदत्त कमीशन	Commission paid	0.00	0.00
4.	सेवाओं का प्रतिपादन	Rendering of Services	0.00	3.41
5.	एनसीडी पर ब्याज	Interest on NCDs	19.83	19.89
6.	जमा (कासा)	Deposits (CASA)	355.05	0.05
7.	निवेश	Investment	460.00	460.00

बी-6 प्रभावी पट्टा (लेखांकन मानक -19)

B-6 Operating Lease (Accounting Standard -19)

प्रभावी पट्टे पर लिए गए परिसर निम्नानुसार हैं:

Premises taken on operating lease are given below:

प्रभावी पट्टों में मूल रूप से कार्यालय परिसर और कर्मचारी निवास शामिल हैं, जिनका नवीनीकरण करना बैंक की इच्छा पर है।

Operating leases primarily comprise office premises and staff residences, which are renewable at the option of the Bank.

- i) निम्नलिखित तालिका में सूचित अवधि के लिए उन परिसरों के भावी किराए के ब्यौरे प्रस्तुत हैं जिनके प्रभावी पट्टे रद्द नहीं किए जा सकते:

The following table sets forth, for the period indicated, the details of future rental payments on Premises taken on Non-Cancellable operating leases:

(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

बाध्यताएं	Obligations	31 मार्च , 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च , 2020 को As on March 31, 2020
एक वर्ष से अधिक नहीं	Not later than one year	138.73	117.38*
एक वर्ष से अधिक व 5 वर्षों से अधिक नहीं	Later than one year and not later than five years	177.48	247.99
5 वर्षों से अधिक	Later than five years	235.10	278.65

\* मासिक किरायेदारी / समाप्त पट्टे वाले परिसर शामिल है।

\* includes premises with monthly tenancy/expired lease.



प्रभावी पट्टों के लिए लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त पट्टे के भुगतान की राशि ₹ 792.40 करोड़ (विगत वर्ष: ₹ 827.04 करोड़)

Amount of lease payments recognized in the Profit & Loss Account for operating leases is ₹ 792.40 Crores (Previous Year: ₹ 827.04 Crores)

#### बी-7 प्रति शेयर आय (लेखांकन मानक -20)

बैंक लेखांकन मानक 20 - प्रति शेयर आय के अनुरूप प्रति शेयर इक्विटी में बुनियादी और न्यून आय दर्ज करता है। वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद निवल लाभ को विभाजित करके मूल आय प्रति शेयर की गणना की जाती है।

#### B-7 Earning per Share (Accounting Standard -20)

The Bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with Accounting Standard 20 - "Earnings per Share". "Basic earnings" per share is computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2021	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020
वर्ष के आरंभ में इक्विटी शेयरों की संख्या	Number of share at the beginning of the year	462,05,66,586	264,55,16,132
वर्ष के दौरान जारी शेयर	Shares Issued during the Year	55,07,95,593	197,50,50,454**
वर्षांत पर शेयरों की संख्या	Number of share at the end of year	517,13,62,179	462,05,66,586
प्रति शेयर मूल आय की गणना करने के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयर	Weighted Average Share used in computing the basic earnings per shares	466,28,19,399	4,00,73,03,898
वर्षांत पर इक्विटी शेयरों की संभावित संख्या	Potential no. of equity shares as at end of year	NA	NA
डायल्यूटेड प्रति शेयर आय की गणना करने के लिए शेयरों की संख्या	Number of share used in computing the diluted earnings per shares	466,28,19,399	4,00,73,03,898
कर के बाद निवल लाभ (₹ करोड़ में)	Net profit after tax (₹ in Crores)	828.95	546.18
मूल अर्जन प्रति शेयर (₹ में)	Basic earnings per share (In ₹)	1.78	1.36
डायल्यूटेड आय प्रति शेयर (₹ में)	Diluted earning per share (In ₹)	1.78	1.36
अंकित मूल्य प्रति शेयर (₹ में)	Nominal value per share (In ₹)	₹ 2/- Face Value	₹ 2/- Face Value

- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक ने सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के तहत बैंक की विकास योजनाओं और अन्य सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए बैंक की टियर I पूंजी को बढ़ाने के लिए कुल ₹ 4,500.00 करोड़ के ₹ 81.70 प्रति इक्विटी शेयर (₹ 79.70 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम सहित) के निर्गम मूल्य पर ₹ 2 के अंकित मूल्य वाले 55,07,95,593 इक्विटी शेयर जारी और आवंटित किए हैं।

\*\* समामेलन की योजना के अनुसार अप्रैल 2019 में पूर्ववर्ती विजया बैंक के इक्विटी शेयरधारकों को जारी एवं आवंटित 52,42,00,772 पूर्णतः प्रदत्त शेयरों और पूर्ववर्ती देना बैंक के इक्विटी शेयरधारकों को जारी एवं आवंटित 24,84,51,166 पूर्णतः प्रदत्त शेयर शामिल हैं।

- During the FY 2020-21, the Bank has issued and allotted 55,07,95,593 equity shares having face value of ₹ 2 each at an issue price of ₹ 81.70 per equity shares (including premium of ₹ 79.70 per equity share), under Qualified Institutional Placement (QIP) in accordance with the provisions of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 aggregating to ₹ 4,500.00 Crores for augmenting Bank's Tier I capital to support growth plans of the Bank and for other general corporate purposes.

\*\* includes 52,42,00,772 fully paid up shares issued and allotted to equity shareholders of erstwhile Vijaya Bank and 24,84,51,166 fully paid up shares issued and allotted to equity shareholders of erstwhile Dena Bank on April, 2019, pursuant to scheme of Amalgamation.



बी-8 आय पर कारों के लिए लेखांकन (लेखांकन मानक -22)

B-8 Accounting for Taxes on Income (Accounting Standard -22)

वर्ष के दौरान कराधान के लिए प्रावधान

Amount of Provisions for Taxation during the year.

(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020
आस्थगित कर सहित कर हेतु प्रावधान	Provision for Tax including deferred tax	5,256.24	(2,348.29)
घटाएं : पिछले वर्षों से संबंधित कर प्रावधानों का रिवर्सल	Less : reversal of Tax Provisions relating to previous years	529.19	0.00
<b>कर के लिए निवल प्रावधान</b>	<b>Net provision for Tax</b>	<b>4,727.05</b>	<b>(2,348.29)</b>

**ए) वर्तमान कर:**

वर्ष के दौरान वर्तमान कर के कारण बैंक ने लाभ और हानि खाते में ₹ 959.04 करोड़ (विगत वर्ष: ₹ -360.29 करोड़) नामे किए हैं. भारत में वर्तमान कर की गणना विदेशों में भुगतान किए गए करों के लिए उचित राहत लेने के बाद आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है.

**a) Current Tax:**

During the year the Bank has debited to Profit & Loss Account ₹ 959.04 Crores (Previous Year: ₹ -360.29 Crores) on account of current tax. The Current Tax in India has been calculated in accordance with the provisions of Income Tax Act 1961 after taking appropriate relief for taxes paid in foreign jurisdictions.

**बी) आस्थगित कर:**

वर्ष के दौरान आस्थगित कर के कारण लाभ और हानि खाते में ₹ 4,297.20 नामे किया गया है (विगत वर्ष: ₹ 1,988.00 करोड़). बैंक का निवल डीटीए ₹ 10,209.84 करोड़ (विगत वर्ष: ₹ 14,538.63 करोड़ का निवल डीटीए) है. डीटीए और डीटीएल के प्रमुख घटक नीचे दिए गए हैं:

**b) Deferred Tax:**

During the year, ₹ 4,297.20 Crore has been Debited to Profit and Loss Account (Previous Year: ₹ 1,988.00 Crores) on account of deferred tax. The Bank has a net DTA of ₹ 10,209.84 Crores (Previous Year: net DTA of ₹ 14,538.63 Crores). The major components of DTA and DTL is given below:

(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020
ए. घरेलू	A. Domestic		
आस्थगित कर आस्तियां (डीटीए)	Deferred Tax Assets (DTA)		
अचल आस्तियों पर आयकर अधिनियम के तहत बही मूल्यहास तथा मूल्यहास में अंतर	Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act on fixed assets	423.64	546.08
गैर बैंकिंग आस्तियों के लिए प्रावधान	Provision for Non Banking Assets	13.84	56.81
धोखाधड़ी के लिए प्रावधान	Provision for fraud	71.55	98.08
विदेशी मुद्रा विनिमय प्रारक्षित (वसूल न की गई और वसूल की गई)	Foreign Currency Translation Reserve(Unrealized and Realized)	255.67	462.80
अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	Provision for leave encashment	431.27	636.50
संदिग्ध ऋणों तथा अग्रिमों के लिए प्रावधान	Provision for doubtful debts and advances	11,127.92	15,832.40
<b>कुल डीटीए</b>	<b>Total DTA</b>	<b>12,323.89</b>	<b>17,632.67</b>
आस्थगित कर देयताएं (डीटीएल)	Deferred Tax Liabilities (DTL)		

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत कटौती	Deduction under section 36 (1) (viii) of the Income-Tax Act, 1961	1,804.07	2,403.80
उपार्जित ब्याज परंतु देय नहीं	Interest Accrued but not due	906.53	1,510.11
कुल डीटीएल	Total DTL	2,710.60	3,913.91
निवल आस्थिगत कर देयताएं (ए)	Net Deferred Tax Assets (A)	9,613.29	13,718.76
बी. वैश्विक (घरेलू एवं विदेशी परिचालन)	B. GLOBAL (Domestic & Overseas operations)		
आस्थिगत कर देयताएं (डीटीए)	Deferred Tax Assets (DTA)		
आयकर अधिनियम के तहत स्थायी आस्तियों पर बही मूल्यहास तथा मूल्यहास के बीच का अंतर	Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act on fixed assets	421.86	545.95
अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	Provision for leave encashment	431.09	636.78
संदिग्ध ऋणों तथा अग्रिमों के लिए प्रावधान	Provision for doubtful debts and advances	11,715.73	16,653.36
विदेशी मुद्रा विनिमय प्रारक्षित	Foreign Currency Translation Reserve	255.67	462.80
गैर बैंकिंग आस्तियों के लिए प्रावधान	Provision for Non Banking Assets	13.84	56.81
धोखाधड़ी के लिए प्रावधान	Provision for Fraud	71.55	98.08
अन्य	Others	10.70	0.31
कुल डीटीए	Total DTA	12,920.44	18,454.09
आस्थिगत कर देयताएं (डीटीएल)	Deferred Tax Liabilities (DTL)		
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत कटौती	Deduction under section 36 (1) (viii) of the Income-Tax Act, 1961	1,804.07	2,403.80
उपचित ब्याज परंतु देय नहीं	Interest Accrued but not due	906.53	1,510.11
अन्य	Others	0.00	1.55
कुल डीटीएल	Total DTL	2,710.60	3,915.46
निवल आस्थिगत कर देयताएं (बी)	Net Deferred Tax Assets (B)	10,209.84	14,538.63

- 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आयकर हेतु प्रावधानों को निर्धारित करते समय बैंक ने करानुमान (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा लागू किए गए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 बीए के तहत अनुमन्य न्यूनतम कर दर के विकल्प का प्रयोग किया है। तदनुसार, बैंक ने उक्त धारा में निर्धारित कर की दर के आधार पर 31 मार्च, 2020 को अपनी आस्थिगत कर आस्तियों का पुनर्निर्धारण किया है। इन परिवर्तनों का परिणाम ₹ 3,837.20 करोड़ का एकमुश्त प्रभाव है जो बैंक के कर व्यय में शामिल है। बैंक द्वारा लिए गए संगत निर्णय, न्यायिक निर्णयों और बैंक के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर से संबंधित प्रावधानों के लागू नहीं होने के संबंध में कानूनी परामर्श के आधार पर, बैंक द्वारा प्रयोग किए गए इस विकल्प से प्रबंधन को किसी अन्य प्रभाव की उम्मीद नहीं है।
- अन्य आस्तियों के अंतर्गत दर्शाई गई अग्रिम कर भुगतान/ स्रोत पर कर कटौती में विभिन्न मूल्यांकन वर्षों के लिए कर मांग से संबंधित बैंक द्वारा प्रदत्त/ विभाग द्वारा समायोजित विवादास्पद राशि शामिल है। ₹ 6,187.58 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5,128.14 करोड़) की विवादास्पद आयकर मांग के संबंध में कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है, क्योंकि बैंक के विचार में, कर सलाहकारों के विधिवत
- While recognising provision for income tax for the year ended 31st March 2021, the Bank has exercised the option of lower tax rate permitted under Section 115 BAA of the Income-tax Act, 1961 as introduced by the Taxation Laws (Amendment) Act, 2019. Accordingly, the Bank has re-measured its Deferred Tax Assets at 31st March, 2020 based on the tax rate prescribed in the said section. The impact of these changes is a one-time charge of ₹ 3,837.20 Crores which is included in the Tax expenses of the Bank. Based on the consistent stand taken by the Bank, judicial pronouncements and legal advice in relation to non applicability of the provisions relating to Minimum Alternate Tax to the Bank, the management does not foresee any further implications of this option being exercised by the Bank.
- Tax Paid in advance/Tax deducted at source appearing under Other Assets includes disputed amount adjusted by the department/paid by the Bank in respect tax demands for various assessment years. No provision is considered necessary in respect of disputed Income Tax demands of ₹ 6,187.58 Crores (Previous year ₹ 5,128.14 Crores) as in the bank's view, duly supported



राय में और / या ऐसे मुद्दे पर बैंक की स्वयं की अपीलों के निर्णय के मद्देनजर, किए गए परिवर्धन/ अस्वीकृति मान्य नहीं हैं. इन राशियों में धारा 115 जेबी (एमएटी) की मांग के संबंध में विभाग द्वारा विवादित कर (एमएटी क्रेडिट) के तौर पर प्रदत्त / समायोजित रु.1,135.50 करोड़ की राशि भी शामिल है जो बैंक के पक्ष में दिए गए न्यायिक फैसलों और विधिक सलाह के आधार पर प्रबंधन की राय में प्रतिदेय है और इसलिए कोई प्रावधान / बट्टे खाते डालने को आवश्यक नहीं माना गया.

बी-9 एएस 23 – समेकित वित्तीय विवरणी में सहबद्ध संस्था में निवेश हेतु लेखांकन चूंकि अपनी सहबद्ध संस्था में बैंक के निवेश सहभागी के रूप में होते हैं और बैंक के पास उनकी गतिविधियों को प्रभावित करने की शक्तियां होती हैं, ऐसे निवेशों को बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है.

बी-10 परिचालन बंद करना (लेखांकन मानक – 24)

- बैंक ऑफ बड़ौदा की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी बैंक ऑफ बड़ौदा (त्रिनिदाद एंड टोबैगो) लिमिटेड दिनांक 26 फरवरी, 2021 को बंद हो गयी, तदनुसार पैरा 21.29 के अनुसार "प्रकटीकरण – रिपोर्टिंग तारीख को वित्तीय स्थिति में अधिग्रहण का प्रभाव और अनुषंगियों के निपटान, रिपोर्टिंग अवधि के लिए परिणाम और पिछली तिमाही के लिए संबंधित तदनुसूची राशि" निम्नानुसार है:
  - बैंक की अनुषंगी – बैंक ऑफ बड़ौदा (त्रिनिदाद एंड टोबैगो) के निवेश की बिक्री पर अनुसूची 14 अन्य आय के अंतर्गत निवेश (निवल) की बिक्री पर लाभ / (हानि) रु. 155.53 करोड़ शामिल है.
- बैंक ऑफ बड़ौदा की पूर्ण स्वामित्व वाली अपरिचालित अनुषंगी बाँब (यूके) लिमिटेड को दिनांक 22.09.2020 से विघटित कर दिया गया है.

बी-11 संयुक्त उद्यम में हितों का प्रकटीकरण (लेखांकन मानक –27)

एएस 27 की आवश्यकता के अनुरूप संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों में बैंक के हितों से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताओं और प्रतिबद्धताओं की कुल राशि निम्नानुसार है:

by Tax Consultant view and/or decision in bank's own appeals on same issues, additions / disallowances made are not sustainable. These amounts also include ₹ 1,135.50 Crores paid/ adjusted by the department as disputed tax (MAT credit) in relation to the demands relating section 115JB (MAT) which in the opinion of the management basis available judicial pronouncements in favor of the Bank and the legal advice received are refundable and hence no provision/ writeoff has been considered necessary.

B-9 AS 23- Accounting for Investments in Associates in Consolidated financial Statements since Investments of the bank in its Associates are participative in nature and the Bank having the power to exercise significant influence on their activities, such Investments are recognized in the Consolidated Financial Statements of the Bank.

B-10 Discontinuing operations (Accounting Standard-24)

- Bank of Baroda (Trinidad and Tobago) Ltd, wholly owned subsidiary of Bank of Baroda was closed on 26th February, 2021, accordingly disclosures as per para 21.29 – “the effect of the Acquisition and Disposal of subsidiaries in the financial position at the reporting date, the results for the reporting period and on the corresponding amounts for the preceding period.” is as under:
  - Profit / (loss) on sale of investment (net) under schedule 14 “Other Income” includes: ₹ 155.53 Crores on sale of investment in Bank's subsidiary – “Bank of Baroda (Trinidad & Tobago)”.
- BOB (UK) Ltd, wholly owned non functional subsidiary of Bank of Baroda has been dissolved w.e.f 22.09.2020.

B-11 Disclosure of Interest in Joint Ventures (Accounting Standard -27)

As required by AS 27, the aggregate amount of the assets, liabilities, income, expenses, contingent liabilities and commitments related to the Bank's interests in jointly controlled entities are disclosed as under:

नाम	Name	देश जहां विद्यमान है	Country of Incorporation	निवेश का स्वरूप	Nature of Investments	स्वामित्व का %	
						% of owner ship	% of owner ship
						31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020
इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	India First Life Insurance Company Ltd	भारत	India	संयुक्त उद्यम	Joint Venture	44.00%	43.31%
इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी.	India International Bank (Malaysia) Bhd	मलेशिया	Malaysia	संयुक्त उद्यम	Joint Venture	40.00%	40.00%
इंडिया इन्फ्रा डेट लिमिटेड	India Infradebt Ltd.	भारत	India	संयुक्त उद्यम	Joint Venture	40.99%	40.99%



(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020
देयताएं	Liabilities		
पूंजी एवं प्रारक्षित निधि	Capital & reserve	1,484.26	1,328.57
जमाएं	Deposits	73.70	175.29
ऋण	Borrowings	4,939.33	4,112.29
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other Liabilities & provisions	7,596.25	6,432.15
कुल	Total	14,093.54	12,048.30
आस्ति	Asset		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं जमाशेष	Cash and Balances with RBI	2.25	1.95
बैंक के पास जमाशेष तथा मांगे जाने एवं अल्प सूचना पर देय राशि	Balances with banks and Money at call and short notice	940.27	556.27
निवेश	Investments	9,821.50	8,103.30
ऋण एवं अग्रिम	Loans & Advances	2,990.08	2,984.90
स्थायी आस्तियां	Fixed Assets	13.83	20.65
अन्य आस्तियां	Other Assets	325.60	381.23
कुल	Total	14,093.54	12,048.30
अन्य आकस्मिक देयताएं	Contingent Liabilities	67.98	26.76
आय	Income		
अर्जित आय	Income Earned	1,463.55	556.90
अन्य आय	Other Income	1,909.36	1,429.99
कुल	Total	3,372.92	1,986.89
व्यय	Expenditure		
ब्याज व्यय	Interest expended	398.79	322.98
परिचालनगत व्यय	Operating expenses	1,827.19	1,728.34
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	Provisions & contingencies	1,009.47	(127.30)
कुल	Total	3,235.45	1,924.02
लाभ	Profit	137.46	62.87



बी-12 आस्तियों की हानि (लेखांकन मानक - 28)

बैंक के प्रबंधन की राय में वर्ष के दौरान आस्तियों को हानि का कोई संकेत नहीं है जिस पर लेखा मानक 28 - 'आस्तियों की हानि' लागू होता है।

B-12 Impairment of Assets (Accounting Standard-28)

In the opinion of the Bank's management, there is no indication of impairment to the assets during the year to which Accounting Standard 28 - "Impairment of Assets" applies.

बी.13 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां (लेखांकन मानक - 29):

B-13 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (Accounting Standard-29)

बी-13.1 बैंक की नीति के अनुसार, ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए दावों हेतु प्रावधान निम्नानुसार किया गया है

B-13.1 As per the policy of the Bank, provision for the claims not been acknowledged as debt, has been provided for.

दावों के लिए प्रावधानों का संचलन

Movement of provisions for Claims

(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण विधिक मामले/ आकस्मिकताएं	Particulars Legal Cases/Contingencies	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2021	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020
प्रारंभिक शेष राशि	Opening balance	94.82	33.72
विलय के कारण जुड़े	Addition on account of merger.	0.00	23.78
वर्ष के दौरान प्रावधान/समायोजन	Provided / Adjustment during the year	99.44	38.17
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	Amount Used during the year	0.00	0.85
31 मार्च को शेष राशि	Balance as on 31st March	194.26	94.82
आउटफ्लो/ अनिश्चितताओं का समय	Timing of outflow/ uncertainties	निपटान क्रिस्टलाइजेशन का आउटफ्लो / Outflow on settlement/crystallization	

ए) तुलनपत्र की अनुसूची 12 की क्रम संख्या (I) से (VI) में उल्लिखित इस प्रकार की देयताएं क्रमशः न्यायालय के निर्णय/ मध्यस्थता फैसलों/ न्यायालय से बाहर समझौते/ अपीलों के निपटान मांग राशि, करार बाध्यता संबंधी शर्तों, संबद्ध पक्षों द्वारा की गई मांग से संबंधित राशि पर निर्भर करती है, ऐसे मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

a. Such liabilities as mentioned at Serial No (I) to (VI) of Schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the outcome of court judgment / arbitration awards / out of court settlement/disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, development and raising of demand by concerned parties respectively. No reimbursement is expected in such cases.

बी) आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है।

b. Contingent Assets are not recognized in the financial statements.

आकस्मिक देयताओं का विवरण (अनुसूची 12 में भी उल्लिखित)

Description of contingent liabilities. (Also Refer Schedule 12)

ए) बैंक के विरुद्ध दावा जिन्हें कर्ज नहीं माना गया है;

a. Claims against the Bank not acknowledged as debts;

ये वर्तमान में चल रहे विभिन्न विधिक मामलों से संबंधित सामान्य व्यवसाय में बैंक के विरुद्ध दायर दावों को दर्शाते हैं. इनमें आयकर अधिकारियों द्वारा की गई और बैंक द्वारा विवादित मांग भी शामिल हैं.

These represent claims filed against the Bank in the normal course of business relating to various legal cases currently in progress. These also include demands raised by income tax authorities and disputed by the Bank.

बी) आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश के लिए देयता

b. Liability for partly paid investments

यह आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश के लिए देयता हेतु शेष अदत्त राशि को दर्शाता है.

This represents amounts remaining unpaid towards liability for partly paid investments.

आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश रु. 15.28 करोड़ में केन्द्रीय भण्डारण निगम तथा आईएल एंड एफएस इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड को आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश के लिए भुगतान नहीं की गई राशि शामिल है.

Liability for partly paid investments of ₹ 15.28 Crores represents amounts remaining unpaid towards liability for partly paid investments of central ware Housing Corporation and IL&FS infrastructure debt fund

**सी) वायदा मुद्रा एवं डेरिवेटिव संविदाओं के कारण देयता:**

बैंक ने अपने स्वयं और ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा संविदा, मुद्रा ऑप्शन/स्वैप, ब्याज दर/मुद्रा फ्यूचर्स एवं वायदा दर करार किया है। वायदा मुद्रा संविदा अनुबंधित दर पर भावी तारीख को विदेशी मुद्रा के क्रय या विक्रय के लिए प्रतिबद्धता है। मुद्रा स्वैप, लागू हाजिर दरों के आधार पर, दो मुद्राओं में ब्याज/मूलधन के माध्यम से नकदी प्रवाह का विनिमय के लिए प्रतिबद्धता है। ब्याज दर स्वैप, स्थायी और अस्थायी ब्याज दर नकदी प्रवाह को विनिमय के लिए प्रतिबद्धता है। ब्याज दर फ्यूचर्स एक मानकीकृत, एक्सचेंज-ट्रेडेड संविदा है जो एक नियत भावी तारीख को एक निश्चित मूल्य पर निश्चित ब्याज दर लेनदेन करने का वचन देती है। वायदा दर करार एक सहमत अवधि के लिए अनुमानित राशि पर डिफरेंशियल ब्याज दर के आधार पर एक निश्चित राशि का भुगतान करने या प्राप्त करने के लिए करार है। विदेशी मुद्रा ऑप्शन दो पक्षों के बीच एक करार होता है, जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को नियत समयावधि के भीतर या निर्दिष्ट भावी समय में विशिष्ट मूल्य पर मुद्रा की एक निश्चित राशि खरीदने या बेचने का अधिकार देता है। एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शन संविदा, एक मानकीकृत विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदा है, जो समाप्ति की तारीख पर नियत तारीख पर पूर्व-सहमत मुद्रा दर पर एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में मूल्यवर्गित राशि के विनिमय का अधिकार देता है, परंतु बाध्यता नहीं। मुद्रा फ्यूचर्स वायदा निर्दिष्ट मूल्य पर भविष्य में नियत तारीख को निश्चित अंतर्निहित मुद्रा के क्रय या विक्रय के लिए मानकीकृत, एक्सचेंज-ट्रेडेड संविदा है। आकस्मिक देयता की राशि संबंधित वायदा विनिमय और डेरिवेटिव संविदा के कल्पित मूलधन का प्रतिनिधित्व करती है।

**डी) ग्राहकों के पक्ष में दी गई गारंटी**

अपनी बैंकिंग गतिविधियों के एक अंश के रूप में, समूह अपने ग्राहकों की ऋण अवस्थिति को बढ़ाने हेतु उनके पक्ष में गारंटी जारी करता है। वह गारंटी अप्रतिसंहरणीय एश्योरेंस का प्रतिनिधित्व करती है जिससे ग्राहक के वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने की स्थिति में बैंक उसका भुगतान करेगा।

**ई) स्वीकृति, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व**

इसमें समूह द्वारा अपने ग्राहकों के पक्ष में जारी किए गए दस्तावेजी क्रेडिट और बैंक के ग्राहकों द्वारा आहरित बिल, जिन्हें बैंक द्वारा स्वीकृत और पृष्ठांकित किया गया है, को शामिल किया गया है।

**एफ.** और अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है।

**सी. अतिरिक्त प्रकटीकरण**
**सी-1 बहियों का मिलान एवं समाधान**

अंतर्गत कार्यालय समायोजन के अंतर्गत लेखों के विभिन्न शीर्षों के नाम एवं जमा की बकाया प्रविष्टियों के प्रारंभिक मिलान का कार्य समाधान के प्रयोजन हेतु दिनांक 31.03.2021 तक कर लिया गया है। इसमें उचित समाधान का कार्य प्रगति पर है। अनुबंधियों के बही खातों का मिलान, इंटरऑफिस खातों, माइग्रेशन खातों, अन्य कार्यालय खातों का पुष्टिकरण / समाधान आदि नियमित आधार पर प्रगति पर है। प्रबंधन की राय में, उपरोक्त का, वित्तीय विवरणी पर समग्र प्रभाव, यदि कोई होगा, वह अधिक महत्वपूर्ण नहीं होगा।

**c. Liability on account of forward exchange and derivative contracts:**

Liability on account of forward exchange and derivative contracts:

The Bank enters into foreign exchange contracts, currency options/swaps, interest rate/currency futures and forward rate agreements on its own account and for customers. Forward exchange contracts are commitments to buy or sell foreign currency at a future date at the contracted rate. Currency swaps are commitments to exchange cash flows by way of interest/principal in two currencies, based on ruling spot rates. Interest rate swaps are commitments to exchange fixed and floating interest rate cash flows. Interest rate futures are standardised, exchange-traded contracts that represent a pledge to undertake a certain interest rate transaction at a specified price, on a specified future date. Forward rate agreements are agreements to pay or receive a certain sum based on a differential interest rate on a notional amount for an agreed period. A foreign currency option is an agreement between two parties in which one grants to the other the right to buy or sell a specified amount of currency at a specific price within a specified time period or at a specified future time. An Exchange Traded Currency Option contract is a standardised foreign exchange derivative contract, which gives the owner the right, but not the obligation, to exchange money denominated in one currency into another currency at a pre-agreed exchange rate on a specified date on the date of expiry. Currency Futures contract is a standardised, exchange-traded contract, to buy or sell a certain underlying currency at a certain date in the future, at a specified price. The amount of contingent liability represents the notional principal of respective forward exchange and derivative contracts.

**d. Guarantees given on behalf of constituents**

As a part of its banking activities, the Bank issues guarantees on behalf of its customers to enhance their credit standing. Guarantees represent irrevocable assurances that the Bank will make payments in the event of the customer failing to fulfill its financial or performance obligations.

**e. Acceptances, endorsements and other obligations**

These include documentary credit issued by the Bank on behalf of its customers and bills drawn by the Bank's customers that are accepted or endorsed by the Bank.

**f. And other items for which Bank is Contingently liable.**
**C. Additional Disclosures**
**C-1 Balancing of Books and Reconciliation**

Initial matching of debit and credit outstanding entries in various heads of accounts included in Inter office Adjustments has been completed up to 31.03.2021, the reconciliation of which is in progress. Balancing of Subsidiary Ledger Accounts, confirmation/reconciliation of Inter-office accounts, Migration accounts, other office accounts, etc. is in progress on an on-going basis. In the opinion of the management, the overall impact on the financial statements, if any, of the above, is not likely to be material.





**सी-2 निवेश**

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक ने निवेश के एक भाग को एचटीएम श्रेणी से एफएस श्रेणी एवं एफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में अंतरित कर दिया है. ₹ 1.61 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 214.63 करोड़) के परिणामी मूल्यहास को लाभ एवं हानी खाते में प्रभारित कर दिया गया है.

**सी-3 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को भुगतान**

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय मूल राशि या ब्याज के भुगतान में देरी का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है, अतः एमएसएमई को विलंबित भुगतान पर ब्याज के भुगतान के लिए प्रकटीकरण लागू नहीं है. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से संबंधित विवरण प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गये हैं और हमने उसे आधार के रूप में लिया है.

**सी-4 परिसर**

सी-4.1 बैंक की कुल ₹168.72 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 168.72 करोड़) की कुछ संपत्तियों के संबंध में हस्तांतरण विलेख का निष्पादन होना बाकी है.

सी-4.2 पुनर्मूल्यांकित हिस्सा पर मूल्यहास : वित्तीय वर्ष 2020-21 (इसमें पूर्ववर्ती देना बैंक और पूर्ववर्ती विजया बैंक का मूल्यहास शामिल है) के लिए ₹ 657.65 करोड़ प्रभारित मूल्यहास और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कुल प्रभारित मूल्यहास ₹ 1,314.54 करोड़ है.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के नाम पर सी-10, जी ब्लॉक, बीकेसी, मुंबई में स्थित पूर्ववर्ती देना बैंक की संपत्ति के हस्तांतरण के पेटे ₹ शून्य करोड़ (पिछले वर्ष रु. 2.15 करोड़) का परिवर्तन शुल्क मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण में जमा किया है.

सी-5 बॉब फिस्कल सर्विसेज लिमिटेड (बॉब एफएसएल), पूर्व में पूर्ण रूप से बैंक ऑफ़ बड़ौदा की अनुषंगी द्वारा 24.09.1990 को कंपनी को स्वैच्छिक रूप से समाप्त करने का विशेष संकल्प पारित किया गया और उसके लिए एक परिसमापक की नियुक्ति कर दी गई.

बॉब फिस्कल सर्विसेज लिमिटेड ने बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ एक समझौता किया जिसके तहत दिनांक 28.02.1991 से बॉब एफएसएल की सम्पूर्ण आस्तियां एवं देयताएं उसके पूर्ण व्यवसाय के समापन के फलस्वरूप एक गोइंग कंसर्न/ बिक्री के रूप में बैंक ऑफ़ बड़ौदा को स्थानांतरित कर दिए गए. चूंकि कंपनी विचाराधीन कानूनी मामले के कारण पूर्ण रूप से परिसमाप्त नहीं की जा सकती थी. अतः दिनांक 30 मार्च 2007 को बॉब एफएसएल की वार्षिक सामान्य बैठक में बॉब एफएसएल को बैंक ऑफ़ बड़ौदा में शामिल करने का निर्णय लिया गया.

निदेशक मंडल द्वारा बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ मेसर्स बॉब फिस्कल सर्विसेज लि. के विलय को बैंक की दिनांक 28.01.2009 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया और बॉम्बे उच्च न्यायालय के सम्मुख बॉब के साथ बॉब एफएसएल समामेलन हेतु आवश्यक याचिका दर्ज करने के लिए प्रबंधन को प्राधिकृत किया. यह मामला अभी भी न्यायालय में लंबित है.

**C-2 Investments**

In terms of RBI Guidelines, during the year, the bank has transferred a portion of Investment from HTM category to AFS category and AFS to HTM Category. The resultant depreciation of ₹ 1.61 Crores (Previous Year: ₹ 214.63 Crores) has been charged to the Profit & Loss Account.

**C-3 Payment to Micro, Small & Medium Enterprises under the Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006**

There have been no reported cases of delayed payments of the principal amount or interest due thereon to Micro, Small & Medium Enterprises and hence disclosure for payment of interest on delayed payments to MSME is not applicable. The details regarding Micro, Small and Medium Enterprises has been provided by the Management and relied upon by us.

**C-4 Premises**

C-4.1 Execution of conveyance deeds is pending in respect of certain properties amounting to ₹ 168.72 Crores (Previous Year: ₹ 168.72 Crores).

C-4.2 Depreciation on Revalued Portion: ₹ 657.65 Crores depreciation charged for FY 2020-21 and Total depreciation charged during FY 2020-21 is ₹ 1,314.54 Crores.

Conversion fee of ₹ Nil Crores (Previous Year: ₹ 2.15 Crores) deposited with Development Authority against conversion of eDB property at C-10, G Block, BKC, Mumbai in the name of Bank of Baroda.

C-5 BOB Fiscal Services Limited (BOBFSL), erstwhile wholly owned subsidiary of Bank of Baroda (BOB), had passed a special resolution for voluntary winding up of the Company on 24.09.1990 and the Liquidator was appointed for the same.

BOBFSL had entered into an agreement with BOB pursuant to which entire assets and liabilities of BOBFSL were transferred to BOB as a going concern / as sale in liquidation of the entire business w.e.f. 28.2.1991. As the Company could not be liquidated due to pending legal cases, a decision to merge BOBFSL with BOB was taken in the Annual General Meeting of BOBFSL held on 30th March 2007.

The Board of Directors of BOB has approved the merger of BOBFSL with BOB in its Board meeting on 28.01.2009 and authorized the Management to file necessary petition for merger of BOBFSL with BOB before the Bombay High Court. The matter is still pending before the judiciary.

सी-6 बैंकों में भारतीय लेखांकन मानक (आईएनडी-एस) के कार्यान्वयन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक (भा.रि.बैं.) ने डीबीआर.बी.पी.बीसी.नं.76/21.07.0001/ 2015-16 दिनांक 11 फरवरी, 2016 द्वारा रोडमैप निर्धारित किया है एवं बैंकों को इस संबंध में हुई प्रगति सहित आईएनडी-एस कार्यान्वयन हेतु रणनीति का प्रकटन करने की आवश्यकता है। तदनुसार बैंक ने आईएनडी-एस के कार्यान्वयन में सहायता हेतु एक कंसल्टेंट नियुक्त किया है। बैंक ने हुई प्रगति के पर्यवेक्षण हेतु एक स्टीयरिंग समिति बनाई है तथा लेखापरीक्षा समिति को समय-समय पर इसकी सूचना की जाती है। उक्त परिपत्र द्वारा निर्धारित आवश्यकतानुसार बैंक ने 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त अवधि हेतु भा.रि.बैं. को प्रारूप आईएनडी-एस वित्तीय विवरणी प्रस्तुत कर दी है। इसके अतिरिक्त भा.रि.बैं. द्वारा जारी परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.नं. 29/21.07.001/2018-19 दिनांक 22.03.2019 के अनुसार अगले अनुदेशों तक बैंकों पर आईएनडी-एस को लागू करना आस्थगित कर दिया गया है।

सी-7 वर्ष के दौरान अदावाकृत लाभांश राशि रु. 13.89 करोड़ (पिछले वर्ष 6.91 करोड़) बिना किसी देरी के निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि को अंतरित किया गया।

सी-8 भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र सं. डीबीआर.नं.बीपी.15199 / 21.04.048 / 2016-17 तथा डीबीआर.नं. बीपी.1906 / 21.04.048 / 2017-18 क्रमशः दिनांक 23 जून, 2017 एवं दिनांक 28 अगस्त, 2017 के अनुसार दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों में शामिल खातों के लिए बैंक ने 31 मार्च, 2021 को कुल ₹ 8173.78 करोड़ करोड़ (कुल बकाये का 100%) का प्रावधान किया है। (पिछले वर्ष ₹ 10853.71 करोड़ (कुल बकाये का 98.73%))

#### सी-9 कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसरण में 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) हेतु ₹ 6.90 करोड़ का परिचालन खर्च (पिछले वर्ष: ₹ 4.33 करोड़) शामिल किया गया है।

बैंक ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए अपने सीएसआर के एक अंश के तौर पर रु. 6.90 करोड़, पिछले वर्ष बैंक के प्रकाशित लाभ का रु.5.46 करोड़ अर्थात 1% और संझी जमा खाता में शेष सीएसआर निधि ₹ 1.44 करोड़ खर्च किया है। एक जिम्मेदार बैंक के रूप में, हमने सीएसआर की अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन करते हुए सकारात्मक रूप से खर्च की एक ऐसी नींव रखी है, जिसपर बैंक आगामी परियोजनाओं और साझेदारी का निर्माण कर सके। बैंक अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए सीएसआर खर्च हेतु अपनी कार्यनीतियों का निरंतर मूल्यांकन कर रहा है। आने वाले वर्षों में, बैंक आवश्यकता के अनुसार अपनी प्रक्रियाओं को और मजबूत करेगा। 6.90 करोड़ में पिछले वर्ष के प्रकाशित निवल लाभ का 5.46 करोड़ अर्थात 1% और संझी जमा खाता में सीएसआर निधि में व्यय के बाद शेष रु.1.44 करोड़ शामिल है।

C-6 The Reserve Bank of India (RBI) vide DBR.BP.BC. No. 76/21.07.001/2015-16 dated 11th February 2016, has prescribed the roadmap for implementation of Indian Accounting Standards (Ind-AS) in the Banks and the Banks need to disclose the strategy for Ind-AS implementation, including the progress made in this regard. The Bank accordingly, has appointed a consultant to assist in implementation of the Ind-AS. The Bank has also constituted a Steering Committee to oversee the progress made and the Audit Committee of the Board is being apprised of the same from time to time. In terms of the requirement stipulated vide said circular, the Bank has submitted quarterly proforma Ind-AS financial statements to the RBI up to 31st December, 2019. Further, as per RBI circular DBR.BP.BC.No. 29/21.07.001/2018-19 dated 22.03.2019, the implementation of Ind AS on banks has deferred till further notice.

C-7 During the year unclaimed dividend amount transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) without any delay is ₹ 13.89 Crores (Previous Year: ₹ 6.91 Crores).

C-8 As per RBI Circular no. DBR.No.BP.15199/21.04.048/2016-17 and DBR.No.BP.1906/21.04.048/20 17-18 dated June 23, 2017 and August 28, 2017 respectively, for the accounts covered under the provisions of Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), the Bank is holding total provision of ₹ 8173.78 Crores (100% of total outstanding) as on March 31, 2021 (Previous Year ₹10853.71 Crores being 98.73% of total outstanding.)

#### C-9 Corporate social responsibility

Operating expenses include ₹ 6.90 Crores (previous year: ₹ 4.33 Crores) for the year ended March 31, 2021 towards Corporate Social Responsibility (CSR), in accordance with Companies Act, 2013.

The Bank has spent total amount of ₹ 6.90 Crores, ₹ 5.46 Crores being 1% of the published profit of the Bank for the previous year and ₹ 1.44 Crores being appropriation of residual CSR fund lying in Sundry Deposit A/c, as part of its CSR for the year ended March 31, 2021. As a responsible bank, it has approached the mandatory requirements of CSR spends positively by laying a foundation on which it would build and scale future projects and partnerships. The Bank continues to evaluate strategic avenues for CSR expenditure in order to deliver maximum impact. In the years to come, the Bank will further strengthen its processes as per requirement. The details of amount spent during the respective year towards CSR are as under: ₹ 6.90 Crores consist of ₹ 5.46 Crores is 1% of published Net profit of previous year and ₹ 1.44 Crores being appropriation of residual CSR fund lying in Sundry Deposit A/c.



(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021			31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020		
		खर्च राशि Amount spent	अदत्त राशि प्रावधान Amount Unpaid provision	कुल Total	खर्च राशि Amount spent	अदत्त राशि प्रावधान Amount Unpaid provision	कुल Total
शिक्षा एवं प्रशिक्षण	Education and training	6.25	-	6.25	3.53	-	3.53
स्वास्थ्य	Health	0.35	-	0.35	0.15	-	0.15
समाज कल्याण	Social Welfare	-	-	-	0.63	-	0.63
अन्य	Others	0.30	-	0.30	0.02	-	0.02
<b>कुल</b>	<b>Total</b>	<b>6.90</b>	<b>-</b>	<b>6.90</b>	<b>4.33</b>	<b>-</b>	<b>4.33</b>

सी-10 गैर-कार्यपालक निदेशकों के पारिश्रमिक के संबंध में प्रकटीकरण

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान निदेशक मंडल और इसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-कार्यपालक निदेशकों को शुल्क के रूप में ₹ 1.07 करोड़ के पारिश्रमिक का भुगतान किया गया. (पिछले वर्ष: ₹ 1.02 करोड़).

सी-11 पूंजी पर्याप्तता तथा चलनिधि मानक संशोधनों पर विवेकसम्मत दिशानिर्देशों के संबंध में जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीबीआर.एनओ.बीपी.बीसी.80/21.06.201/2014-15 दिनांक 31 मार्च, 2015 के साथ पठित बासेल-III पूंजी विनियमन पर जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीबीओडी.एनओ.बी पी.बीसी.1/21.06.201/2015-16 दिनांक 01 जुलाई, 2015 के अनुसार बेसल- III फ्रेमवर्क के तहत बैंकों को लिक्विडिटी अनुपात और चलनिधि कवरेज अनुपात सहित यथा लागू पिलर 3 का प्रकटीकरण करना आवश्यक है. ये विवरण हमारी वेबसाइट "www.bankofbaroda.com" पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं. यह प्रकटीकरण लेखा परीक्षकों की ऑडिट के अधीन नहीं हैं.

सी-12 11 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 प्रकोप को वैश्विक महामारी के रूप में घोषित किया गया और इसने विश्व अर्थव्यवस्था के साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया है. वित्तीय बाजार में सतत अस्थिरता के कारण बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने अग्रिमों की प्रतिलब्धता एवं उस पर प्रावधान, निवेश मूल्यांकन, बैंक ऑफ़ बड़ौदा की अन्य आस्तियों और देयताओं सहित वित्तीय विवरणों के विविध तत्वों पर प्रभाव का निर्धारण करने के लिए वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तारीख तक आर्थिक पूर्वानुमान एवं औद्योगिक रिपोर्ट सहित जानकारी के आंतरिक एवं बाह्य स्रोत पर विचार किया है. कोरोना की दूसरी लहर ने अनिश्चितताओं में वृद्धि कर दी है और इसका प्रभाव विभिन्न विनियामक उपायों एवं लिए गए अन्य उपायों पर निर्भर करेगा. बैंक गतिविधियों पर नियमित रूप से नज़र बनाए हुए है और दूसरी लहर से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए स्व-स्फूर्त होकर प्रयास कर रहा है.

C-10 Disclosure on remuneration to Non-Executive Directors

Remuneration by way of sitting fees to the Non-Executive Directors for attending meetings of the Board and its committees during the year ended March 31, 2021 amounted to ₹ 1.07 Crores (Previous year: ₹ 1.02 Crores).

C-11 RBI Circular DBOD.NO.BPBC.1/21.06.201/2015-16 dated July 01, 2015 on Basel III. : Capital Regulations read together with RBI circular no DBR. NO.BPBC. 80/21.06.201/2014-15 dated March 31, 2015 on Prudential Guidelines on Capital Adequacy and Liquidity Standards Amendments requires banks to make applicable Pillar 3 disclosures including leverage ratio and liquidity coverage ratio under the Basel- III framework. These details are being made available on our website "www.bankofbaroda.com". These disclosures have not been subjected to audit by the auditors

C-12 The Covid-19 outbreak was declared a global pandemic by the world Health Organization on March 11, 2020 and affected world economy as well as Indian economy. On accounts of continuous volatility in financial market, Bank of Baroda has considered internal and external sources of information including economic forecast and industry report up to date of approval of financial results in determining the impact on various elements of its financial statements including recoverability of advances & provision there on, investment valuation, other assets and liabilities of Bank of Baroda. The second wave of Covid-19 has further added to uncertainties and its impact will depend on various regulatory measures & further measures taken. The bank is regularly keeping a watch on development & taking proactive measures to mitigate the challenges posed by this second wave.



कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चितता के चलते बैंक भावी आर्थिक परिस्थिति में किसी भी वास्तविक परिवर्तन की सतत निगरानी कर रहा है जो भविष्य में इन वित्तीय विवरणियों के अनुमोदन की तारीख को अनुमान से भिन्न विकास के आधार पर बैंक के परिचालनों और उसके वित्तीय परिणामों को प्रभावित कर सकती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोविड-19 विनियामक पैकेज के अंतर्गत अपने परिपत्र दिनांक 27 मार्च 2020, 17 अप्रैल 2020 और 23 मई 2020 के माध्यम से दिशानिर्देश जारी किए हैं। दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में बैंक को ऐसे उधारकर्ता खाते जिनमें आस्ति वर्गीकरण लाभ दिया गया है में बकाया अग्रिमों का 10% का प्रावधान करना आवश्यक होगा। उक्त परिपत्र के नियमों के अनुसार विस्तारित किए गए राहत का विवरण निम्नानुसार है:

Given the uncertainty because of COVID -19 pandemic, the Bank is continuously monitoring any material change in future economic conditions which may impact the Bank's operations and its financial results depending on the developments which may differ from that estimated as the date of approval of these financial results.

RBI has announced measures under Regulatory Package for COVID-19 vide its circular dated March 27, 2020, April 17, 2020 and May 23, 2020. In accordance with RBI Guidelines dated April 17, 2020, the Bank was required to make provision of not less than 10% of the outstanding advances in respect of borrower account where asset classification benefit has been granted. Details of relief extended in terms of said circular are as follows:

क्र. सं. S.No	विवरण	Particulars	(राशि ₹ करोड़ में) Amount (In ₹ Cr)
1	एसएमए/अतिदेय वर्ग में बकाया राशि जहां कोविड-19 विनियामक पैकेज के अनुरूप अधिस्थगन/आस्थगन में विस्तार दिया गया था (31.03.2020को)*	Respective amounts in SMA/overdue categories, where the moratorium/deferment was extended as per COVID-19 Regulatory Package (As on 31.03.2020)*	38,004.36
2	जहां आस्ति वर्गीकरण लाभ विस्तारित किए गए हैं वहां बकाया राशि	Respective amount, where asset classification benefit is extended	10,481.57
3	ए) वित्तीय वर्ष 2020 की चौथी तिमाही के दौरान किए गए प्रावधान	a) Provision made during the Q4 FY 2020	810.65
	बी) वित्तीय वर्ष 2021 की पहली तिमाही के दौरान किए गए प्रावधान	b) Provision made during the Q1 FY 2021	1,065.19
4	उपर्युक्त परिपत्र के अनुच्छेद 6 के अनुसार स्लिपेज के सापेक्ष समायोजित प्रावधान	Provision adjusted against slippage in terms of para 6 of above circular	567.24
5	31.03.2021 को अन्य सभी खातों के लिए आवश्यक प्रावधान के सापेक्ष प्रतिलेखन / समायोजित शेष प्रावधान	Residual Provisions written back/ adjusted against the provisions required for all other accounts as on 31.03.2021	1,308.60
6	31.03.2021 को धारित शेष प्रावधान	Residual provision held as on 31.03.2021	Nil

\* ऐसे खाते प्रदर्शित करते हैं जो 31.03.2020 को 31.03.2021 को भी एसएमए में थे।

\* Representing the accounts which was in SMA on 31.03.2020 and also on 31.03.2021.

सी-13 भारतीय उच्चतम न्यायालय (एससी) ने एक जनहित याचिका (भारतीय संघ & एनआर) में दिनांक 03 सितंबर, 2020 के अंतरिम आदेश के माध्यम से यह निर्देशित किया है कि खाते जो 31 अगस्त, 2020 तक अनर्जक आस्तियां (एनपीए) नहीं घोषित की गई हैं उन्हें अगले आदेश तक अनर्जक आस्तियां नहीं घोषित की जाएंगी। उक्त अंतरिम आदेश के आधार पर 31 अगस्त, 2020 को जो एनपीए नहीं थे उन्हें बैंक ने 31 दिसंबर, 2020 तक घरेलू परिचालन से संबंधित किसी भी खाते को एनपीए में वर्गीकृत नहीं किया गया है। बैंक ने अपने विवेकानुसार 31.12.2020 तक रु. 1,521.56 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त परिचालन लाभ में समेकित ब्याज आय रु. 369.93 करोड़ को शामिल किया गया है और विवेकानुसार उपाय के

C-13 In its Interim Order dated September 3, 2020, the Hon'ble Supreme Court of India (SC), In a public interest litigation (Union Of India & Anr) vide an interim order dated 03.09.2020 has directed that the accounts which were not declared as Non- Performing Assets (NPA) till August 31, 2020 shall not be declared as NPA till further orders. Based on the said interim order, the Bank on December 31, 2020 has not classified any account pertaining to Domestic operations as NPA, which was not NPA as of August 31, 2020. As a matter of prudence the Bank made an additional provision of ₹ 1,521.56 Crores till 31.12.2020. Further, interest income aggregating to ₹ 369.93 Crores has been reckoned in operating profit and as prudent



तौर पर इसके लिए समान राशि प्रदान की गई है, इस प्रकार से 31.12.2020 को ₹.1,891.49 करोड़ का कुल प्रावधान किया गया।

माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त स्थगन आदेश को 23.03.2021 को हटाया गया। इसके साथ भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांक 07.04.2021 के निर्देशों के अनुसार में बैंक ने इन उधारकर्ता खातों को 31 मार्च, 2021 को मौजूदा आईआरएसी मानदंडों के अनुसार वर्गीकृत किया गया।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 23.03.2021 के आदेश के माध्यम से निर्देशित किया है कि अधिस्थगन अवधि दिनांक 01.03.2020 से 31.08.2020 के दौरान किसी भी प्रकार का ब्याज पर ब्याज/ चक्रवृद्धि ब्याज/ दंडात्मक ब्याज प्रभारित नहीं किया जाएगा और ऐसे ब्याज को संबंधित उधारकर्ता को रिफंड किया जाएगा।

तदनुसार, बैंक ने इसके लिए ₹.505.00 करोड़ की अनुमानित देयता का सृजन किया है और उक्त को 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए ब्याज आय से घटा दिया गया है।

सी-14 भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र. डीओआर.नं.बीपी.बी सी/3/21.04.048/2020-21 दिनांक 06 अगस्त, 2020 के अनुसार वर्ष के दौरान कोविड 19 संबंधी दबाव के लिए समाधान फ्रेमवर्क के अनुसार विस्तृत आवश्यकताएं निम्नानुसार है।

measure an equal amount has been provided for, thereby making total provision of ₹ 1,891.49 Crores as on 31.12.2020.

The above stay order of the Hon'ble Supreme Court of India was vacated on 23.03.2021. Further, in accordance with the instructions of RBI circular dated 07.04.2021, the Bank has classified these borrower accounts as per extant IRAC norms as on March 31, 2021.

Hon'ble Supreme court, vide order dated 23.03.2021, directed that there shall not be any charge of interest on interest/ compound interest/ penal interest for the period during the moratorium from 01.03.2020 to 31.08.2020 and such interest shall be refunded to the concerned borrowers.

Accordingly, the Bank has created an estimated liability of ₹ 505.00 Crores towards the same and has reduced the same from interest income for the year ended March 31, 2021.

C-14 In terms of RBI circular DOR.No.BP.BC/3/21.04.048/2020-21 dated August 6, 2020, the detailed requirement as per Resolution Framework for COVID-19 related Stress during the year is given hereunder:

उधारकर्ता के प्रकार	Type of borrower	(ए) इस विंडो के अंतर्गत खातों की संख्या जहां समाधान योजना को क्रियान्वित किया गया है (A) Number of accounts where resolution plan has been implemented under this window	(बी) योजना के क्रियान्वित किए जाने के पूर्व (ए) में उल्लिखित खाते जिनमें एक्सपोजर था (B) exposure to accounts mentioned at (A) before implementation of the plan	(सी) का (बी), ऋण की समेकित राशि जिसे अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित किया गया (C) Of (B), aggregate amount of debt that was converted into other securities	(डी) योजना के प्रारंभ किए जाने और क्रियान्वित किए जाने के बीच स्वीकृत की गई अतिरिक्त निधियन सहित, यदि कोई हो (D) Additional funding sanctioned, if any, including invocation of the plan and implementation	(ई) समाधान योजना के क्रियान्वित किए जाने के कारण प्रावधान में वृद्धि (E) Increase in provisions on account of the implementation of the resolution plan
वैयक्तिक ऋण	Personal Loans	7,858	1,073.14	0.00	0.04	103.02
कॉर्पोरेट व्यक्ति*	Corporate persons*	3	2,701.30	0.00	113.76	10.33
जिसमें से एमएसएमई	Of which, MSMEs	-	-	-	-	-
अन्य	Others	-	-	-	-	-
कुल	Total	7,861	3,774.44	0.00	113.80	113.35

\*जैसा कि दिवालिया और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित किया गया है।

\*As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

सी-15 चालू वर्ष की पुष्टि के लिए आवश्यकतानुसार पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत किया गया है। पिछले वर्ष के आंकड़े जहां कहीं दर्शाए गए हैं उन्हें कोष्ठक में रखा गया है।

C-15 Previous year's figures have been regrouped where necessary to conform to current year classification. Figures in the bracket wherever given relates to previous year.